हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक वीरवार, दिनांक 08 मार्च, 2018 को अध्यक्ष, डॉ० राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में कौंसिल चैंबर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

08.03.2018/1100/SLS-HK-1

प्रश्न संख्या : 32

श्री जगत सिंह नेगी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो यह BADP प्रोग्राम है, इसमें हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के 2 सब-डिविजन कल्पा और पूह को लिया गया है। इसी तरह से लाहौल-स्पिति के स्पिति सब-डिविजन को इसमें शामिल किया गया है। परंतु कुछ महीने पहले, BADP के अंतर्गत जिन गावों को दोबारा से लेना है, उनका रिसर्वे किया गया है। जहां तक मेरी जानकारी है उसके मुताबिक जो किन्नौर का पूह सब-डिविजन है उसमें से रूशकलंग, रोपा, चूलिंग और हांगो गांव को पैरामीटर्ज से बाहर किया गया है। अब जो जवाब इन्होंने दिया है, उसमें कहा गया है कि इसको लिंक किया गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो अभी BADP का ऐन्चल एक्शन प्लॉन बन रहा है, उसमें इन गावों को, जिनका ज़िक्र मैंने अपने प्रश्न में किया है, क्या इन गावों के लिए भी स्कीमों में प्रावधान किया जाएगा?

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक को बताना चाहूंगा कि BADP की गाईडलाईंज 2015 में भेजी गई हैं। वर्ष 2017 में एक सर्वे करवाया गया जिसमें कहा गया कि BADP वर्ष 1999 में शुरू हुआ था। उसके पश्चात यह काम चलता रहा। परंतु भारत सरकार जानना चाहती थी कि इसमें कितने गांव कवर हुए हैं। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। आपका प्रश्न 3 गावों को लेकर था जिनमें चूलिंग भी शामिल है। चूलिंग के लिए हमने कहा कि यह 0-10 किलोमीटर के दायरे में है। जो किन्नौर जिले का पवारी है उसको हमने शून्य माना है; वहां से हमने यह सर्वे करवाया है। जो हमारा आर्यभट्ट इनफौर्मैटिक्स एंड स्पेस एप्लिकेशन सैंटर है, उसके माध्यम से यह सर्वे करवाया गया है ताकि ये सारे गांव कवर हो सकें। चूलिंग और रूसला, ये दोनों गांव पहले से 0-10 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। आपने दूसरे प्रश्न में रोपा खास गांव के बारे में कहा है। यह गांव स्टेज दो में 10-20 किलोमीटर में आता है। इसमें यह कहा गया है कि जो जिलाधीश

के नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनी है, वह पहले से ही बनी है कोई नई कमेटी नहीं है। वह

08.03.2018/1100/SLS-HK-2

कमेटी भारत सरकार को प्रस्ताव भेजेगी कि इन गावों में सारे काम हो चुके हैं। फर्स्ट स्टेज में 0-10 किलोमीटर, सैकिंड स्टेज में 10-20 किलोमीटर का क्षेत्र इसमें है। माननीय सदस्य के प्रश्न में कहे गए तीनों ही गावों को हम इसमें कवर कर रहे हैं। पहले 2 गावों 10 किलोमीटर में आ रहे हैं और अगला गांव 20 किलोमीटर के दायरे में आ जाएगा। यह सारे गांव इसमें कवर होंगे। इनमें से कोई भी गांव बाहर नहीं किया गया है। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया है। ठीक है, माननीय जगत सिंह नेगी जी, आप सप्लीमैंटरी पूछिए।

जारी ...श्री गर्ग जी

08/03/2018/1105/RG/HK/1
प्रश्न सं. 32-- क्रमागत

श्री जगत सिंह नेगी : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने यह जानना चाहा है कि ये जो गांव हैं जिनको आप जीरो से दस के बीच में लाने की बात कर रहे हैं, ये पहले ही वर्ष 2017 तक बी.ए.डी.पी. के अन्दर रहे तथा इनमें बी.ए.डी.पी. से बजट स्वीकृत किया हुआ है और बहुत सारे काम चले हुए हैं। अब आज की तारीख में मैं यह जानना चाहता हूं कि जो वर्ष 2018-19 का हमारा बजट बन रहा है उसमें इन गांवों में जो अधूरे काम हैं, अगर ये जीरो से दस के बीच में नहीं आते हैं, तो इनको किस तरह से पूर्ण करेंगे और कहां से इनको बजट देंगे? मैं आपसे यही जानना चाहता हूं।

कृषि मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पूर्व में भी कहा कि दो गांव जीरो से दस किलोमीटर के बीच में आ रहे हैं, अब जो बी.ए.डी.पी. का वर्ष 2018-19 का नया प्लान बनने जा रहा है उसमें सिर्फ एक ही गांव रोपा खास बचता है, जिसके बारे में आपने कहा है। हमने जिलाधीश को कहा है कि अगर उसमें कोई काम चले हुए हैं, तो उनको हम कॉन्टीन्यु रखेंगे।

08/03/2018/1105/RG/HK/2

प्रश्न सं.- 33

श्री बिक्रम सिंह जरयाल : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विभागीय उत्तर के अनुसार विभिन्न मदों में 27,0,45,309/-रुपये बचा हुआ है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं और आग्रह भी करता हूं कि जिन-जिन विभागों को यह पैसा दिया है, उनको आदेश दें कि जो विकास कार्य लम्बित पड़े हैं, उनको अति शीघ्र पूरा किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है, उस बारे में मैं थोड़ी विस्तृत जानकारी इनको देना चाहता हूं। इसमें विभिन्न मदों के अन्तर्गत कुल 197 स्कीम्ज स्वीकृत हुई हैं, 92 कार्य पूर्ण हो गए हैं, 65 स्कीम्ज का कार्य चल रहा है या प्रगति पर है और इसके अलावा 40 स्कीम्ज पर काम शुरू नहीं हुए। जो 40 काम शुरू नहीं हो पाए हैं, उनके बारे में मैंने विभाग से जानकारी चाही कि ये काम शुरू क्यों नहीं हुए? तो इसकी वजह प्रमुख रूप से यह है कि बहुत जगह सरकारी जमीन या वन भूमि की क्लीयरेंस का इशु है और कई स्थानों पर निजी भूमि का भी इशु है। इस कारण ये 40 कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं। इसलिए मेरा माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे कोशिश करें कि जहां-जहां भी इस प्रकार के जमीन से जुड़े हुए मसले हैं चाहे वह निजी भूमि या वन भूमि के हैं, उनकी अगर क्लीयरेंस हो जाती है, तो ये 40 काम जो अभी लम्बित पड़े हैं या जहां काम हम अभी तक शुरू नहीं कर पाए हैं, तो उन कामों को भी हम तेज गति से शुरू करने की स्थिति में हो पाएंगे।

08/03/2018/1105/RG/HK/3

प्रश्न सं. 34

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना माननीय मंत्री महोदय ने सभा पटल पर रखी है, इसके मुताबिक गत तीन वर्षों में 31 जनवरी, 2018 तक रोहड़ू विधान सभा क्षेत्र में पुरानी लकड़ी के खम्भे की जगह पर कुल 4253 लोहे के खंभे लगाए गए हैं और उत्तर के मुताबिक सबमें तारें लगा दी गई हैं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि जो तारें लगाने की बात है, यह सही नहीं है।

एम.एस. द्वारा प्रश्न जारी

08/03/2018/1110/MS/YK/1

प्रश्न संख्याः 34 क्रमागत--
श्री मोहन लाल ब्राक्टा जारी-----

अभी सबमें तारें नहीं बिछाई गई हैं। अभी आधे से ज्यादा काम करने को शेष है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस बारे विभाग को आदेश किए जाएं।

दूसरे, जो रोहड़ू में बार-बार बिजली बाधित होती है इसका एक कारण नोगली से एकमात्र वितरण प्रणाली है। इसके बारे में माननीय मंत्री महोदय ने कह दिया है कि के0एफ0डब्ल्यू0 स्कीम के तहत कोटखाई से गंगटोली तक दूसरी वितरण लाइन का कार्य प्रस्तावित है जिसको 31 मई, 2017 को अवार्ड कर दिया गया है।

तीसरे, जो ट्रांसफार्मर्ज की बात आई है इसके बारे में माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि इस कार्य को 31 मार्च, 2019 तक पूर्ण करने की संभावना है। जो नये ट्रांसफार्मर्ज लगने हैं उनके बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 30 नये ट्रांसफार्मर्ज लगने बाकी हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से इस बारे में भी निवेदन है कि वे विभाग को इन्हें जल्दी लगाने के निर्देश दें। बाकी जो 22 के0वी0 कन्ट्रोल प्वाइंट की बात है इस बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 3 फरवरी, 2018 को कार्य का आबंटन हो गया है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस कार्य का टैण्डर किसको दिया गया है क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक इसका अभी तक न तो कोई टैण्डर हुआ है और न ही कोई कार्य

शुरू हुआ है। अगर टैण्डर हुआ है तो किसको दिया है, यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के "क" भाग में उत्तर दिया हुआ है कि 4253 नये लोहे के खम्भे तीन सालों के अंदर लगाए गए हैं और तारें लगाने की प्रक्रिया भी साथ-साथ चलती रहती है। लोहे के खम्भे लगाने हेतु टैण्डर किया जाता है और टैण्डर के माध्यम से लोहे के खम्भे लगाए जाते हैं और तारें बिछाने का काम विभाग के माध्यम से किया जाता है। तारे बिछाने के लिए पावर शट-डाउन लेनी पड़ती है और उसके बाद ही तारें लगाई जाती है। कुछ सूचना जो मेरे पास है तो जितने खम्भे हमने बताए हैं

08/03/2018/1110/MS/YK/2

उतने खम्भों में तारें लगा दी गई हैं। क्योंकि खम्भे लगाने की प्रक्रिया लगातार चल रही है और लगातार प्रक्रिया की वजह से कुछ जगह खम्भे लगे होंगे तो उनमें तारें लगाने के लिए मैं विभाग को निर्देश दूंगा ताकि साथ-साथ तारें भी लग जाएं।

इसके अलावा जो नागली से एकमात्र वितरण प्रणाली की बात माननीय सदस्य ने कही है, यह 66 के0वी0/22के0वी0 एक वितरण प्रणाली वहां से होती थी और एक ही लाइन होने की वजह से कई बार सर्दियों में हमारी बिजली की तारें टूटने की वजह से पूरा क्षेत्र शट-डाउन हो जाता था। उसके लिए कोटखाई से गंगटोली के लिए 22 के0वी0 की एक नई योजना बनाई जा रही है और उसका काम करने का टारगेट 31 मार्च, 2020 रखा है।

दूसरे, जो नये ट्रांसफार्मर्ज की बात आपने कही, वे 48 ट्रांसफार्मर्ज हमने लगा दिए हैं तथा 30 ट्रांसफार्मर्ज लगाने का लक्ष्य हमने 31 मार्च, 2019 का रखा है।

जहां तक 22 के0वी0 कन्ट्रोल प्वाइंट की आपने बात कही है, उसका फाउंडेशन स्टोन 14 अक्तूबर, 2015 को गैर फण्ड्ज के रख दिया गया था। इसकी टैण्डर प्रक्रिया हो चुकी है और 1 करोड़ 62 लाख रुपये की लागत से इसका निर्माण हो रहा है। इसे मैसर्ज पीर पंजाल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लि0 जोकि जम्मू की कम्पनी है, को टैण्डर दिया

जा चुका है और 3 फरवरी, 2018 को इसको आबंटित भी कर दिया गया है। इसका लक्ष्य हमने 31 मार्च, 2020 रखा है कि तब तक इसको पूर्ण कर दिया जाएगा।

अगला प्रश्न श्री जे0के0 द्वारा-----

08.03.2018/1115/जेके/वाईके/1

प्रश्न संख्याः35

श्री होशयार सिंहः अध्यक्ष महोदय, पौंग बांध बनने से कितने लोग विस्थापित हुए; और कितने विस्थापितों को नियमानुसार मरब्बे दिए गए व कितने मामले निरस्त किए गए; ब्यौरा दें?

अध्यक्षः माननीय सदस्य, शायद आपने इसका उत्तर नहीं पढ़ा। यहां पर जो टैक्निकल पर्सन खड़े हैं, उनसे पूछकर आप इस प्रश्न का उत्तर अपने कम्प्यूटर से पढ़ लें । इस बीच में श्री राकेश पठानिया जी।

श्री राकेश पठानियाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो ये रिकंस्टिट्यूशन ऑफ स्टैंडिंग कमेटीज़ होती है, दो स्टैंडिंग कमेटीज़ होती है। एक सचिव (राजस्व) की अध्यक्षता में और एक आदरणीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में होती है। जो ऑफिसर्ज़ की स्टैंडिंग कमेटी है उसमें बिकानेर व जैसलमेर के कलैक्टर्ज़ और एस0पीज0 को चेंज करके क्या सरकार धर्मशाला में तुरन्त मीटिंग बुलाने का कोई निर्णय ले रही है?

दूसरे, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से जानना चांहूंगा कि PODA में इस वक्त कितना पैसा उपलब्ध है और डैम ऑस्टीज़ के कितने परिवारों की मदद उससे की गई?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत लम्बे समय से चला हुआ है। समय-समय पर इसमें थोड़ी-बहुत प्रगति भी हुई लेकिन उसके बावजूद भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक जहां हमें पहुंचना चाहिए था, वहां अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। जहां तक मूल प्रश्न है उसका ज़वाब बाद में देंगे लेकिन यहां पर जो सप्लिमेंटरी माननीय सदस्य, श्री राकेश पठानिया जी ने की, उस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में जो मुख्य मंत्रियों की बैठक दिल्ली में हुई उसमें राजस्थान के मुख्य मंत्री के साथ मेरा मिलना हुआ और उनके साथ इस सन्दर्भ में हमारी बातचीत हुई क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी 26.07.1996 के एक आदेश के अनुसार सारे मसले को

एक्सपीडाइट करने के आदेश दिए हैं। हमने इस सन्दर्भ में एक बात कही कि इस सारे मामले को जल्दी से हल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी ओर से अधिकांश औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई है। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही जल्दी इस सन्दर्भ में, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि बजट सत्र समाप्त होने के पश्चात् मैं व्यक्तिगत रूप से भी वहां के मुख्य मंत्री जी के साथ बात करूंगा और यदि सम्भव हुआ तो मैं व्यक्तिगत रूप से इस मसले को ले करके उनसे मिलूंगा भी और इसका समाधान करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा आपने कहा कि धर्मशाला में इस सन्दर्भ में बैठक होनी चाहिए । मुझे लगता है कि जिस स्तर पर यह मामला आगे बढ़ा है, अब राजस्थान वालों को भी लग रहा है कि इस सारे मामले में किसी समाधान की दृष्टि से आगे बढ़ कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है और मुझे लगता है कि वह सारी स्थिति अब सामने आने वाली है। उसमें सरकार की तरफ से जो भी किया जा सकता है, करने की कोशिश करेंगे।

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर को देखते हुए क्या होशयार सिंह जी आप कुछ पूछना चाहते हैं?

श्री होशयार सिंहः नहीं, सर।

श्री राकेश सिंघाः अध्यक्ष महोदय, यह जो होशयार सिंह जी का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ही नहीं दिए इन आदेशों को उसके बाद भी रिपीट किया। यह सबसे पेनफुल प्रश्न है। मैं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय से दो बातें पूछना चाहता हूं। क्या उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अमल करने के लिए हिमाचल सरकार का हस्तक्षेप होगा? दूसरे, जो 1980 में रंगाराजन कमिशन की रिपोर्ट आई थी, उसमें असल में डिस्ट्रैस कॉस्ट का जो जिक्र किया वह जो साढ़े 12 फ़ीसदी आज कहा जा रहा है रॉयल्टी, वह रॉयल्टी नहीं है, वह इसलिए दिया गया कि जो बांधों में डूब गए हैं, जिनकी ज़मीनें तबाह हो गई, मैं

08.03.2018/1115/जेके/वाईके/3

हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वह जो डिस्ट्रैस कॉस्ट आज हमें मिलता है, क्या पौंग बांध के विस्थापितों को उस पैसे से मदद दी जाएगी या नहीं दी जाएगी?

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-------

08.03.2018/1120/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 35 क्रमागत

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह बहुत लम्बी कहानी है। 1960-61 में पौंग बांध के लिए इस भूमि का अधिग्रहण हुआ था, जिसमें 339 गांव प्रभावित हुए थे। 75268 एकड़ भूमि अधिगृहित की गई थी। समय-समय पर प्रयास होते रहे, मामला उठता रहा, आंदोलन भी चलता रहा लेकिन उसके बावजूद भी जिस स्तर पर चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए थीं, उसके बीच में कमियां या त्रुटियां रहीं। उसमें बहुत बड़ी बात यह भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ज़िक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं उसके बाद कुछ चीज़ें बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ी हैं।

लेकिन यह भी सच्चाई है कि पूर्व में वे पूरी इंफोरमेशन मांगते रहे हैं कि टोटल विस्थापित परिवार कितने हैं, उनका सही पता चाहिए। पूरा एड्रैस चाहिए और उसे देने में बहुत विलम्ब हुआ है। उसमें बहुत वक्त लग गया। कई बार कुछ फिगर्ज़ जाती रहीं और कई बार फिगर्ज़ अलग-अलग जाती रहीं, उसके कारण भी उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन चलते रहे। लेकिन उसके बावजूद भी इसमें आबंटन हेतु 23 उच्च स्तरीय बैठकें हो चुकी हैं। जिसके परिणामस्वरूप मुझे लगता है कि इसमें बहुत विलम्ब होने वाला नहीं है। जहां तक आपने साढ़े 12 परसेंट डिस्ट्रैस कॉस्ट व रंगाराजन कमेटी का ज़िक्र किया है वे सारी चीज़ें इसमें समाहित हैं। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि जहां सरकार जमीन देने के लिए मन बना रही है उसमें कठिनाई यह भी आ रही है कि हमारे हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे लोग मानसिक और सामाजिक दृष्टि से वहां जाने की परिस्थिति में नहीं हैं, वहां उस हालात में रहने की परिस्थिति में नहीं लग रहे हैं। उनके और भी आग्रह आते रहे हैं कि हमको जमीन के बदले में आर्थिक रूप से मदद कर दी जाए। यह भी एक विषय है। इसलिए बहुत सारे कम्प्लैक्स इश्यु आने के कारण इसमें विलम्ब हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा लम्बी बात न करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि मैंने व्यक्तिगत रूप से इस सारे मसले को अभी हाल ही में वहां के मुख्य मंत्री के साथ उठाया है। कुछ दिन पहले की ही बात है जब हमारा दिल्ली में जाना हुआ था, मैं 28 फरवरी की बात बता रहा हूं, उस दिन जा करके उनसे बहुत विस्तार से बात करके आए हैं। जितने भी इश्युज़ हैं उनका समाधान करने की दृष्टि से हम कोशिश करेंगे कि जल्दी-से-जल्दी उसमें आगे बढ़ करके एक निष्कर्ष पर पहुंचे। मुझे इतना ही कहना है।

08.03.2018/1120/SS-AG/2

अध्यक्षः वैसे तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट उत्तर दे दिया है और अपनी गम्भीरता भी बता दी है और मामले में प्रयास किया है। फिर भी इस पर अंतिम सप्लीमेंटरी श्री राकेश पठानिया जी पूछ सकते हैं।

श्री राकेश पठानियाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने राजस्थान के मुख्य मंत्री जी से बात की है। मैंने जो आपसे PODA और जो स्टैंडिंग कमेटी अधिकारियों की है जिसमें बीकानेर और जैसलमेर के

कलैक्टर्ज़ और एस0एस0पीज़0 इंवोल्वड हैं के बारे में प्रश्न पूछा कि इसकी रिकॉंस्टीट्यूशन कितनी जल्दी कर रहे हैं? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा सब-डिवीजन पूरा का पूरा कम-से-कम इनकी एक लाख से ऊपर पापुलेशन है और हम बहुत पीड़ित हैं। हमारे जो विस्थापित वहां जाते हैं, वहां पर हमारे जबरदस्ती प्लॉटस खाली करवाए जाते हैं। हमारे मरब्बे पर कब्जे होते हैं। फैक एग्रीमैंट्स किये जाते हैं, हम लोग बहुत पीड़ित हैं और PODA के अंदर हमारी सरकारों के अन्तर्गत करोड़ों रुपये का मिस-यूज किया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि this is a very-very important question for us. मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि PODA की कब तक रिकॉंस्टीट्यूशन कर देंगे और इसके अन्तर्गत जो फंडस का मिस-यूज हुआ - this fund is specifically meant for the rehabilitation and the help of the families who have been shifted in this process. ये पैसा उनके ऊपर न लगने के बजाय कहीं और ही लग रहा है। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं जो पहले हुआ है वह अब होने नहीं दिया जायेगा। जहां तक आपने फंडस के मिस-यूज के बारे में कहा है, आप PODA के फंडस का ज़िक्र कर रहे हैं, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे और बहुत जल्दी जिस कमेटी का आप जिक्र कर रहे हैं इस कमेटी का भी हम कोई समाधान निकालेंगे।

जारी श्रीमती के0एस0

08.03.2018/1125/केएस/एजी/1

प्रश्न संख्याः 35 जारी--

मुख्य मंत्री जारी----

इस विषय को हम व्यक्तिगत रूप से बहुत गम्भीरता के साथ ले रहे हैं। यह विषय बहुत समय से है और हमारा तो उस वक्त जन्म भी नहीं हुआ था। यह विषय 1960 से चला हुआ

है। हम इस बात के लिए बहुत गम्भीरता से प्रयत्न कर रहे हैं कि इसका समाधान जल्दी से हो और मुझे लगता है कि हम इस दिशा में सफल होंगें।

08.03.2018/1125/केएस/एजी/2

प्रश्न संख्या- 36

श्री अनिरुद्ध सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहूंगा कि हमारी पीरन, सतलाई एवं बलोग पंचायतें जिला सिरमौर के साथ लगती हैं। बहुत दूर-दराज का क्षेत्र है। यह जो विद्युत मण्डल सिरमौर से उप-मण्डल जुन्गा (विद्युत मण्डल शिमला-1) के लिए हस्तांतरण होना था, यह मामला काफी लम्बे समय से चल रहा है। एक तो मैं आग्रह करता हूं कि माननीय मंत्री जी मुझे इस ट्रांसफर की कॉपी उपलब्ध करवाएं। साथ ही इसमें टैक्निकली एक बात थी कि यह विद स्टाफ था । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या राजगढ़ डिविज़न से साथ में स्टाफ भी ट्रांसफर हुआ है? अगर स्टाफ भी साथ में ट्रांसफर नहीं हुआ होगा तो हमें बहुत दिक्कत आएगी। मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि अगर नहीं हुआ है तो शीघ्रातिशीघ्र स्टाफ की भी उप-मण्डल जुन्गा के लिए ट्रांसफर की जाए और इस ऑर्डर की इम्पलीमेंटेंशन समय पर कर दी जाए। धन्यवाद।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय सदस्य ने चाहा है, इस बारे में उचित कार्रवाई के आदेश 06.05.2017 को कर दिए गए हैं और क्योंकि इस प्रक्रिया के अंदर लगभग 14 ट्रांसफार्मर, 44.60 किलोमीटर एच.टी. लाइन और 30 किलोमीटर एल.टी. लाइन को इसमें शिफ्ट करना था। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जुन्गा सप्लाई को 6 स्थानों पर 8.34 किलोमीटर लाइन का निर्माण कर जोड़ा गया है। मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि इस कार्रवाई को 31 मार्च तक हम पूरा कर लेंगें और जो आपने स्टाफ के बारे में कहा, इसको भी एग्ज़ामिन कर लेंगें।

08.03.2018/1125/केएस/एजी/3

अध्यक्षः इससे पहले कि मैं अगले प्रश्नकर्ता को प्रश्न के लिए कॉल करुं, आज केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी सदन का अवलोकन करने के लिए गैलरी में विराजमान है।

प्रश्न संख्या 37

श्री इन्द्र सिंह (सरकाघाट)**:** अध्यक्ष महोदय, प्लांटेशन हर साल होती है और हर सरकार करती है। यह सीज़नल होती है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान सरकार ने पुरानी लकीर से हटकर प्लांटेशन के लिए कोई नई योजना तैयार की है ताकि पौधों का सर्वाइवल रेट बढ़ें? आज बहुत से सर्कल में सर्वाइवल रेट सिर्फ 50 परसेंट के आसपास है। साथ में जो बाड़ बन्दी की जाती है, वह लकड़ी के पोल्ज़ लगाकर की जाती है जो कि बरसात में सड़ जाते हैं और रैकरिंग एक्सपैंडिचर बहुत ज्यादा होता है। क्या सीमेंट कंकरीट में आयरन के स्थायी पोल लगाने का कोई प्रावधान करेंगें?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि पौधे लगाने के बाद अक्सर देखा गया है कि कुछ लोगों के वैस्टिड इन्ट्रस्ट होते हैं। उनकी चारागाहें होती हैं जिनमें पौधे लगाए जाते हैं। दिन में वनकर्मी उनमें पौधे लगाते हैं और वे रात को उखाड़ देते हैं।

8.3.2018/1130/av/dc/1

प्रश्न संख्या : 37---------- क्रमागत

श्री इन्द्र सिंह (सरकाघाट)----------जारी

क्या इसकी रोकथाम के लिए माननीय मंत्री जी ने कोई योजना बनाई हैं ताकि वे पौधे लगे रहें जिनके लिए इतनी मेहनत और खर्चा किया गया है?

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री इन्द्र सिंह जी ने पहला प्रश्न यह किया है कि क्या प्लांटेशन करने के लिए वर्तमान सरकार ने किसी नई बात पर विचार किया है। जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार बनने के बाद हमने एक बात कही है कि नई इनोवेशन और आइडियाज लेकर आयेंगे। हमने 23 जनवरी, 2018 को अपने विभाग के अधिकारियों के साथ विशेष तौर पर एक योजना बैठक की है जिसमें पौधा-रोपण, नर्सरीज और उसके सर्वाइवल रेट पर मुख्य रूप से चिन्ता की गई है। अच्छी प्लांटेशन के लिए हमने अभी एक कार्य योजना तैयार की है लेकिन अच्छी प्लांटेशन तब होगी जब हमारी नर्सरीज अच्छी होगी और उसके बाद उनका सर्वाइवल रेट अच्छा होगा। आपने कार्य योजना के बारे में पूछा है तो इस पर एक काम यह किया है कि प्रदेश में हमारी जो 728 नर्सरीज हैं उनके मजदूर और स्टेक होल्डर्स के लिए 15-15 दिन के ट्रेनिंग कैम्प लगाये जायेंगे। ट्रेनिंग कैम्प के बाद जब प्लांटेशन का सीजन प्रारम्भ होता है तो उससे पहले एरियाज को चिन्हित करके हर डिविजन में फैंसिंग करने का काम हम अप्रैल-मई के महीने में ही शुरू कर रहे हैं। इस बारे में हमारा टाइम टेबल बन चुका है। इसके अतिरिक्त फैंसिंग की क्वालिटी को हम और सुदृढ़ करेंगे और सी0सी0 के बेस भी बनायेंगे। फैंसिंग करने के लिए जो तीन लाइन्स लगाई जाती है उसके लिए अगर चार या पांच लाइन्स करने की आवश्यकता हुई तो उस पर भी हम विचार करेंगे ताकि फैंसिंग अच्छी हो। जून के महीने में अच्छे गड्ढे बनाना और जुलाई-अगस्त में जैसे ही पहली वर्षा होगी उसके तुरन्त बाद माननीय मुख्य मंत्री, पूरा मंत्री मंडल और सारे विधायक मिलकर के प्रदेश में

8.3.2018/1130/av/dc/1

वृक्ष-रोपण अभियान को आगे बढ़ायेंगे। हम जो प्लांटेशन करेंगे उसमें लम्बी उम्र व ताकतवर प्लांट लगायेंगे ताकि वह काफी समय तक टिके रहें। उस प्लांटेशन को हम वैब

पोर्टल के माध्यम से जियो रैफ्रेंसिंग से जोड़ेंगे। राज्य कैम्पा के अंतर्गत हमारी जो प्लांटेशन होती है उसको केंद्र सरकार के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। साथ में, हमने एक बात पर और विचार किया है कि जहां पर सर्वोत्तम नर्सरी/प्लांटेशन और सर्वोत्तम सर्वाइवल रेट होगा वहां के फॉरैस्ट गार्ड को हम पुरस्कृत करेंगे/प्रशस्ति पत्र देंगे। फर्स्ट, सेकिण्ड और थर्ड डिविजन के हिसाब से हम ईनाम निकालेंगे। प्रदेश के अन्दर हमारे जो 43 डिविजन्स हैं इस बारे में हमने माननीय मुख्य मंत्री जी से भी विचार विमर्श किया है कि इन 43 डिविजन्स में सबसे अच्छी नर्सरी, सबसे अच्छा सर्वाइवल रेट इत्यादि के बारे में प्रतियोगिता करवायेंगे। उसके लिए वहां के अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित करेंगे और उनको पुरस्कृत भी करेंगे। मगर जहां पर नर्सरी या सर्वाइवल रेट अच्छा नहीं होगा वहां से सम्बंधित अधिकारियों के विरुद्ध कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से अब नये तौर पर हम इस सारे कार्य को करेंगे। हमारा हिमाचल प्रदेश वन आवरण के लिए जाना जाता है। हम वन आवरण को आगे बढ़ाने की दिशा में और काम करेंगे। इसके अतिरिक्त जैसे माननीय सदस्य ने पूछा है अगर सर्वाइवल रेट ठीक नहीं रहा या

श्री टी0सी0 द्वारा जारी

8.3.2018/1135/TCV/DC-1

प्रश्न संख्याः37...क्रमागत

माननीय वन मंत्री ..... जारी

जहां पर लगता है कि हमारे पेड़ टिक नहीं पाये, वहां भी हम बार-बार पौधारोपण करेंगे। यदि कोई इन पौधो को नुकसान पहुंचाएगा या उखाड़ेगा तो उसके विरूद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके लिए वन विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त ग्राम पंचायत, महिला मण्डल एवं युवक मण्डल की जवाबदेही तय की जाएगी और वहां पर फिर से प्लांटेशन

करने पर विचार करेंगे। हमारी नर्सरी अच्छी गुणवत्ता वाली हो, इस बात पर हम विशेष ध्यान देंगे।

श्री सुख रामः माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्ष में पौधारोपण पर जो 125 करोड़ 33 लाख रुपये खर्च किए गए हैं, कृपया इसका ब्रेकअप दें। इन 3 वर्षों में पौधारोपण पर कितना पैसा खर्च किया गया, नर्सरी, लैबर और तारबाड़ लगाने पर कितना-कितना पैसा खर्च किया गया?

दूसरा, जो आप पौधारोपण करते हैं, अगले वर्ष इसका सर्वाइवल रेट 55-60 प्रतिशत् होता है। क्या अगले वर्ष उस स्थान पर विभाग दोबारा पौधारोपण करता है? यदि पौधारोपण किया है, तो किस-किस वन मण्डल में किया है?

तीसरा, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो उच्च अधिकारी हैं, जहां पर पौधारोपण होता है, क्या डी0एफ0ओ0 या अन्य वन अधिकारी वहां पर जाकर निरीक्षण करते हैं? यदि इसके बारे में मंत्री जी के पास जानकारी है तो कृपया पर्टिकुलर किसी वन मण्डल के बारे में बताने की कृपा करें।

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उसके बारे में इनको बताना चाहता हूं कि मैनडेटरी-फील्ड-इन्सपैक्शन प्रोटोकोल के अन्तर्गत आर0ओ0 और उसके समकक्ष अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह पौधारोपण की 100 प्रतिशत् इंस्पैक्शन करेंगे। इसके अलावा ए0सी0एफ0 50 प्रतिशत्, डी0एफ0ओ0 20 प्रतिशत्

8.3.2018/1135/TCV/DC-2

इंस्पैक्शन करेंगे। यदि आपको इसका ब्रेकअप चाहिए, तो वह भी माननीय सदस्य को उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

दूसरा, जो लगभग 125 करोड़ रुपये प्लांटेंशन पर खर्च किए हैं, वैसे तो हमने प्रश्न के उत्तर में डिविज़न वाईज ब्रेकअप दिया है कि कहां-कहां, कितना-कितना पैसा खर्च किया गया है। लेकिन यदि आपको इसकी जानकारी और विस्तार से चाहिए तो वह भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने पूछा है कि जो प्लांटेशन की जाती है, अगर वह सक्सैस नहीं होती है तो क्या उस पर अगले वर्ष फिर से विभाग प्लांटेशन करेगा? मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि विभाग उस पर अगले वर्ष फिर से प्लांटेशन करेगा और वह प्लांटेशन किस कारण से सक्सैस नहीं हुई, इसकी जांच करेंगे। यदि कोई कमी पाई गई तो उचित कार्रवाई भी करेंगे।

मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि हम एक योजना शुरू करने जा रहे हैं, पहले इसमें एक कमी थी, जो पिछली सरकार के समय में हुई है। हमारा प्लांटेशन का जो बजट होता था, उसमें फैंसिंग और नर्सरी सबके लिए इक्ट्ठा बजट था। अब हम उसके लिए बजट प्रोविज़न भी अलग-अलग करने पर विचार कर रहे हैं, ताकि उसकी गुणवत्ता बनी रहे। इसके साथ ही जो प्लांटेशन होगी, उसके रख-रखाव की जिम्मेदारी भी 5 साल तक वन विभाग की ही होगी।

श्री राम लाल ठाकुरः माननीय अध्यक्ष जी, वन मंत्री जी ने नई सोच से प्लांटेशन को करने तथा हिमाचल प्रदेश में और ज्यादा ग्रीनरी आए के बारे में अपने विचार रखे हैं।

श्रीमती एन0एस0 द्वारा जारी....

08-03-2018/1140/NS/HK/1

प्रश्न संख्याः 37-------क्रमागत

श्री राम लाल ठाकुर------ जारी

मैं मंत्री महोदय जी से दो बातें पूछना चाहूंगा। पहला प्रश्न यह है कि नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ने सारे नेशनल हाइवेज़ के ऊपर कम्पलसरी किया है कि वहां पर हरियाली को बढ़ाने के लिए प्लांटेशन हो। पिछले वर्षों में हमारे डिवीज़न्ज को यह पैसा मिला है। रोडसाईड पर जो ग्रीनरी पैदा करने की बात है उसके लिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि कितनी राशि पिछले तीन वर्षों के अन्दर इस मद में जमा हुई है और उसमें से कितनी राशि खर्च हुई है? ब्योरा दिया जाए। आज की तारीख में उसमें से कितना सरवाईवल रेट रोडसाईड में आया है? अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि पांच वर्षों तक विभाग देखेगा कि उन प्लांट्स का सरवाईवल रेट कहां तक बढ़ा है? पांच वर्षो में जो प्लांटेशन होती है उसमें बहुत सारे slow growing species हैं। पांच साल तक ये प्लांट्स एक या डेढ़ फुट से ऊपर नहीं आते हैं। वन विभाग की नीति है कि पांच सालों तक जो प्लांटेशन होगी उसकी देखरेख विभाग करेगा। अध्यक्ष महोदय, पांच वर्षों में जहां प्लांटेशन हुई होती है लोग घास के लिए जंगलों में आग लगा देते हैं। कई स्थानों पर जहां चील के पेड़ हों वहां पर ठेकेदार बिरोजा निकालते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कई बार anti social elements अपने सारे काम को दबाने के लिए जंगलों में आग लगाते हैं, उससे बिरोज़ा और जो लकड़ी काटी गई होती है वह भी जलती है। कुछ लोगों ने यह धंधा कर रखा है कि हर साल वे कोई न कोई जंगल जलायेंगे। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि मात्र यह कहना कि हम उस प्लांटेशन को देखेंगे और पुरस्कृत करेंगे, यह काफी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ऐसी कोई कम्पलैंट विभाग को आई है जिसमें एक अधिकारी ने under compensatory plantation लगभग 37 लाख रुपये की प्लांटेशन की। लेकिन इन्कवायरी होने के बाद यह पता ही नहीं लगा कि प्लांटेशन के लिए 37 लाख रुपये खर्च हुए और वही अधिकारी अपनी ए0सी0आर0 में आउटस्टैंडिंग रिमार्क लेता है तथा उन्हीं को परमोट करके मर्ज़ी का स्टेशन भी दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि ऐसे अधिकारी जो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट लेते हैं और जंगलों को जलाने का काम करते हैं तथा anti social elements के साथ मिल करके काम भी

08-03-2018/1140/NS/HK/2

करते हैं, तो क्या विभाग इसे रोकने के लिए कारगर कदम उठायेगा? अगर प्लांटेशन होगी तभी ग्रीनरी होगी। आज तक जितनी भी प्लांटेशन हुई है उस हिसाब से कहीं कोई जगह नहीं बचती है। मैं मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं कि ऐसी शंकाओं को ठीक करने के लिए विभाग ने क्या सोच रखा है?

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ठाकुर राम लाल जी बहुत सीनियर और पूर्व वन मंत्री रहे हैं। आपने एक बात कही कि जिन अधिकारियों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं था उनको ही काम दिया गया। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार में ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने एक दिन आई0एफ0एस0 अधिकारियों की सीनियोरिटी लिस्ट देखी और उस लिस्ट में दो या तीन को छोड़ करके पदोन्नति नहीं दी गई यानि सात या आठ लोगों को छोड़ करके नौवें नम्बर वाले को ऊपर किया गया तथा सात व आठ को छोड़ दिया गया। इस विभाग में आने के बाद मैंने यह तय किया है कि आई0एफ0एस0 अधिकारियों में 1 या 2 प्रतिशत कारण हो सकता है वरना बिल्कुल सीनियोरिटी के आधार पर हम सारे पदों को भर रहे हैं। जूनियर को सीनियर के ऊपर न किया जाए यह मैने सुनिश्चित किया है और मैंने अपने विभाग में यह करके भी दिखाया है। दूसरा, आपने कहा कि

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

08.03.2018/1145/RKS/HK/1

प्रश्न संख्याः 37... जारी

वन मंत्री.... जारी

जो पैसा NHAI से मिलता है, वह पैसा कम्पनसेट्री अफोरस्टेशन से ही मिलता है जोकि कैम्पा (CAMPA) में जाता है। दूसरा, जो रोड साइड पर प्लांटेशन का काम है, इस काम को NHAI स्वयं करती है। वैसे यह प्रश्न लोक निर्माण विभाग से संबंधित है। अगर जहां पर यह काम नहीं हुआ है, उसको हम सुनिश्चित करेंगे कि वह काम किया जाए। आपने यह भी

पूछा कि कितना पैसा जमा हुआ है। उसकी सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है। कितना पैसा जमा हुआ और कितना खर्च हुआ इसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। तीसरा, आपने कहा कि प्लांटेशन को कई बार स्मगलर्ज़ खराब कर देते हैं और अग्नि के कारण भी यह सब हो जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार आई है और हमने आने वाली 15 तारीख को ही फायर मैनेजमैंट पर एक मैन्यूअल तैयार किया है, जिसकी हम शुरूआत भी करेंगे। आग जंगलों में न लगे इसके लिए एक जबरदस्त कैम्पेन के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। परन्तु इसमें सरकार की ही नहीं अपितु सदन में बैठे सभी माननीय सदस्यों की जिम्मेवारी भी होगी। वन माफिया की अगर मैं बात करूं, आपने कहा कि वर्ष 2015-16 में नैना देवी में क्या हुआ और आज आप कह रहे हैं कि 25,000 पेड़ काटे गए। तो पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस तरह के कई उदाहरण हैं। लेकिन जहां-जहां पर ऐसी घटनाएं हुई हैं, उनको पकड़ा जाएगा। दूसरा, हमने दो महीनों के भीतर अनेक बड़े माफियाओं का अवैध बरामद किया है और बहुत से लोगों को गिरफतार भी किया है। किसी भी प्रकार से माफियाओं, जंगल को समाप्त करने वाले लोगों को आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार नहीं बख्शेगी और न ही हम जंगल काटने की अनुमति देंगे।

अध्यक्षः यह प्रश्न बहुत लम्बा हुआ है। इसलिए अब मैं माननीय सदस्य, श्री बलबीर सिंह वर्मा जी और श्री राकेश सिंघा जी को ही दो सप्लीमेंट्री अलाउ करूंगा।

08.03.2018/1145/RKS/HK/2

श्री बलबीर सिंह वर्माः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि चौपाल की सर्वाइवल रेट 74% से 78% दिखाई गई है और चौपाल में 705.17 हैक्टयर कवर किया गया है। पहले ठियोग डिवीजन के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। अंत में वन अधिकारी ने इक्ट्ठे ही 50 लाख रुपये विदड्राल किए थे और विजिलैंस ने इसमें छापा मार कर वन अधिकारी को अंदर भी किया था। प्लांटेशन की पेमैंट को सिस्टम इतना

डिफैक्टिव है कि आप सोच ही नहीं सकते। अंत में अधिकारी इक्ट्ठी पेमैंट विदड्राल करते हैं। लेकिन इस देश के अंदर एक कानून पास हुआ है कि कोई भी व्यक्ति 20 हजार से ऊपर पेमैंट विदड्राल नहीं कर सकता है। परन्तु उसके बावजूद भी फॉरैस्ट डिवीजन में 6-6, 10-10 ,15-15 लाख रुपये विदड्राल होते हैं। मेरी आपसे एक विनती है चाहे किसी से मटेरियल लिया हो, किसी ने लेबर का काम किया हो या किसी भी टाइप का काम किया हो इसकी जो भी पेमैंट विदड्राल हो, वह पेमैंट बैंक खाते में जाए। अगर पैसे की ट्रांसपरैंसी होगी तभी पारदर्शिता आ सकती है। जैसे मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 2.69 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। अगर आप इसकी जांच करवाएंगे तो आप इसको देखकर हैरान हो जाएंगे। अंत में जब कागज़ों में बिल बनते हैं तो उन सभी बिलों को वे एक सप्ताह के अंदर बना देते हैं और इसमें कोई पारदर्शिता नहीं होती है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप केवल प्रश्न पूछें।

श्री बलबीर सिंह वर्माः अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो भी ट्रांजैक्शन की जाए उसमें पारदर्शिता हो। जिस क्षेत्र में भी प्लांटेशन की जाए वहां के प्रतिनिधि को इसकी सूचना दी जाए। चाहे वे पंचायती राज से संबंधित हो, या वहां के स्थानीय विधायक हो, उनको जरूर सूचित किया जाए। जहां-जहां फैंसिंग हुई है, उसमें भी कोई पारदर्शिता नहीं हुई है। अगर मेरे निर्वाचन क्षेत्र के फोरैस्ट डिवीजन की किसी अधिकारी से जांच करवायेंगे तो आपको इसकी पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी कि 3 वर्ष के अंदर कहां-कहां और कैसे-कैसे फैंसिंग हुई है? मैंने एक साइट विजिट की थी जिसमें बहुत ही दयनीय स्थिति थी।

श्री बी0एस0 द्वारा .....जारी

08.03.2018/1150/बी0एस0/वाई0के0-1

प्रश्न संख्याः 37... जारी

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाए हैं बहुत ज़ायज हैं। अगर चौपाल डीविजन में आपको लगता है कि इनमें कहीं-न- कहीं कोई न कोई गड़बड़ी की

आशंका है तो निश्चित रूप से वन विभाग चौपाल डीविजन में जो प्लाटेंशन इत्यादि है, उसकी 3 साल की सरकार ठीक प्रकार से जांच करवाएगी ।आपने एक ओर सुझाव पेमैंट के बारे में दिया । इन सभी सुझावों में पैसा देने में अगर ट्रांस्परेसीं रहे, इस पर भी विभाग विचार करेगा। आपने बड़े उचित और बहुमूल्य सुझाव दिए हैं इन पर भी विचार करके जहां भी उचित लगेगा लागू करेंगे।

श्री राकेश सिंघाः मंत्री महोदय मुझे क्षमा करे, टोटल कंफ्यूजन और कॉन्ट्राडीक्शन है। फॉरेस्टेशन के लिए बेसिज उसका सर्वाइवल नहीं हो सकता। सर्वाइवल तो पाइन और युकलिप्टस का सबसे ज्यादा है लेकिन पाइन आग पैदा करता है। मेरा प्रश्न यह है इन दो स्पीसिज को क्या वन विभाग बंद करेगा कि नहीं बंद करेंगा? दूसरा प्रश्न अगर बंद नहीं होगा तो आग से बचाने के लिए जो सबसे बड़ा दुश्मन आज जंगलों का बन गया है, उसका हम क्या प्रावधान करना चाहते हैं?

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य राकेश सिंघा जी ने जो कहा कि आग जंगल का सबसे बड़ा दुश्मन है और साथ ही इन्होंने पाइन निडल के बारे में बात कही। यह ठीक है कि इसके कारण कहीं-न-कहीं आग का करण बनता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सदन को यह भी सूचित करना चाहूंगा, अग्नि का कारण एक हो सकता है लेकिन बहुत ही अच्छा रेज़िन उससे मिलता है। लेकिन उसका एक सबसे बड़ा कारण जो रहा है, रेज़िन निकालने की जो पद्धति थी वह पद्धति बहुत पुरानी थी। अब नया मैथड़ हमें बोरहोल मैथड़ शुरू किया है , जिससे बेस्ट क्वालिटी रेजिन निकलेगा। लेकिन आपकी चिंता वाजिब है। अभी आपने आग के कारणों के बारे में कहा लेकिन अभी बिना कोई अध्ययन किए, बिना रिसर्च किए मैं कोई ऐसा आश्वासन नहीं दूंगा। इस पर हम रिसर्च करेंगे और यदि हमें उपयुक्त लगा तो हम अवश्य इस कार्य को करेंगे लेकिन बिना अध्ययन के इस पर कुछ कहना उचित नहीं होगा।

08.03.2018/1150/बी0एस0/वाई0के0-2

प्रश्न संख्याः 38

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मुख्य मंत्री से आग्रह है कि जिन स्थानों के नाम बताए गए हैं, कितना-कितना पैसा इन स्थानों के लिए उपलब्ध करवाया गया है। नम्बर दो इसके अलावा रोहड़ू विधान सभा में और भी स्थान जैसे चांसल है और चंद्र नाहन है । टूरिज्म की दृष्टि से और भी कई स्थान हैं। क्या इन स्थानों के अलावा जो उत्तर में दर्शाए गए हैं इनमें भी कोई काम चला हुआ है। अगर है तो ठीक बात है इसे आगे बढ़ाया जाए, नहीं है तो इस पर विचार किया जाए। मैं इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी....

08032018/1155/DT-YK/1

प्रश्न संख्याः 38... जारी...

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, हमारी पर्यटन को सिर्फ रोहडू विधान सभा क्षेत्र तक सीमित रखने की मंशा नहीं है। पूरे हिमाचल प्रदेश की दृष्टि से पर्यटन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हिमाचल प्रदेश में हम सभी जगह जहां-जहां भी सरकार के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से जो कुछ कर सकते हैं, वह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इनका प्रश्न अपने विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित है, इसलिए जो जानकारी इन्होंने चाही है, मैं वही दे रहा हूं। रोहडू विधान सभा क्षेत्र के जिन-जिन स्थानों का आपने जिक्र किया है, प्रश्न के उत्तर में हमने उनकी सूचना उपलब्ध करवा दी है। उन विधान सभा क्षेत्र में हमने पर्यटन को विकसित करने तथा बढ़ावा देने की दृष्टि से 28.50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। लेकिन यदि आप इसकी पूरी डिटेल चाहेंगे तो वह लम्बी है और उसमें साढ़े अठाईस लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

यदि आपको यह सूचना चाहिए तो वह भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय ये जो पूछ रहे हैं या माननीय सदस्य ने जिन स्थानों का जिक्र किया है, इससे हटकर भी रोहडू विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से हम काम करने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय में इतना कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को विकसित करने की दृष्टि से बहुत अपार सम्भावना है और यह हमारे आने वाले समय में वर्तमान सरकार की प्राथमिकता का क्षेत्र है। हम चाहेंगें कि हिमाचल प्रदेश दुनिया के माचचित्र पर पर्यटन की दृष्टि से अलग पहचान के साथ खड़ा हो। अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में शिमला, मनाली, डलहौजी और धर्मशाला तथा चायल पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्ध हैं। इससे हटकर भी हमारे जो

08032018/1155/DT-YK/2

वर्ज़न डैस्टिनेशन्ज़ हैं वहां पर भी आने वाले समय में हम पर्यटन को विकसित कर सकें, उस दृष्टि से भी हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं कि हमारे पास जो व्यवस्था व सरकारी संसाधन है उससे यह सब करना संभव नहीं है। उसमें और भी जो लोग हिमाचल प्रदेश में, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंवैस्ट करना चाहते हैं या सहयोग देना चाहते हैं, उनको भी हम शामिल करें। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन्होंने रोहडू विधान सभा क्षेत्र में, चांसल घाटी का जिक्र किया है, चांसल घाटी के सन्दर्भ में मुझे इतना ही कहना है कि रोहडू विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जो आई0एम0एफ0 के माध्यम से एक डी0पी0आर0 बनकर के तैयार हुई है। चांसल घाटी में स्की स्लोप्स के विकास हेतु तथा रोहडू को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु एक सर्वेक्षण करवाया गया है और जिस पर हमने लगभग

13.65 लाख रूपये की धनराशि व्यय की है । इसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय मुझे यही बात कहनी है कि जो डी0पी0आर0 बनकर तैयार हुई है और हमारे पास दिनांक 16.01.2018 को तैयार होकर पहुंची है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, जलक्रीड़ा माउंटेन बाइकिंग, ट्रैकिंग और उसके साथ-साथ पर्यटन की दृष्टि से जो भी साहसिक गतिविधियां होती हैं वे सारी चीजें उसमें समाहित हैं। हम इन सबका का अवलोकन करने के पश्चात इमसें क्या कर सकते हैं आने वाले समय में इन सारे विषय पर हम विचार करेंगे। मैं इस विषय में इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू : माननीय अध्यक्ष महोदय हालांकि सवाल रोहडू विधान सभा क्षेत्र से था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्यटन के बारे में और भी कुछ बातें विस्तारपूर्वक कही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आपकी सरकार पर्यटन क्षेत्र में कोई कारगर नीति लाने वाली हैं? हिमाचल को पर्यटन की दृष्टि से बड़ी सुन्दर भौगोलिक स्थिति मिली है

श्री एस0एल0एस0 जी द्वारा जारी.....

08.03.2018/1200/SLS-AG-1

प्रश्न संख्याः 38.. जारी..

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु ...जारी

लेकिन बजट में जब देखा जाता है तो बजट में पर्यटन क्षेत्र के लिए कोई पैसा नहीं रखा जाता। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन काल का पहला बजट प्रस्तुत कर रहे हैं और पर्यटन आपकी प्राथमिकता में है, क्या इस बार पर्यटन क्षेत्र के लिए भी बजट का प्रावधान किया जाएगा और क्या हिमाचल प्रदेश में कोई ठेस नीति पर्यटन के संबंध में लाई जाएगी? पर्यटन के संबंध में किसी ठोस नीति का न

होना प्राईवेट इनवैस्टर्ज को भी दूर करता है और प्राईवेट इनवैस्टर्ज के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह सच्चाई है कि हम पर्यटन विषय पर लंबे भाषण देते रहे हैं लेकिन करना क्या है, उस पर हम ठोस निर्णय के साथ आगे नहीं बढ़ पाए। वजह यही है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पर्यटन की दृष्टि से जितनी भी संभावनाएं हैं, चाहे वह धार्मिक पर्यटन है, चाहे प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की एक विशेष छवि पूरे देश दुनिया में जानी जाती है, हम उसका लाभ नहीं उठा पाए हैं। इसके साथ-साथ पर्यटन की दृष्टि से जो संभावनाएं हमारे यहां पर हैं, जो अपर्चुनिटीज हैं, उन सारी चीजों पर हम ठोस नीति के साथ आगे नहीं बढ़ पाए। हमारी यह मंशा है, जैसे माननीय सदस्य श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी ने अपनी जानकारी लेने के लिए उत्सुकता जाहिर की है। अध्यक्ष महोदय, हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में हम निश्चित रूप से पर्यटन के क्षेत्र में नीति का निर्धारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ-साथ इन्होंने जो दूसरी बात कही, हमने भी पिछले कई वर्षों से देखा कि पर्यटन के लिए मात्र टोकन बजट रखा जाता है जो इस विभाग में सिर्फ़ रूटीन की गतिविधियों को संचालित करने की दृष्टि से रहता है। बजट मैं अभी कल प्रस्तुत करूंगा, उसके बारे में आज कुछ कहने की गुंजाईश नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हम इन सारे विषयों को लेकर विचार कर रहे हैं कि कुछ अच्छा होना चाहिए। जहां तक आपने प्राईवेट इनवैस्टर्ज़ की बात कही, इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए कि सरकारी क्षेत्र में पर्यटन पर हम

08.03.2018/1200/SLS-AG-2

चाहे भाषण देते रहें, योजनाएं बनाते रहें, उसमें जितनी संभावना है, उतनी ही है क्योंकि हमारे पास उस तरह के संसाधन नहीं हैं। ऐसे में जब हम दूसरे प्रदेशों में देखते हैं, उन्होंने इसमें बहुत खुलापन लाया है। खुलापन आने की वजह से उन प्रदेशों में इनवैस्ट करने वाले लोग बड़ी तादाद में जा रहे हैं और वहां जाकर उन्होंने वहां पर बहुत सारी चीजें पर्यटन को

बढ़ावा देने की दृष्टि से की हैं। उस दिशा में हम भी आने वाले समय में कोशिश करेंगे। इसमें आप सबका भी सहयोग चाहिए। आप इसमें जो भी सुझाव दे सकते हैं, हम इसके लिए तैयार हैं। आप भी सुझाव दे सकते हैं, यही मैं कहना चाहता हूं।

प्रश्न काल समाप्त

08.03.2018/1200/SLS-AG-3

<u>कागज़ात सभा पटल पर</u>

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2017-18 व अन्य कागज़ात सभापटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज महिला दिवस भी है। महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी को बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों को भी बधाई देता हूं और विशेष तौर पर यहां माननीय सदन में जो महिलाएं उपस्थित हैं, मैं आप सबको भी बधाई देता हूं। हिमाचल इस दृष्टि से बहुत तरक्की के साथ आगे बढ़ रहा है। आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में महिलाओं का हर क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है। महिला दिवस के अवसर पर इस संदर्भ में मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं **राज्य सरकार का वित्तीय वर्ष 2017-2018 का आर्थिक सर्वेक्षण** प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश वर्ष 2017-2018 में 6.3% की विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। 6.3% की वृद्धि पिछले वर्ष की 6.9% की वृद्धि दर से कम है जो सचमुच में हमारे लिए थोड़ा चिंता का विषय है। प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2016-2017 में 1,46,294 रुपये तक पहुंच गई है जिसका वर्ष 2017-18 में 1,58,462 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।

जारी ...श्री गर्ग जी

08/03/2018/1205/RG/AG/1

मुख्य मंत्री-----जारी

प्रचलित भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2016-17 में 1,24,236 करोड़ रुपये हो गया है तथा अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2017-18 में लगभग 1,35,914 करोड़ रुपये होने की संभावना है।

अध्यक्ष महोदय, मूल्यवृद्धि व मुद्रास्फिति का नियंत्रण हमारी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में राष्ट्रीय स्तर पर 4.2% वृद्धि की तुलना में प्रदेश में यह 5.3% रहा। प्रदेश का कुल बिजली उत्पादन क्षमता में से अभी तक 38.34% बिजली का दोहन किया गया है। राज्य में 622 मध्यम व बड़े पैमाने की औद्योगिक ईकाइयां तथा 45,597 लघु पैमाने की औद्योगिक ईकाइयां कार्यरत हैं। प्रदेश में बेहतर व शीघ्र सेवा के लिए सेवा अधिनियम लागू किया गया है। मेरी सरकार द्वारा लोकसेवा में दक्षता व गुणवत्ता में सुधार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आर्थिक सर्वेक्षण का मुख्य सार प्रस्तुत किया है। पूर्ण ब्योरे का संस्करण माननीय सदन में प्रस्तुत कर दिया गया है। धन्यवाद।

08/03/2018/1205/RG/AG/2

<u>सांविधिक ईकाई हेतु मनोनयन</u>

अध्यक्ष : अब माननीय कृषि मंत्री चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर की सीनेट के लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों को मनोनीत करने हेतु प्रस्ताव करेंगे।

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की धारा 11(1)A(vii) के

अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो माननीय सदस्यों को चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की सीनेट के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए जिस तिथि से अधिसूचना जारी होगी तथा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्टेच्यूट तथा रेगुलेशन के अधीन मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है। "

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की धारा 11(1)A(vii) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो माननीय सदस्यों को चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की सीनेट के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए जिस तिथि से अधिसूचना जारी होगी तथा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्टेच्यूट तथा रेगुलेशन के अधीन मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है। "

तो प्रश्न यह है कि "हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की धारा 11(1)A(vii) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो माननीय सदस्यों को चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की सीनेट के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए जिस तिथि से अधिसूचना जारी होगी तथा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्टेच्यूट तथा रेगुलेशन के अधीन मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है। "

प्रस्ताव स्वीकार

08/03/2018/1205/RG/AG/3

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कागज़ात सभा पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :-

i. हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2017-18;
ii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, सांख्यिकी सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःपीईआर(एपी)-सी-ए(3)-4/2017 दिनांक 21.09.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.10.2017 को प्रकाशित;
iii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, वर्ग-III(अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःपीईआर(एपी)-सी-ए(3)-5/2017 दिनांक 12.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.12.2017 को प्रकाशित;
iv. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, आशुटंकक, वर्ग-III(अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःपीईआर(एपी)-सी-ए(3)-2/2017 दिनांक 18.12.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.12.2017 को प्रकाशित;
v. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कम्पयूटर ऑपरेटर, वर्ग-III(अराजपत्रित) तकनीकी सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःपीईआर(एपी)-सी-ए(3)-1/2015 दिनांक

08/03/2018/1205/RG/AG/4

09.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 24.10.2017 को प्रकाशित;

vi. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, चपरासी, वर्ग-IV(अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःपीईआर(एपी)-सी-ए(3)-3/2010 दिनांक 10.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.10.2017 को प्रकाशित; और

vii. आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 70 व हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबन्धन, नियम 2011 की धारा 10 व 11 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन, लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 व 2016-17 (विलम्ब के कारणों सहित) ।

08/03/2018/1205/RG/AG/5

<u>गैर-सरकारी सदस्य कार्य</u> :

अध्यक्ष : आज गैर-सरकारी सदस्य कार्य होंगे। दो संकल्प यहां प्रस्तुत होने हैं। जिस प्रकार कार्य-सलाहकार समिति की बैठक हुई, उसमें यह निर्णय हुआ कि पहला संकल्प माननीय श्री राम लाल ठाकुर जी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें 45 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।

एम.एस. द्वारा जारी

08/03/2018/1210/MS/DC/1

और दूसरे संकल्प के लिए डेढ़ घण्टे का समय निर्धारित किया गया है। मैं पहले संकल्प को प्रस्तुत करने के लिए और चर्चा करने के लिए माननीय सदस्य श्री राम लाल ठाकुर जी को आमंत्रित करता हूं।

श्री राम लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, इस मान्य सदन में नियम 101 के अधीन मैंने निवेदन किया था कि बिलासपुर जिला और बिलासपुर शहर अखबारों के माध्यम से हररोज़ सुर्खियों में रह रहा है। कई बार वहां के स्थानीय विधायक के नेतृत्व में बिलासपुर से शिष्ट-मण्डल माननीय मुख्य मंत्री जी से अलग-अलग समय पर मिले भी हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, मेरा आपसे आग्रह है कि आप पहले संकल्प प्रस्तुत कर लें।

श्री राम लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प बाद में प्रस्तुत कर दूंगा।

अध्यक्षः ठीक है।

श्री राम लाल ठाकुरः आज वहां ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है कि जिला प्रशासन ने और बिलासपुर म्युनिसिपल कमेटी ने समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है कि जिन्होंने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है उनको तुरन्त हटाया जाएगा। अध्यक्ष जी, कहा यह जाता है कि ये उच्च न्यायालय के आदेश हैं इसलिए आदेशों का पालन सरकार कर रही है। मुझे मालूम है कि माननीय मुख्य मंत्री जी भी उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लेख करेंगे लेकिन अध्यक्ष जी कुछ ऐसी वस्तुस्थिति है जिसके बारे में मैं मान्य सदन को अवगत करवाना चाहता हूं। बिलासपुर में जो हमारा शहर बना या बिलासपुर के जो भी लोग भाखड़ा बांध के कारण विस्थापित हुए, तो भाखड़ा बांध को बनाने की प्रक्रिया वर्ष 1944 में

शुरू हुई थी। उन दिनों पंजाब और हिमाचल प्रदेश में राजाओं का समय था। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिला के जो राजा साहब होते थे उनके बीच में और पंजाब के उस

समय के रेवेन्यु मिनिस्टर सर छोटू राम जी के मध्य में एक समझौता हुआ था। उस समझौते के बाद इस प्रोजैक्ट के ऊपर जो प्रिलिमिनरी वर्क था उसको वर्ष 1945 में अंतिम रूप दिया गया। उस समय हम प्रजातंत्र के अधीन नहीं थे क्योंकि वह राजाओं का समय था। अध्यक्ष जी, डैम के कार्य को शुरू करने के आदेश वर्ष 1948 में हुए और उसी के अधीन 17 नवम्बर, 1955 को भारतवर्ष के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस प्रोजैक्ट का काम शुरू करवाया। अध्यक्ष जी, परिस्थितियां ये थीं कि उन दिनों लोगों की सोच यह थी कि नदियों के रुख को नहीं मोड़ा जा सकता। लोगों का विश्वास था कि राजाओं और महाराजाओं की जो भाषा है या उनके जो कहे हुए शब्द हैं उनको वापिस नहीं किया जा सकता। ये भावनाएं पुराने लोगों की थीं।

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जब यह कार्यक्रम शुरू हुआ तो उस समय बिलासपुर के लोगों को अपने मकान और जमीनें छोड़ने के लिए नोटिस दिए गए। बिलासपुर की कृषि योग्य 10 हजार एकड़ जमीन जिसमें ज्यादातर हमारे क्यार जिनमें धान की फसल होती थी तो बिलासपुर से लेकर भाखड़ा तक वह सारी-की-सारी जमीन सबमर्ज हो गई। उपाध्यक्ष जी, इसके अधीन 20000 एकड़ जमीन आई जो फॉरैस्ट लैण्ड होती थी। उसके बाद लोगों को वहां से उठाने का काम शुरू हुआ लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 1962 में वहां से पानी पहली बार चढ़ा

जारी श्री जे0के0 द्वारा---

08.03.2018/1215/जेके/डीसी/1

श्री राम लाल ठाकुरः------**जारी**------

और एक ऐसी परिस्थिति थी कि लोग अपने घरों को खाली नहीं करना चाहते थे। बिलासपुर शहर के अन्दर ऐसे लोग थे जो सोचते थे कि पानी रोका ही नहीं जा सकता

लेकिन जब 10-10, 15-15 फुट पानी चढ़ना शुरू हुआ तो लोग अपना कुछ सामान उठा करके अपने घरों से बाहर आ गए और बाकी पूरा शहर पानी में मर्ज़ हो गया। जब पानी नीचे उतरा तब लोगों ने घरों के अन्दर बचा हुआ सामान निकाला।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से क्योंकि उन दिनों लैफ्टिनैंट गवर्नर के आदेश होते थे। उन दिनों डिप्टी कमिशनर और एक्सियन लैफ्टिनैट गवर्नर के बीहाफ पर आदेश करते थे। उन दिनो ईनाम रखा गया था कि जो सबसे पहले अपना मकान बनाएगा उसको 500/-रूपये का पुरस्कार मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, जो पटवारी ने बता दिया कि ये तुम्हारी जगह है इस पर मकान बना लो। लोगों में होड़ थी। प्लॉट कहीं पर था और मकान व दुकान का प्लॉट कहीं और बन गया। मैं कहना चाहूंगा कि यही गांव में भी हुआ था। कांगड़ा जिला बड़ा था और ऊना के 110 परिवार कुटलैहड़ चुनाव क्षेत्र के प्रभावित हुए। 256 गांव बिलासपुर जिला के विस्थापित हुए और 5 गांव मण्डी जिला के जो सलापड़ के ऊपर के गांव पड़ते हैं, वे उसके अधीन आए। जो लोगों को बसाया गया उसमें न उजड़ने वालों को मालूम था कि हमारा बसाव कैसे होगा और न उजाड़ने वालों को मालूम था कि उनका बसाव कैसे करना है? दिल्ली में नक्शे बनें। जहां पर मार्किट होनी थी वहां पर बस स्टैंड बन गया। उन्हीं नक्शों को वहां पर बिलासपुर में फिट इन किया गया। जहां पर कॉलेज बनना था वहां पर हॉस्पिटल बन गया और जहां पर हॉस्पिटल बनना था वहां पर डिग्री कॉलेज बन गया। लोगों ने जो नीचे प्लॉट दिए वह उनके बर्तन की जगह थी। कई बीघा जगह लोगों की शहर के अन्दर थी लेकिन उनको ऊपर एक प्लॉट मिला । लोगों का दर्द यह था कि वे ज्वाइंट हिन्दू फैमिली में रहते थे। कोई भी यह नहीं बताना चाहता था कि हमारे परिवार के टुकड़े हो गए। कई चार-चार भाई थे। उनको एक ही प्लॉट दिया गया। वे अलग नहीं हुए। कई जो ज्यादा चालाक थे उन्होंने चार-चार प्लॉट ले लिए। आज मैं कहना चाहूंगा कि परिस्थिति यह है कि बिलासपुर में जो अतिक्रमण हुआ वह जरूरत के मुताबिक हुआ। लोगों

08.03.2018/1215/जेके/डीसी/2

के चार भाई थे उनके आगे बच्चे हो गए। बाहर जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं था और बसाव ऐसा हुआ कि कोई 450 सक्वेयर फुट का प्लॉट मिल गया, कोई 1800 सक्वेयर फुट का प्लॉट मिल गया और कोई 900 सक्वेयर फुट का प्लॉट मिल गया। जरूरत के मुताबिक लोगों ने जो पास में आगे-पीछे, इधर-उधर जगह खाली बची थी, उसका उन्होंने अतिक्रमण किया लेकिन आज उनकी हालत यह है कि उनको रोज नोटिस आ रहे हैं। जिलाधिकारी गाड़ियों में बैठ करके 48 घंटे का नोटिस देते हैं। अब माननीय हाई कोर्ट ने कुछ सीमा तय की है और शायद 28 मार्च का समय मिला है। उसके बाद क्या होगा, यह भविष्य के गर्भ में है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय को इसलिए उठाना चाहता हूं कि प्रश्न बिलासपुर शहर का नहीं है, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी लोग वहां से उजड़े थे उनको हिसार में बसाया गया, कोई फतेहबाद में चले गए। हिसार जिला में उनको तीन-चार जगहों में बसाया गया। कुछेक को ऊना जिला में बसाया गया, कुछेक को नालागढ़ में ज़मीनें दी गई और कुछेक को पंजाब के अन्दर रोपड़ जिला में भी जगह दी गई। उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग हरियाणा में चले गए वहां पर कुल 800 लोगों को बसाया गया। जमीन का जो कॉम्पन्सेशन लोगों को मिला, उसी से पैसा काट करके वह पंजाब सरकार को क्योंकि हरियाणा अलग से नहीं था उस समय

श्री एस0एस0 द्वारा जारी------

08.03.2018/1220/SS-HK/1

श्री राम लाल ठाकुर क्रमागतः

हमारे ही कम्पनसेशन के पैसे से पैसा जमा करवा कर हरियाणा में ऐसी नेगलैक्टिड जगह उनको दी गई। उन्होंने मेहनत से अपना काम किया। खेत बना लिए, मकान हो गए।

उपाध्यक्ष महोदय, पीछे मैं वहां गया था, लोग वहां पर रोते हैं। लोग यह कहते हैं कि आज न हरियाणा के लोग हमको मान रहे हैं और हमारी जमीनों पर अतिक्रमण हो रहा है। अभी तक कुल मिलाकर वहां पर 800 लोगों का बसाव हो पाया है। उनकी जमीनें हरियाणा के लोगों ने कब्जे में कर रखी हैं। आज लोगों को वहां पर कोई न्याय नहीं मिल रहा है। मेरा सदन से यह निवेदन है कि प्रश्न सिर्फ यही नहीं है बल्कि प्रश्न यह है कि यही व्यवस्था कोटधार में थी। ऐसा ही नैनादेवी की धार में हुआ था। उनका दर्द समझने की बात है जिन्होंने अपना घरबार छोड़ दिया। जो भाखड़ा बांध है, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने कहा था कि प्रजातंत्र में यह हमारा पहला मंदिर है। अब मैं यह कहना चाहूंगा कि वहां से जो विस्थापित हुए, कई सरकारें चली गईं --(व्यवधान)-- यहां पर महेन्द्र सिंह जी हंस रहे हैं। वे इसलिए हंस रहे हैं कि ये बोलेंगे कि कांग्रेस पार्टी की सरकारें थीं। मैं यह कह रहा हूं कि सरकारें जिस मर्जी की हों, कृपा करके उनके दर्द को समझा जाए। उपाध्यक्ष महोदय, आज होता यह है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास फाइल बन कर जाती है, जो एडवोकेट फाइल लेकर चला जायेगा चाहे वह सबोर्डिनेट ज्यूडिशरी है, चाहे वह हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है उसके मुताबिक कोर्ट फैसला करता है। मेरा निवेदन यह है, मान लो हम इस माननीय सदन की बात करें, एक सदस्यों के अलावा सारे-के-सारे स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं। भाखड़ा विस्थापितों का दर्द, शायद मैं कहूंगा कि हम लोगों को उतना नहीं है जितना पुराने लोगों को था जो हिसार में चले गए। जो आज भी गांव में कोटधार के अंदर और नैनादेवी की धार के अंदर बुजुर्ग बैठे हैं आज उनका दर्द समझने की बात है। उनको भी पटवारियों ने कहा था कि कब्जा कर लो वहां पर यह तुम्हारी जगह है। बाद में यह पता लगा कि उनकी जगह डेढ़ किलोमीटर दूर थी। उन दिनों वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री थे। 1987 में कोटधार और नैनादेवीधार का मिनी-सैटलमैंट हुआ कि जहां पर ये लोग बसे हैं वह जमीन उनके नाम करवा दी जाए। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय सारी की सारी प्रकिया यहां पर समाप्त नहीं हो जाती। माननीय वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद मैं इसलिए भी करना चाहूंगा कि थोड़ा-थोड़ा पैसा लोगों के पास होता था, उपाध्यक्ष महोदय,

08.03.2018/1220/SS-HK/2

कम्पनसेशन कितना मिला? जो हमारी क्यार वाली जमीन थी उसका 100 रुपये से ज्यादा कम्पनसेशन नहीं मिला। 27 रुपये, हमारी 8 आन्ने और 12 आन्ने किस्म की जगह थी, उसका कम्पनसेशन मिला। ढाई रुपये कम्पनसेशन पनचक्कियों का मिला। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि जो दुर्दशा भाखड़ा विस्थापितों की हुई, आज वे रोने के लिए विवश हैं। आज जब बाहर नोटिस लगता है तो कहते हैं कि ये मकान अब उखड़ जायेगा। मेरा निवेदन यह है कि मान लो जो जज साहब ने आदेश किये हैं वे भी स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं, जो फाइल उनके पास आई, जो हमारे ऑफिसर्ज़ ने फाइल वहां पर दे दी, उसके आधार पर हाई कोर्ट ने फैसले किये। मेरा निवेदन है कि एक मानवता का ऐंगल है उसको ध्यान में रखकर सरकार इंटरवीन करे। माननीय वीरभद्र सिंह जी ने पीछे कहा था। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने कहा था कि जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उनकी 150 गज जगह रेगुलर हो जायेगी। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय जो इम्बारगो हाई कोर्ट ने लगा रहा है वह यह है कि मान लो किसी ने पार्क, सड़क या फॉरैस्ट लैंड के हिस्से पर या किसी ने सीवरेज सिस्टम के पास अतिक्रमण कर रखा है वे जमीन के मालिक नहीं बन सकते। कुल मिलाकर 18 आदमियों को उसका फायदा हुआ, बाकी किसी को फायदा नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यह एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए था। डिप्टी कमिश्नर, बिलासपुर को भी देखना चाहिए था। हिमाचल प्रदेश में नाजायज़ कब्जों को रेगुलर करने के लिए उस समय की सरकार ने लोगों से आवेदन मांगे। फार्म बिके। लोगों ने पटवारियों की पूजा करनी शुरू कर दी। सब ने एप्लाई किया कि मेरा यह नाजायज़ कब्जा है और इसके मुताबिक यह मुझे मिलना चाहिए। मुझे उसका मालिक बनाया जाना चाहिए। मैं यह नहीं कहूंगा कि किसके टाइम में यह हुआ।

जारी श्रीमती के0एस0

08.03.2018/1225/केएस/एचके/1

श्री राम लाल ठाकुर जारी---

उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय,उनको नोटिस आया, उनके खिलाफ केस दायर हो गया। वही लिस्ट हाई कोर्ट को चली गई। डिप्टी कमिशनरों ने भेजी और उसी लिस्ट के मुताबिक

हाई कोर्ट ने आगे आदेश किए। गांव के लिए भी अलग से आदेश किए और शहरों के लिए भी अलग से आदेश दिए। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आज बिलासपुर शहर को उजाड़ने की बात आएगी तो मैं कहूंगा कि एक भी मकान नहीं बचेगा। फिर पूरे के पूरे शहर को मिट्टी में मिलाना पड़ेगा। उन्हें नई जगह बसाना पड़ेगा लेकिन आज सरकार को इस वेदना को समझने की जरूरत है। मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि कृपया ये देखें कि बिलासपुर के जिन लोगों ने इस भाखड़ा बांध के लिए अपना सर्वस्व न्योच्छावर किया, गांव छोड़ दिए, अपनी संस्कृति छोड़ दी, आज उनसे अगर इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है और आज अगर उनको अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं तो उसमें मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को आगे आकर कोई नीति बनानी चाहिए जिससे भाखड़ा विस्थापितों के दर्द को खत्म तो क्या करना लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी आए ।

उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि 45 मिनट दे रखे हैं, बाकी सदस्यों ने भी बोलना है इसलिए मेरा निवेदन है कि मानवता के आधार पर बिलासपुर के लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए सरकार नई सोच से एक हाई पावर्ड कमेटी बनाएं और उसके बाद सरकार केस लेकर हाई कोर्ट में जाए कि लोगों का बसाव होना बहुत जरूरी है और भाखड़ा विस्थापितों से कहीं पर भी अगर उन्होंने कब्जा कर रखा हो, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था । 100 रु0 बीघा सिंचाई वाली जमीन का कॉम्पेन्सेशन क्या होता है? 12 रु0 14 रु0 बंजर जमीन का कॉम्पेन्सेशन लोगों को मिला वह क्या होता है? बिलासुपर शहर में 1200रु0, 800 रु0 कॉम्पेन्सेशन उस समय मिले क्योंकि लोगों को ये ही पता नहीं था कि रैफ्रेंस भी कोई चीज़ होती है। लोग कोर्ट में नहीं गए। कोर्ट में वे लोग गए जो उस समय बिलासपुर के बड़े-बड़े नेता थे। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। बहुत सारे नेताओं

08.03.2018/1225/केएस/एचके/2

ने कॉम्पेन्सेशन के बारे में रैफ्रेंस किया उनका पैसा तो बढ़ गया लेकिन बिलासपुर के 99 परसेंट लोग कोर्ट में नहीं गए क्योंकि उनको रैफ्रेंस के बारे में पता ही नहीं था। उन्होंने अपने घर-बार छोड़े और आज इस दर्द को बांटने की जरूरत है। मैं माननीय सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि इस विषय के ऊपर आप लोगों को भी जो आप लोगों की सोच है उन भाखड़ा विस्थापितों के दर्द को खत्म करने के लिए माननीय सदन उस पर चर्चा करें। मैं संकल्प प्रस्तुत करना चाहता हूं कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि भाखड़ा बांध विस्थापित परिवारों ने जहां-जहां पर प्रदेश की भूमि में कब्जे किए हैं, उन्हें यथावत् नियमित करने हेतु नीति बनाई जाए।" उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद।

उपाध्यक्षः संकल्प प्रस्तुत हुआ कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि भाखड़ा बांध विस्थापित परिवारों ने जहां-जहां पर प्रदेश की भूमि में कब्जे किए हैं, उन्हें यथावत् नियमित करने हेतु नीति बनाई जाए।" इसके लिए 60 मिनट का समय निर्धारित हुआ है। माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अपना-अपना वक्तव्य 10-15 मिनट में ही पूर्ण करें। अब इस चर्चा में भाग लेने के लिए मैं जीत राम कटवाल जी को आमंत्रित करता हूं।

08.03.2018/1225/केएस/एचके/3

श्री जीत राम कटवालः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री राम लाल ठाकुर जी ने भाखड़ा बांध से सम्बन्धित और विस्थापितों की समस्याओं से सम्बन्धित जो मामला उठाया है, जिस बारे में समय-समय पर चर्चा भी हुई होगी परन्तु कुछेक मुद्दे ऐसे हैं

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी...

8.3.2018/1230/av/yk/1

श्री जीत राम कटवाल----------जारी

जो आज तक यथावत हैं और मैं आपकी आज्ञा से इन पर प्रकाश डालना चाहूंगा। यहां पर जैसे कहा गया कि भाखड़ा बांध की नींव वर्ष 1944 में रखी गई और इसका निर्माण कार्य वर्ष 1962 में पूरा हुआ। बिलासपुर पार्ट-सी स्टेट होती थी और उसके चीफ कमीश्नर सी0एल0 छाबड़ा थे। पंजाब के तत्कालीन अधिकारियों के साथ इस डैम के बारे में एक एग्रीमैंट होना प्रस्तावित था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि बिलापुर के विस्थापितों का त्याग की सूची में प्रथम स्थान है परंतु लाभ की सूची में कहीं भी नहीं है। भाखड़ा डैम से जो पानी गया या बिजली बनी उससे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान इत्यादि राज्य हरे-भरे हो गये, जगमगा गये और उन इलाकों में 10, 20,30, 40 गुणा ग्रोथ हुई। राष्ट्र में एक बात यह भी कही जाती है कि भाखड़ा बांध स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी परियोजना है और इसको एक मंदिर के रूप में देखा जाता था। प्रथम प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरु जी ने भी कहा था कि इन विस्थापितों को इतने अच्छे तरीके से विस्थापित किया जायेगा कि ये विस्थापन का दर्द भूल जायेंगे। मगर इस बारे में आज तक विधान सभा में जितनी भी चर्चाएं हुईं, मामले हुए; आज तो मामला माननीय उच्च न्यायालय में पहुंच चुका है। विस्थापितों में बिलासपुर शहर की जो विशेष समस्या है जिसका अभी माननीय सदस्य श्री राम लाल ठाकुर जी ने जिक्र किया है वह गले तक आ

पहुंची है। इस बारे में कोर्ट के आदेश है जिसकी 28 मार्च की डेट बताई जा रही है। मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि चर्चा के बाद यह सदन और सरकार कुछ-न-कुछ हल निकालेगी क्योंकि ये विस्थापित बहुत ही गम्भीरतम परिस्थितियों से गुजरे हैं। मैंने सबसे बड़ी बात यह देखी है कि उस वक्त 12,000 परिवार विस्थापित हुए थे। मैं झण्डुता चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं और 6,000 परिवार मात्र झण्डुता चुनाव क्षेत्र से सम्बद्ध रखते हैं। जहां तक कम्पनसेशन की बात हुई थी तो उस समय भाखड़ा डैम से पूरे 371 गांव प्रभावित हुए थे। उसमें से 254 या 256 गांव जिला बिलासपुर से सम्बद्ध रखते थे। उस समय 100 रुपये, 50 रुपये और 25 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से मुआवज़ा दिया गया था जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा उपहास है और एक बहुत बड़ी त्रासदी को बयान करता है। कोटधार क्षेत्र

8.3.2018/1230/av/yk/2

जो कि मेरे झण्डुता चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत आता है वहां आज भी 14 की 14 पंचायतें पिछड़ी हैं। वहां से लोगों को अपने जिला कार्यालय आने के लिए अगर भड़ोलियां-माण्डवा-झण्डुता से होकर जाना पड़े तो 96 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। किसी कारण से यदि वह रास्ता भी बंद हो जाए तो बाया शाहतलाई-बरठीं होकर के 104 किलोमीटर तय करके मुख्यालय पहुंचते हैं। वहां वर्ष 1998 में यातायात के लिए एकमात्र माण्डवा पुल खोला गया था जबकि इसके एग्रीमैंट में कई पुलों का जिक्र है। उसमें ऐसा भी जिक्र है कि मुफ्त बिजली दी जायेगी और उनको बसाने तथा पुनर्वास के माकुल इन्तजाम किए जायेंगे। मगर आज 57 वर्ष बीत जाने के बाद भी वहां कोई इन्तजाम या उचित व्यवस्था धरातल पर नहीं है। कोटधार क्षेत्र में वर्ष 2005 में बाघछाल पुल का कार्य शुरू हुआ था। वर्ष 2007 में उस पुल का कार्य बंद हो गया जबकि कम्पनी के साथ उसको 2008 में पूर्ण करने का कॉंट्रैक्ट/एग्रीमैंट था।

श्री टी0सी0 द्वारा जारी

8.3.2018/1235/TCV/YK-1

श्री जीत राम कटवाल.... जारी

लेकिन वर्ष 2016 में स्थानीय लोगों को हाईकोर्ट में जाना पड़ा और अब उसका काम हाईकोर्ट के आदेश से पूरा हो रहा है। शायद अगले वर्ष 2019 के मध्य तक यह कार्य पूरा होगा। इसकी मॉनिटरिंग हाईकोर्ट करता है और उसकी देखरेख में यह तैयार हो रहा है। इसकी कीमत जो 22 करोड़ थी, वह अब बढ़कर 45 करोड़ के आस-पास पहुंच गई है। एक्वाजिशन के बारे में जैसा कि माननीय सदस्य श्री रामलाल ठाकुर ने दर्द व्यक्त किया, लोगों को कहा गया कि जंगलों में चले जाओ और वे लोग झाड़ियों के घरों में रहने के लिए मजबूर हो गये। मेरे चुनाव क्षेत्र की 14 पंचायतें आज भी पिछड़ी हुई है, उनमें घास और लकड़ियों की दीवारें आज भी देखने को मिलती हैं। 28 हजार हैक्टेयर लैंड बिलासपुर जिला की एक्वायर हुई थी। कुल 41,600 एकड़ जमीन इस डैम में एक्वायर की गई और करीब 1,03,700 एकड़ जमीन प्रभावित हुई। इस डैम के बनने से उस जमीन का उपयोग करने से लोग वंचित हो गये। ऐसी उनकी कहानी रही है। ये सारे-की-सारी एक्वाजिशन किसी पॉलिसी के तहत या ठोस कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं हुई। सरकार के आदेश पर लोगों को यह कहा गया कि आप उठकर जंगलों में चले जाओ। जहां पहुंच गये, वहां 10-20 साल बैठ गये और आज 57-58 साल बाद भी जस-के-तस हैं तथा ज्यादातर लोग वहां से माईग्रेट होने हो विवश हैं। इनमें से कोई नालागढ़, बिलासपुर, शिमला, सोलन और कोई रोपड़-कीरतपुर की तरफ चले गये। इसको चाहे उनकी विवश्ता कहे या जीवन की प्रताड़ना, जिसके अन्तर्गत उन्होंने ये रास्ते चुने। वर्ष 1971 में भाखड़ा डैम विस्थापितों के लिए पहली बार स्कीम बनी और जमीन वर्ष 1944-1945, 1950-1952 व 1954 में एक्वायर हुई। वर्ष 1955 से 1960 के बीच में इस जमीन की एक्वाजिशन का ज्यादातर कार्य हुआ और वर्ष 1962 में लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। मेरे चुनाव क्षेत्र में 2 व्यक्तियों

ने अपनी जान भी दे दी थी। वे पानी में रहे और दूसरे दिन जब उनको घर लाया गया तो उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी।

8.3.2018/1235/TCV/YK-2

एक महीने के अन्दर लैंड के मामले सैटल करने थे। आज यातायात व सम्पर्क की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्या आज भी लैंड एक्वाजिशन/बंटवारा एक महीने के अंदर संभव हो सकता है? यह आप सभी भली-भान्ति जा सकते हैं। वे लोग किसी और स्थान पर रह रहे हैं और उनके नक्शे किसी और स्थान के बने हैं। जिसके कारण उनको आज भी बिजली, पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उनको अवैध कब्जाधारक करार देकर, हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देकर, आज भी प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरा यह मानना है कि सरकार इसके बारे में शीघ्रतम कोई निर्णय लें और

श्रीमती एन0एस0 द्वारा जारी....

08-03-2018/1240/NS/AG/1

श्री जीत राम कटवाल ------ जारी

यह सदन उसमें अपनी सहमति दे। यह एक सांझा मामला है और व्यवस्था की बात है। जिन लोगों ने भारत वर्ष की खुशहाली के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया है, वे बिलासपुर के वासी हैं। आज उनकी हालत दयनीय है। उन्हें इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए हम सभी लोगों को साथ खड़े होने की आवश्यकता है। मैं आप सबसे से इनके लिए अनुरोध करता हूं कि आप इनकी ज़मीनों को रेग्युलराईज़ करें, अगर कोई एनक्रोचमैंट बनती है तो इसमें correction of Revenue entry एक तरीका है और वह भी संभवतः हो सकता है। अभी जब बिजली और पानी काटने की बात यहां पर आई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसकी पैमाइश खड्ड की तरफ से शुरू की गई थी जिसके कारण लोग अपने घरों से बाहर हो गये थे। ऐसा भी हो सकता था कि लोगों के घरों से पैमाइश की जाती ताकि उनके घर बच जाते। अगर कोई ज़मीन छूटनी थी आधा या एक बीघा तो वह किनारे वाली ज़मीन छूटती। यह लोग एनक्रोचर नहीं हैं।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य से निवेदन है कि वे वाईंड अप करें।

श्री जीत राम कटवालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में वाईंड अप करता हूं। इन लोगों को अवैध कब्ज़ाधारक नहीं कहा जा सकता है। इन्होंने अपनी सम्पत्ति इस राष्ट्र की खुशहाली के लिए दे दी है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल जो आज अनाज़ के घर और भण्डार कहे जाते हैं, वह बिलासपुर के लोगों की देन है। इसमें बिलासपुर की ज़नता का महत्वपूर्ण योगदान है। मैं यहां इतना ही कहना चाहूंगा कि 'दीपक तले अंधेरा।' जिन्होंने अपनी ज़मीनें दी हैं वे आज सब परेशानियां सह रहे हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इनकी ज़मीनों की रेग्युलराईजेशन करें या मिनी सैटलमैंट करें। यह पहले भी इस्तेमाल हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने चुनाव अभियान के दौरान जहां-जहां भी गया वहां पर देखा कि लोग गम्भीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। बिजली, पानी और सड़क के बिना रह रहे हैं और आज भी घास के घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस ज़मीन की पैमाइश नये तरीके से की जाये और उसमें कोरैक्शन की जाए तथा उनको रेग्युलर किया जाए। सरकार इस पूरे सदन के सहयोग से इन विस्थापितों के

08-03-2018/1240/NS/AG/2

लिए नीति बनाये और इसके लिए शीघ्र हाई पॉवर्ड कमेटी बनायी जाये। इसमें हाई कोर्ट से भी सिंगल जज़ का फैसला आया है और उसमें भी रिवीज़न पैटीशन डालने की आवश्यकता है तथा इन तथ्यों से हम माननीय उच्च न्यायालय को अवगत करवा सकते हैं। अगर पहले कहीं कोई बात छूट गई है तो ईश्यू यह नहीं है कि वह बात कब छूटी और क्यों छूटी? मामला यह है कि अगर हम आज राह देने की क्षमता रखते हैं तो इसके लिए हमें आगे आना चाहिए और हम सबको मिल करके कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि Corporate Social Responsibility (CSR) के तहत 7.19 प्रतिशत का शेयर भाखड़ा बांध परियोजना से मिलता है। यह केस शायद सुप्रीम कोर्ट में चला है। उपाध्यक्ष महोदय, आज तक इसके तहत मिलने वाली राशि शायद ही बिलासपुर जिले के लिए खर्ची गई हो। यह सरकार दो महीने पुरानी है और अभी शुरूआत है तथा सबके सहयोग से इस तरह के गम्भीर मुद्दों के ऊपर हमें एकमत होकर आगे आना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन तथ्यों के अनुरूप शीघ्र कार्रवाई की जाये और जिनकी अवैध

कब्ज़ाधारक के नाम से प्रताड़ना हो रही है उन्हें मुक्ति दिलायी जाये। मेरे हिसाब से अवैध कब्ज़ाधारक बोलना ही बहुत बड़ा अपमान है। आपने बोलने का समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

08-03-2018/1240/NS/AG/3

उपाध्यक्षः अब इस चर्चा में माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी भाग लेंगे।

श्री वीरभद्र सिंहः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ठाकुर राम लाल जी ने जो सदन के सामने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाया है, मैं पूरी शक्ति के साथ इसका समर्थन करता हूं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। क्योंकि यह हज़ारों लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है और उनकी खुशहाली से जुड़ा है। जो लोग भाखड़ा बांध के बनने की वजह से उज़ड़ गये हैं, उनको स्थायी रूप से स्थापित करने का प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में भारत सरकार, प्रदेश सरकार और ज़नता के बीच में काफी विचार विमर्श होता रहा है।

08.03.2018/1245/RKS/AG/1

श्री वीरभद्र सिंह... जारी

मगर हर वक्त जब भी इनको बसाने की बात होती है तो सबसे बड़ा विरोध हरियाणा, पंजाब और उन इलाकों से होता है, जिनको भाखड़ा बांध से फायदा पहुंचा है। उनकी ज़मीनों को यहां से सिंचाई की व्यवस्था हो रही है। किसी ने भी इन उजड़े हुए लोगों को स्थापित करने के लिए काई कदम नहीं उठाया। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने बार-बार इस मसले को भारत सरकार, BBMB और संबंधित राज्यों से उठाया है। मगर उनका रवैया हमेशा ढुलमुल रहा और इसमें कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। आज इस बात की आवश्यकता है कि इन विस्थापितों ने इतने वर्षों के अंदर कहीं अपने लिए आशियाना ढूंढा? क्या वे स्थापित हो गए हैं? सरकार को चाहिए कि वे उन्हें वहीं पर मलकीयत भूमि प्रदान करें, जहां वे स्थायी रूप से रहते हैं। यह बहुत आवश्यक है। पंजाब, हरियाणा व राजस्थान

इन राज्यों को हमारे पानी से फायदा पहुंचा है। वैसे तो ये राज्य बातचीत में हमदर्दी दिखाते हैं, मगर प्रैक्टिकल रूप से वे कुछ भी कदम उठाने में पीछे रहते हैं। । राजस्थान को पौंग डैम से पानी दिया गया परन्तु वहां पर हमारे कितने लोग विस्थापित हुए हैं। उन विस्थापितों को सब्जबाग दिखाए गए थे कि जब पानी पहुंचेगा, नहर आएगी तो उसी नहर के किनारे इन लोगों को बसाया जाएगा परन्तु ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह भाखड़ा बांध में भी ऐसा ही हुआ। आज तक जो लोग उजड़ गए हैं, वे उजड़े ही हैं। आज इनकी दो पीढ़ियां हो चुकी हैं और तीसरी पीढ़ी आने वाली है। ये लोग खानाबदोश तो नहीं रह सकते थे। इन्हें कहीं-न-कहीं तो बसना ही था। इन लोगों को जहां भी जगह मिली वहीं पर इन्होंने अपना आशियाना बनाया। वहां पर उन्होंने अपनी खेती की और आज वे वहीं पर बसे हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि विस्थापितों की नीति का हम विरोध करें और जो जहां बसा है उसे वहीं पर ज़मीन दी जाए। उनके लिए अगर बाहर कहीं जगह नहीं मिलती है तो हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के आस-पास ही कोई खाली जगह ढूंढकर उन्हें स्थापित किया जाए। यही न्यायपूर्ण होगा। इस बात को बताने की जरूरत नहीं है कि भाखड़ा बांध आज़ाद हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी पन-बिजली परियोजना थी। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने इसके लिए बड़ी दिलचस्पी दिखाई

08.03.2018/1245/RKS/AG/2

थी। बांध का निरीक्षण करने के लिए वे हमेशा लगभग एक महीने के अंदर भाखड़ा आते थे कि बांध कितना तैयार हुआ है। उनको इस बात की चिंता थी और उन्होंने बार-बार कहा कि जो विस्थापित हुए हैं उनको पुनःस्थापित करना हमारा प्रथम कर्त्तव्य है। यह बात अमलीजामा बन गई क्योंकि कुछ लोग हरियाणा भेजे गए। जैसे मुझ से पूर्व राम लाल ठाकुर जी ने कहा कि विस्थापितों के साथ क्या हुआ? उनकी ज़मीनें छीन ली गई। उन लोगों ने वहां पर मकान बनाया है परन्तु वे वहां पर खेती नहीं कर सकते। जो लोग पौंग डैम की

वजह से विस्थापित हुए उनको नहरी ज़मीन देने की पेशकश की गई थी। ऐसा सब्ज़बाग दिखाया गया था, मगर ऐसा नहीं हुआ।

श्री बी0एस0 द्वारा .....जारी

08.03.2018/1250/बी0एस0/डी0सी0-1

श्री वीरभद्र सिंह द्वारा जारी.....

बहुत कम लोगों को पुनः स्थापित किया गया। उस समय कुछ लोग हिमाचल प्रदेश के अन्य हिस्सों में बस गए। आज जहां भी वे लोग बसे हैं, जो जिस जमीन पर काबिज हैं उसी के ऊपर उनको बसाया जाए और तोड़-फोड़ न की जाए। मैं सरकार से यही आग्रह करूंगा कि इसमें मानवीय दृष्टि से कार्य किया जाए, कानूनी तरीके से नहीं। कानून धाराओं पर चलता है। जो आदमी जहां बस गया है, चाहे वह बिलासपुर का शहर है, बिलासपुर का शहर कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है क्योंकि वहां की जमीन तो गोविंद सागर में चली गई है। जो सांढू का जो मैदान था जिसके आसपास सारी आबादी थी, वह सारा पानी में आ गया। थाड़ी सी ही जगह बची उसमें लोग बस गए। जो थोड़ी सी जमीने बची थी आज इतने अरसे बाद उनके भी बंटवारे हो गए हैं। इसलिए मेरे विचार से उन लोगों के साथ छेड़-छाड़ नहीं होनी चाहिए। जो परिस्थिति है उसी परिस्थिति को स्वीकार करते हुए उसको रेगुलराईज कीजिए और जो बाकी विस्थापित हैं उनको पुनः विस्थापित करने के लिए सरकार उनको कोई जगह छांट कर उनको बसाए। जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बस चुके हैं खेती-बाड़ी कर रहे हैं उन्हें वहां से न छेड़े। मैंने बाद में बंदोबस्त करवाया था और उन लोगों को जमीन का मालिक बना दिया था। उसके अलावा भी जो ऐसे लोग हैं उनको फिर से बंदोबस्त करके जहां जो जिस जमीन पर काबिज है वहीं उनको रेगुलराईज करके वहीं बसा दिया जाए। कृपया उन्हें वहां से उखाड़ने की कोशिश न की जाए, धन्यवाद।

08.03.2018/1250/बी0एस0/डी0सी0-2

श्री सुभाष ठाकुरः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो यह विषय हमारे बड़े भाई, आदरणीय राम लाल ठाकुर जी ने विस्थापितों के ऊपर चिंता जाहिर की है, यह हमारे चुनाव क्षेत्र में लगता पार्ट है और इससे ज्यादातर लोग प्रभावित हैं। मैं भी सदन के माध्यम से अपने बिलासपुर के लोगों की व्यथा और दर्द को बयां करना चाहता हूं । बिलासपुर शहर और बिलासपुर के गांव इस भाखड़ा बांध से जितने प्रभावित हुए शायद इस देश में कोई दूसरा उदाहरण हो ही नहीं सकता। इन 60 सालों में आज भी जो विस्थापन का दंश है, दर्द है और दुख है उसे सभी सरकारे सुनती हैं , सभी अधिकारी आते हैं और इस विषय को अतिक्रमण के माध्यम से और नजर से देखते हैं । मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बांध के बनने से जिस तरह से पानी का भराव शुरू हुआ सारे का सारा साढूं का मैदान उसमें डूब गया। हमारा साढूं का मैदान इतना बड़ा मैदान था कि हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी कोई भी जगह नहीं थी। हमारे इस बांध से कुल 376 गांव प्रभावित हुए हैं । इस बांध से 31191.2 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया गया। जिसमें 10676.66 एकड़ भूमि लोगों की मलकियत व 20614.60 एकड़ सरकारी भूमि थी। जो सरकारी भूमि बी0बी0एम0बी0 को एक रुपये टोकन के आधार पर दे दी गई।

डी0टी0 द्वारा जारी.....

08.03.2018/1255/DT/DC-1

श्री सुभाष ठाकुर ...जारी

और ये जो सरकारी भूमि थी यह हमारे खेत थे-खलियान थे और जो शहर की भूमि थी इसमें ऐसा नहीं था की सांढू के मैदान में हमारी कोई 1800 स्क्वेयर फुट भूमि थी। वहां पर हमारी 5 बीघा, 10 बीघा, 2 बीघा-अढाई बीघा तथा 15 बीघा भूमि थी। उसमें हमारा बागीचा भी था, बर्तन भी था और जब वहां से उठाया गया । हमारा जो एनबीटी बना उसमें एक परिवार को 1800 स्क्वेयर फुट भूमि दी गई। उस समय ज्वाइंट फैमिलीज़ होती थी। ज्वाइंट फैमिली में जो हमारा बुजुर्ग होता था उसी के नाम से जगह होती थी। ज्वाइंट

फैमिली को एक इकाई माना गया । वह एक बुजुर्ग को 1800 स्क्वेयर फुट का प्लॉट दिया गया। जो उसकी 5 बीघा जमीन थी उसके बारे में आगे कोई बात-चीत नहीं हुई। अब उसके आगे चार बेटे और चार बेटे भी 50 की उम्र में। जो चार बेटे थे आगे 1800 स्क्वेयर फुट की भूमि में कैसे रह जाएंगे क्योंकि उनके पिता जी का तो कुछ वर्षों बाद स्वर्गवास हो गया। अब 1800 स्क्वेयर फुट का एक प्लॉट चार बेटों में कैसे बांटा जाए। 1800 स्क्वेयर फुट भूमि , उसके आगे सड़क-पीछे सैनेटरी । क्योंकि पहला ऐसा शहर था जो नक्शे के ऊपर बना था। जो एक पोलिसी बनी है, 150 स्क्वेयर मीटर की जो पॉलिसी पिछली सरकार ने बनाई है। उसमें मैं कहना चाहूंगा कि डेढ़ सौ स्क्वेयर फुट तो दे दिया। लेकिन उसमें कंडीशन ऐसी लगा दी कि किसी भी बिलासपुर के शहरी को उसका लाभ न हो। क्योंकि उसमें लिखा गया कि सैनेटरी नहीं हो, सड़क न हो , पाथ न हो, अप्रोचरोड़ न हो और नाली न हो। आगे से अप्रोच रोड़ है, पीछे से सैनेटरी है और बीच से नाली है, कहीं से भी आगे-पीछे जाने को जगह नहीं है। जब परिवार बड़ा हुआ तो जो चार बेटे थे उन्होंने अपने मकान का एक और कमरा जोड़ा वह या तो सड़क के साथ जो खाली जगह थी उसके ऊपर है या सैनेटरी के ऊपर है। इसलिए यह जो डेढ़ सौ स्क्वेयर फिट भूमि की जो बात की जा रही है। यह पॉलिसी बिल्कुल भी सही नही है क्योंकि बिलासपुर के सिर्फ 18 लोगों को इसका फायदा मिला है। यह प्लॉट भी बाद में मिले । इस पॉलिसी का किसी को कोई फायदा नहीं हुआ है। मैं भी जब युनिवर्सिटी में पढ़ता था तब से मैं भी

08.03.2018/1255/DT/DC-2

सुन रहा हूं । आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी राजा वीरभ्रद सिंह जी ने भी कहा मैंने उन दिनों भी आपका एक वक्तव्य सुना था । मेरे बाल काले थे आज सफेद होए आपने कहा था कि दो सैक्टर बनाएंगे । आज दिन तक वे दो सैक्टर नहीं बने। आदरणीय राजा साहब आप छह बार मुख्यमंत्री बन गए लेकिन बिलासपुर में वह दो सैक्टर आज भी लोग देख रहे है कि कब बनेंगे। लेकिन जो आज जिस तरह से राजा साहब ने हमारा समर्थन किया है मैं उसका

धन्यवाद करता हूं । आज जो सरकार पर विश्वास व्यक्त कर रहे हैं उसका भी धन्यवाद करता हूं कि हम ही इसका समाधान करेंगे। आप भी ऐसा मानते है इसके लिए आप भी बधाई के पात्र है। इस शहर में जिस तरह से ये बसाब हुआ मैं कहना चाहता हूं कि जब शहर बसता है और पुराना शहर था उसमें हमारे बहुत से ऐसे लोग है जो उसमें नहीं आए। उसमें हमारे जो किसान थे उनको पहाड़ों पर घटिया और उजाड़ भूमि दी गई। आज भी उदाहरण से मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जंगल-जलेडा है वहां पर डी0पी0एफ0 है। भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश की सरकार से वहां पर डी0पी0फ0 में जगह दी गई। लेकिन आज भी उनको सड़क नहीं है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधान मंत्री थे तो एक योजना आई थी । प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना। उस समय मैं जिला परिषद मेंबर भी था। वहां पर वे लोग आज भी सड़क के लिए साढ़े तीन करोड़ रुपया आज भी वहां लंबित है। उस सड़के के लिए क्लीयरेंसस नहीं मिल रही है।

श्री एस0एल0एस0जी द्वारा जारी....

08.03.2018/1300/SLS-HK-1

श्री सुभाष ठाकुर ...जारी

उन लोगों को उठाया कहां से गया है? वहां आउस्टीज की भी कैटेगरीज हैं। एक तो लोग साण्डू से उठाए गए और फिर जहां वर्तमान में शहर बसा है वहां से भी लोग उजाड़े गए। उन लोगों को जंगल-चलेडा और जंगल सुंगल में बसाया गया। वहां पर न सड़क है, न पानी है और वहां बिजली की व्यवस्था भी कई वर्षों के बाद हुई है। जहां से उठाया गया, उस भूमि पर हमारे धार्मिक स्थल थे, क्रीड़ा स्थल थे जो सब इसमें जलमग्न हुए। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को बिजली भी मिली, पानी भी मिला और हरित क्रांति भी आई। आज वह सारे प्रदेश बिजली, पानी और कृषि से भरपूर हैं। लेकिन बिलासपुर शहर, जो जलमग्न हुआ, आज भी हम वहां केवल उस पानी को देख ही सकते हैं, हम उस पानी को

पी नहीं सकते। वहां कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जिससे बिलासपुर के लोगों को सिंचाई मिले या पानी मिले। बिलासपुर के लोग आज भी इसकी मांग कर रहे हैं परंतु आज तक इन 60 सालों में हमें वह पानी नहीं मिला। लेकिन उस पानी के माध्यम से हमारी संस्कृति मिट गई, हमारे जो पानी के पनिहार या नेचुरल स्रोत थे, वह डूब गए। आज तक भी वहां कोई ऐसी पंचायत या गांव नहीं है जहां के लिए वहां से पानी की व्यवस्था हो। शहर में भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। वहां 22 करोड़ रुपया सैनेटरी के लिए आया है। उससे भी वहां पर इसलिए कोई ट्रीटमैंट प्लांट नहीं लग रहा है क्योंकि BBMB हमें परमीशन नहीं दे रहा है। मैं पिछले दिनों BBMB के अध्यक्ष से भी मिला। सैनेटरी के लिए ट्रीटमैंट प्लांट वहां कहां बनेगा? जो शहर बसा है, उसमें नीचे सतलुज है और ऊपर बंगलाधार है। या तो धार पर ऊपर चढ़ जाओ या नीचे गोविन्दसागर में चले जाओ। सैनेटरी तो नीचे की ही तरफ आएगी, ऊपर की तरफ तो कोई सिस्टम बना नहीं है। वहां नीचे जितनी भी गवर्नमैंट लैंड है उसकी अलॉटमैंट हो चुकी है। अब वहां पर कोई गवर्नमैंट लैंड नहीं बची है। नीचे केवल BBMB की लैंड है और वह परमीशन नहीं देते। ट्रीटमैंट प्लांट न लगने के कारण अब वहां पर बहुत-सा प्रदूषण भी फैल रहा है और उस पैसे का भी सदुपयोग नहीं हो रहा है।

08.03.2018/1300/SLS-HK-2

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में यह भी कहना चाहूंगा कि बिलासपुर में आज तक भी आउस्टीज को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली हैं। यह शहर 1323 परिवारों के लिए बसा था। यह एकमात्र शहर है जिसकी आबादी अब घट रही है। यह पूरे हिंदुस्तान में रिकॉर्ड है कि यही एक शहर है जिसकी आबादी कम हो रही है, बाकी सभी शहरों की आबादी बढ़ रही है। मैं यह रिकॉर्डिड बात कह रहा हूं कि यहां .4% की दर से इस शहर की आबादी घट रही है। इसका कारण यही है कि वह प्लॉट्स केवल 1323 लोगों के लिए थे। अब कोई भी शहर बसता है, तो उसके विस्तार के लिए कोई व्यवस्था होती है। वहां कोई व्यवस्था नहीं है। अब पहली पीढ़ी तो चली गई, दूसरी पीढ़ी मकान बनाने में लग गई और तीसरी पीढ़ी के रहने के लिए कुछ नहीं है। इस तरह वह दोबारा रिफ्यूज़ी बन जाएंगे।

इसलिए वह या तो किसी और जगह चले जाएं क्योंकि बिलासपुर में इस शहर के विस्तारीकरण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहां तक कि 364 विस्थापित अभी और रह गए हैं जिनको आज दिन तक बसाव के लिए न कोई भूमि दी गई है और न कोई मकान दिया गया है। इससे दर्दनाक बात और क्या हो सकती है। मैं तो यह कहूंगा कि जितने भी हमारे मकान थे, खेत थे, खलिहान थे, पानी के पनिहार थे, रास्ते थे या जितने भी पुल थे, वह सब जलमग्न हो गए हैं। लेकिन आज दिन तक वहां कोई भी पुल नहीं बना। आज वहां पास से फोरलेन सड़क जा रही है लेकिन शहर उससे छूटा हुआ है। वहां कई बार चूना लगा कि वहां से ऋषिकेश की तरफ को पुल बनेगा लेकिन वह नहीं बना। इसलिए बहुत मज़ाक हो गया। मैं तो यह कहूंगा कि इस विषय को सभी लोग जिस तरह से समर्थन कर रहे हैं, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन कर रहे हैं, मानवता के रूप में समर्थन कर रहे हैं, उससे इस शहर के लोगों और आउसटीज का कुछ कल्याण अवश्य होगा। मैं यह चाहता हूं कि इस दर्द को कोई अतिक्रमण की तरह न देखे क्योंकि इसमें लोगों ने जो ज़मीन दी है, वह देश के लिए दी है, देश और प्रदेशों की खुशहाली के लिए दी है। ...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप वाईंड अब करें।

08.03.2018/1300/SLS-HK-3

श्री सुभाष ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, यह उन लोगों का देश के लिए बलिदान है। इसमें अपना सब-कुछ देने के लिए उनमें से एक भी व्यक्ति ने विरोध नहीं किया है। उसमें उनका घर डूब गया। बिलासपुर के लोगों के लिए तो हर साल पानी नीचे जाता है और फिर हर साल ऊपर आता है। जब यह नीचे जाता है तो हम सब लोग देखते हैं कि यहां मेरा घर था, यहां मेरा खेत थे, यहां मैं पला-बढ़ा हूं।

जारी ...श्री गर्ग जी

08/03/2018/1305/RG/HK/1

श्री सुभाष ठाकुर-----जारी

उसके पश्चात जब पानी ऊपर आ जाता है, तो फिर वह सब कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए हर वर्ष यह दंश हमें दिखता है कि हम यहां से उजड़े हैं और उजड़ने के बाद भी हमने देश के लिए कुर्बानी दी है। लेकिन हमें अतिक्रमणकारी माना जा रहा है। बिलासपुर का दर्द बयां नहीं कर सकते, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आप सभी से यह अनुरोध है कि यदि मेरे शब्द कहीं किसी सदस्य को बुरे लगे हों, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन इस विषय को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह विषय मात्र एक पीढ़ी का नहीं है, इसमें तीन-तीन पीढ़ियां खप गईं। लेकिन आज भी हमें बसाव व रखाव का दर्द है। सबसे बड़ी पीड़ा तो यह है कि जब कोई भी अधिकारी वहां जाते हैं, तो वे यही कहते हैं कि आपने अतिक्रमण किया है इसलिए आपको नोटिस दिया जाता है। जब वहां जे.सी.बी. घूमने लगती है, तो रात को लोग सोते नहीं हैं। वे कहते हैं कि शायद यह मेरा मकान उखाड़ने के लिए आ गई।

उपाध्यक्ष महोदय, ये तोड़फोड़ की घटनाएं दोनों बार कांग्रेस की सरकार के दौरान हुईं। एक बार नलवाड़ी का मेला लगा, बहुत खुशी-खुशी उसमें गए, लेकिन मेला खत्म होने के बाद--(घण्टी)--बुल्डोजर चला, हथौड़ा चला और दूसरी बार दीवाली से पहले अब यह उच्च न्यायालय के माध्यम से आया है। अब जब यह उच्च न्यायालय के माध्यम से जो विषय आया है, यह भी इसलिए आया कि 150 स्क्वेयर फुट की जो भूमि के लिए कहा कि यह आपको रैग्युलराईज की जाएगी, आपको दी जाएगी। पिछली सरकार के द्वारा लोगों से शपथ-पत्र लिए गए और लोगों ने शपथ-पत्र दिए। जिन लोगों ने शपथ-पत्र दिए हैं, उनके खिलाफ अब उच्च न्यायालय की तरफ से नोटिस आया है कि आपने अतिक्रमण किया है, आपने ये शपथ-पत्र दिए हैं इसलिए आपका यह अतिक्रमण हटाया जाए। आजकल यह प्रक्रिया चली है। मेरा यह निवेदन है कि मैं न तो इस नीति का विरोध करता हूं, लेकिन मैं यह कहूंगा कि इसमें तरमीम की जाए और जो इसमें ऐसे क्लॉजिज़ हैं, उनको हटाया जाए जिससे लोगों को लाभ हो, उनका पुनर्वास हो। इसी नीति के तहत कुछ और विषय हैं जिनमें संशोधन करके सरकार के माध्यम से बिलासपुर वासियों का भला हो सकता है।

08/03/2018/1305/RG/HK/2

श्री राम लाल ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

उपाध्यक्ष : श्री सुभाष ठाकुर जी, कृपया आप बैठ जाएं। श्री राम लाल ठाकुर जी, आपका प्वाइंट ऑफ ऑर्डर क्या है?

श्री राम लाल ठाकुर : उपध्यक्ष महोदय, हमारा निवेदन यह है कि इस मुद्दे को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। माननीय सदस्य बार-बार जो भाषा बोल रहे हैं, यह राजनीति से प्रेरित नहीं, तो और क्या है?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो ये दो सैक्टर की बात कर रहे हैं, या तो ये विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, लेकिन वहां की ग्राउन्ड रियल्टी को ये देख लें कि वर्ष 1988 में जब माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री थे, 278 प्लॉट्स का, उस समय मैं उद्योग मंत्री था, तो उस समय जो सैक्टर बनाया गया था वह सिनेमा कॉलोनी का था। आप सिनेमा कॉलोनी जानते हैं। वह बसाया था और यह माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी की सरकार में बसा था। अभी बिलासपुर में दूसरे सैक्टर के लिए बाकायदा जमीन भी दे दी गई, प्लॉट्स की नंबरिंग भी हो गई और 118 प्लॉट्स अलॉट भी कर दिए हैं। अब उसके ऊपर हमें आगे बढ़ना चाहिए। यह कहना कि पुरानी सरकार ने शपथ-पत्र लिए, तो शपथ-पत्र हमने नहीं लिए। यह पूरे हिमाचल प्रदेश में मालूम है कि नाजायज़ कब्जों को नियमित करने के लिए शपथ-पत्र किसने लिए थे और ये हमारे ऊपर बात कर रहे हैं। जब पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, शपथ-पत्र तो उस समय लिए गए थे।

08/03/2018/1305/RG/HK/3

उपाध्यक्ष : श्री सुभाष ठाकुर जी, कृपया आप एक-दो मिनट में समाप्त करें क्योंकि भोजन का भी समय हो रहा है।

श्री सुभाष ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी हमारे बड़े भाई ने बढ़ाई है, लेकिन बिलासपुर में कौन से सैक्टर बने हैं, यह बिलासपुर वासियों को भी पता है। मेरा कहना

यही है कि मकानों के साथ ऐडीशनल कमरा जोड़ा गया है, वह मजबूरीवश आवश्यकतानुसार ये कब्ज़े किए हैं। इसकी यथास्थिति और नियमितीकरण हेतु कोई ठोस नीति बनाई जाए ताकि वन टाईम सैटलमेंट हो।--(घण्टी)-- इसलिए मेरा अन्त में यही निवेदन है कि सरकार कोई नीति बनाकर बिलासपुर वासियों को राहत दे। धन्यवाद।

एम.एस. द्वारा उपाध्यक्ष शुरू

08/03/2018/1310/MS/YK/1

उपाध्यक्षः अभी तीन और माननीय सदस्य बोलने को शेष हैं।

अब इस मान्य सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए 2.15 बजे (अपराह्न) तक स्थगित की जाती है।

08.03.2018/1415/जेके/एजी/1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरान्त अपराह्न 2.15 बजे उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

उपाध्यक्षः अब इस महत्वपूर्ण संकल्प पर आगे की चर्चा में भाग लेने के लिए मैं माननीय सदस्य, श्री होशयार सिंह जी को आमंत्रित करता हूं।

श्री होशयार सिंहः अनुपस्थित।

उपाध्यक्षः अब इस चर्चा में भाग लेने के लिए माननीय सदस्य, श्री लखविन्द्र सिंह राणा जी को आमंत्रित करता हूं।

श्री लखविन्द्र सिंह राणाः आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, भाखड़ा विस्थापित का जो विषय आज यहां पर आया है, यह अति महत्वपूर्ण और गम्भीर है। मेरे से पहले कई वक्ताओं ने हमारे आदरणीय रामलाल ठाकुर जी ने, राजा वीरभद्र सिंह जी ने भाखड़ा विस्थापितों के

प्रति जो कठिनाइयां व समस्याएं आ रही हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छे ढंग से, विस्तार से चर्चा की है। यह सत्य है कि जब कोई आदमी विस्थापित हो कर किसी अन्य जगह पर जाता है तो वहां उसको रहने के लिए अनेक प्रकार की कठिनाइयां सहन करनी पड़ती है। वहां पर जाकर उसको अपना नया बसेरा बनाना पड़ता है, नया मकान बनाना पड़ता है, ज़मीन खरीदनी पड़ती है। अपने बच्चों का पालन-पोषण करना पड़ता है । इन सब समस्याओं को वह झेलता है लेकिन आज हमें दुख हो रहा है कि जो हमारे भाखड़ा विस्थापित हैं, उनके बारे में जो सोचना चाहिए था, जो करना चाहिए था, वह हम नहीं कर पाए। मैं इसलिए भी चिंतित हूं कि जो बिलासपुर से भाखड़ा विस्थापित हुए हैं, वे मेरे निर्वाचन क्षेत्र नालागढ़ में भी कई जगहों पर आए हैं।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----

08.03.2018/1420/SS-AG/1

श्री लखविन्द्र सिंह राणा क्रमागतः

कई गांव उनके हैं। लेकिन आज भी उनके साथ मतभेद होता है, उनको बाहर का कहा जाता है। जब कोई चुनाव होता है, चाहे एम0सी0 का चुनाव होता है, चाहे पंचायतों का चुनाव होता है, चाहे जिला परिषद् का चुनाव होता है तो उनको बाहर का कह कर उनके साथ भेदभाव होता है। इन सब बातों को वे झेल रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि उन विस्थापितों के लिए सरकार ने पीछे कुछ प्लॉट आबंटित करने का प्रयास किया था। 117-118 प्लॉट्स उनको देने की बात कही गई थी लेकिन आज भी उन लोगों को जो रिहायशी प्लॉट्स मिलने चाहिए थे वे मिल नहीं पा रहे हैं। मैं सदन के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि उन विस्थापितों को आज भी दर-दर ठोकरें खाकर अपने रिहायशी प्लॉट्स के लिए लड़ना पड़ रहा है। बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इस करके उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारे नालागढ़ में तकरीबन 600-700 से अधिक भाखड़ा विस्थापित बसे हैं। उनमें से कुछेक गांव जैसे कि भोगपुर, भांगरा, दुगरी, माजरी इत्यादि गांवों में आकर वे लोग बसे हुए हैं। इन लोगों ने आवेदन भी कर रखा है कि इनको रिहायशी प्लॉट्स मिलने चाहिएं। लेकिन आज तक इनको रिहायशी प्लॉट्स

मिल नहीं पा रहे। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह बहुत अत्यंत गम्भीर विषय है। उनके लिए हम सब को एक ऐसी योजना बनानी चाहिए ताकि वे बेचारे दर-दर की ठोकरें न खाएं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको विस्थापित हुए 60 वर्ष से ज्यादा समय हो चुका है, वे इस दुनिया में भी नहीं रहे लेकिन हम चाहते हैं कि जो उनके बच्चे हैं या उनके परिवार के सदस्य हैं कम-से-कम उनको ये प्लॉट्स देखने का अवसर प्राप्त हो सके। आज यहां पर हमारे राम लाल ठाकुर जी और कई अन्य सदस्यों ने उनके बारे में विस्तार से चर्चा की है। बहुत लम्बे समय से चली आ रही उनकी समस्याओं और कठिनाइयों संबंधी विषय रखा है। वे बिलासपुर से विस्थापित हुए और हमारे निर्वाचन क्षेत्र नालागढ़ में आकर बसे हैं, हमने उनको पूरा मान-सम्मान दिया है ताकि वे अपने-आपको गौरवान्वित महसूस करें क्योंकि उन्होंने देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। अपनी जमीन दी है और आज अगर उनको दर-दर की ठोकरें खानी पड़ें तो वे अपने आपको अकेला महसूस करेंगे। यहां पर बड़ा दुख होता है जब इस विषय पर कुछ सदस्य राजनीति करने का प्रयास करते हैं कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस सरकार को विस्थापितों को देखने

08.03.2018/1420/SS-AG/2

और जानने का बहुत लम्बा समय मिला। लेकिन जो कुछ उनको करना चाहिए था वह नहीं किया, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हम सभी उनके पुनर्वास के लिए, उनका काम करने के लिए आज इस सदन में हैं तो हमें इन सब बातों को भूलकर आगे की बात सोचनी चाहिए कि किस ढंग से हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। मैं इस सदन से सिफारिश करता हूं कि भाखड़ा बांध विस्थापित परिवारों के लिए जहां-जहां पर भी प्रदेश की भूमि पर उनके कब्जे हैं उनको नियमित किया जाए, धन्यवाद।

जारी श्रीमती के0एस0

08.03.2018/1425/केएस/डीसी/1

उपाध्यक्षः अब अन्त में क्योंकि अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर देने के लिए माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जी को प्राधिकृत किया है लेकिन उससे पहले एक अन्य

सदस्य श्री राकेश सिंघा जी बोलना चाहते हैं। तो अपना वक्तव्य कृपया 10 मिनट में पूरा करने की कृपा करें।

श्री राकेश सिंघाः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में आज जो प्रस्ताव माननीय ठाकुर राम लाल जी ने पेश किया है, उसके समर्थन में और चर्चा में शामिल होने के लिए उठा हूं और जितनी मेरी ताकत है, जितनी मेरी आवाज़ है, मैं इस प्रस्ताव पर मोहर लगाना चाहता हूं। मैं मोहर इसलिए लगाना चाहता हूं क्योंकि यह प्रश्न आर-पार का नही है बल्कि यह हिमाचल की जनता की पीड़ा का प्रश्न है। आज़ादी से पहले अंग्रेजों को बेदख़ल करने के लिए हम भगत सिंह और उसके साथियों की कुर्बानी को याद करते हैं परन्तु मैं समझता हूं कि आज़ाद भारत में अगर इस देश को आगे ले जाने के लिए किसी ने कुर्बानी दी है तो निश्चित रूप से हमारे भाखड़ा विस्थापित हैं। बिलासपुर में रहने वाले निवासी है। उनका योगदान भूलाया नहीं जा सकता। मैं समझता हूं कि पूरे हिमाचल को उनकी इस कुर्बानी के लिए अपना सर झुकाने की ज़रूरत है लेकिन प्रश्न यह है कि आज़ाद भारत ने दिया क्या? जब इस पर चर्चा हो रही है तो अगर हमारे सदन के नेता, माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस सदन में रहते तो आज इस सदन की शोभा बढ़ती लेकिन ठाकुर महेन्द्र सिंह जी भी कोई कम तुज़ुर्बेकार नहीं हैं और हम इनसे आशा और उम्मीद करेंगें कि इस पर मत विभाजन करने की ज़रूरत नहीं है। यह राजनीति का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न हिमाचल प्रदेश की जनता और उस जनता ने जो पीड़ा सही है, उस पर किस तरीके से मलहम लगाया जा सकता है, उसका प्रश्न है। मैं समझता हूं कि जब आख़िर में इस प्रस्ताव को पारित करने की बात आएगी तो जो भी संशोधन करना है, संशोधन किए जा सकते हैं लेकिन मत विभाजन का मतलब यह होगा कि जिनकी पीड़ा है उस पर हम एक किस्म से मिर्च फेंकने का काम करेंगें। मुझे उम्मीद है कि सत्ता पक्ष के लोग उस समय ऐसा नहीं करेंगें।

08.03.2018/1425/केएस/डीसी/2

उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न आज क्या है? प्रश्न यह है कि जो यह 28 मार्च की तिथि है, यह 28 मार्च की तिथि एक ऐसी तिथि है जिसमें अभी यह सदन भी नहीं कह सकता कि कोर्ट का क्या रवैया होगा? मेरा यह मानना है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री साहब को हस्तक्षेप करना है और कोर्ट को यह समझाना है। कानून को मैकेनिकली इन्टरप्रैट नहीं किया जा सकता । Law cannot be interpreted in a mechanical manner. यह जो वन संरक्षण कानून-1980 आया है, वन संरक्षण कानून मैं समझता हूं कि यह आज बाधा बनती है जिसके कारण जो आज जहां भी बसें हैं, उनको उसने एन्क्रोची तय किया है लेकिन अगर 1980 वन संरक्षण कानून नहीं होता तो यह सम्भव नहीं था और जो भी विस्थापित, जहां पर भी उसको बसाया गया, जहां भी वह बैठा, जहां भी उसने आशियाना बनाया तो कोर्ट-कचहरी उसको एन्क्रोची तय नहीं कर सकते थे लेकिन यह जो प्रोजैक्ट है, यह जो भाखड़ा बना है और जो लोग विस्थापित हुए हैं, ये 1980 से पहले हैं और इसीलिए वन संरक्षण कानून को भी मैकेनिकली नहीं देखा जा सकता है और वे हमारी नज़र में, इस सदन की नज़र में, हिमाचल की जनता की नज़र में इन्क्रोची किसी भी हालत में घोषित नहीं होने चाहिए। आप सभी जानते हैं, यह सदन भी जानता है और जो पहले इस माननीय सदन में रहे हैं, मैं समझता हूं ठाकुर महेन्द्र सिंह जी उस सदन में रहे हैं जब वर्ष 2002 में हमने 163-ए को संशोधित कर लैंड रेवन्यू एक्ट में जिसने भी भूमि पर कब्जा किया है,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

8.3.2018/1430/av/dc/1

श्री राकेश सिंघा----जारी

उसके लिए 20 बीघे तक का कानून बनाया है और वह कानून आज भी स्टैण्ड करता है। 163(A) आज भी कोर्ट से स्ट्रक डाऊन नहीं हुआ है। इसलिए जब इस नज़रिए से हम उसको देखते हैं तो कोर्ट के नज़रिए से भी वह ऐनक्रोची नहीं हो सकता है। इस सदन को तय करना है कि 163(A) ऐग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। मेरा यह मानना है कि

163(A) लैण्ड रैवन्यू ऐक्ट आज भी ऐग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए भाखड़ा के विस्थापित चाहे बिलासपुर में बसते हो, झण्डुता में बसते हो या कहीं और बसते हो; उनको आप ऐनक्रोची का दर्जा नहीं दे सकते। लेकिन हम हाई कोर्ट में ठीक तरीके से वकालत नहीं करते हैं। इसलिए मैं माननीय सदन के नेता से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के अंदर जो सरकार की तरफ से इस मामले को डिफैण्ड करेंगे वह 163(A) ऐक्ट का सहारा लेकर वहां कोर्ट को समझाने की कोशिश करें कि हमारे सदन ने इस कानून को संशोधित किया है और यह कानून ऐग्जिस्ट करता है। उसके लिए मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2002 में एक पहल कदमी की है। वर्तमान में भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और यदि यह सरकार अपने पक्ष को ही डिफैंड नहीं कर पायेगी तो बड़ी दुःखद बात होगी। यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रश्न नहीं है यह सदन की गरिमा का भी प्रश्न है। इसका प्रश्न है कि जो ऐग्जैक्टिव ताकत हमारे सदन की होनी चाहिए अगर उसको हाई कोर्ट नहीं मानता है तो मैं समझता हूं कि यह इस मान्य सदन तथा हिमाचल प्रदेश की जनता का अपमान होगा। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस प्रस्ताव को लेकर सरकार को इस तरीके से काम करना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। हमारे पास खेती करने योग्य भूमि बहुत कम है। हमारी मात्र 6 लाख हैक्टेयर भूमि है। यहां की एक लाख हैक्टेयर उपजाऊ भूमि सारी-की-सारी बांधों के निर्माण में डूब गई। यहां पर जो 31 हजार एकड़ का आंकड़ा पेश किया गया वह एक हिस्सा है जबकि इसके

8.3.2018/1430/av/dc/2

अलावा और भी गया है। इसलिए रंगानाथ कमीशन रिपोर्ट जो वर्ष 1980 में आई थी उसने सिफारिश की थी कि हिमाचल की जनता जिसने कुर्बानी दी है उसको डिस्ट्रैस पहुंचा है और उसको उसकी डिस्ट्रैस कॉस्ट मिलनी चाहिए। यह एक बड़ा कमीशन था जिसकी रिपोर्ट भारत सरकार के बैठने के बाद आई। हमें जो साढ़े 12 प्रतिशत रॉयल्टी के रूप में मिलता है असल में यह रॉयल्टी की परिभाषा कहां से आ गई है, मैं जानता नहीं हूं। यह

डिस्ट्रैस कॉस्ट था लेकिन आप बताइए कि साढ़े 12 प्रतिशत जो डिस्ट्रैस कॉस्ट था हमने उसमें से विस्थापितों को कितना दिया। विस्थापित चाहे पौंग बांध में हुए, भाखड़ा में हुए या अन्य बांधों के निर्माण के कारण हुए हमने उसमें से उसको एक नया पैसा नहीं दिया। हमें इसके लिए शर्मिन्दा होना चाहिए। यहां पर समय-समय पर अलग-अलग पार्टी की सरकारें आईं लेकिन विस्थापितों को उनका कोई हिस्सा नहीं दे सके। मैं इसको भी रिकार्ड में लाना चाहता हूं कि माननीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार के कंट्रिब्यूशन को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। यह पार्टीवादी की बात नहीं है बल्कि यह भी रिकार्ड में आना चाहिए। मैं समझता हूं कि जिस समय विस्थापितों के बारे में निर्णय लिया गया होगा वह पार्टी को देखते हुए नहीं बल्कि मानवता को देखकर लिया गया होगा। आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो रंगानाथ कमीशन की रिपोर्ट आई है सरकार को उस पर भी विचार करना चाहिए और उस साढ़े 12 प्रतिशत का एक हिस्सा उन विस्थापितों की जिन्दगी को बेहतर बनाने के लिए, उनके आशियानों को बसाने के लिए, उनके जीवनयापन को बेहतर बनाने के देने की जरुरत है। अंत में, मैं इस बात से भी सहमत हूं जो कुछ बातें यहां मेरे अन्य साथियों ने चर्चा में सामने लाई है। जिस समय यह हुआ था उसके बाद फेमिली के बंटवारे हो गये और हिमाचल की परम्परा यह रही है कि जब तक परदादा जिन्दा होगा पोते के नाम जमीन नहीं चढ़ती है। इसलिए उस समय यह सम्भव है कि चार पीढ़ी एक छत के नीचे रहती थी लेकिन उसको चार हिस्सों में नहीं बांटा गया

श्री टी0सी0 द्वारा जारी

8.3.2018/1435/TCV/HK-1

श्री राकेश सिंघा.... जारी

ये त्रुटि कानून के प्वाईंट ऑफ व्यू से रह गई। मैं माननीय सदस्य ठाकुर राम लाल जी से सहमत हूं कि गरीब आदमी कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता है। वह न तो उस समय खटखटा सका और न आज खटखटाने की क्षमता रखता है। उसके पास साधन नहीं

हैं। इसलिए मैं विनती करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं, इस पर मत विभाजन न कीजिए। ये हिमाचल प्रदेश की जनता का प्रश्न है। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप इसमें मत विभाजन न करके एक मत से इसको पारित करेंगे। ये इस हाउस का सम्मान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूं कि आपने मुझे चंद शब्द बोलने का समय दिया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

8.3.2018/1435/TCV/HK-2

उपाध्यक्षः अब इस चर्चा के उत्तर के लिए मैं माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः आदरणीय उपाध्यक्ष जी, आदरणीय राम लाल ठाकुर जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय गैर-सरकारी सदस्य कार्य संकल्प के रूप में इस माननीय सदन के बीच में लाया है। इस संकल्प पर जहां ठाकुर राम लाल जी ने विस्तार से चर्चा की है, वहीं इनके साथ-साथ पूर्व में रहे माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने हमें मूल्यवान सुझाव दिए हैं। इस चर्चा में सत्ता पक्ष की तरफ से भी माननीय सदस्य श्री सुभाष जी, श्री जीत राम कटवाल जी, श्री लखविन्द्र सिंह राणा जी और मेरे भाई श्री राकेश सिंघा जी ने भी अपने-अपने बहमूल्य विचार रखे हैं। इस समस्या का कैसे समाधान किया जाये, इसके बारे में अपने सुझाव दिए हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, 1960 के दशक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना, जिसको नेशनल प्रोजैक्ट के रूप में भारत सरकार ने, विभिन्न राज्यों के लिए सिंचाई और बिजली की व्यवस्था के लिए, भाखड़ा बांध MOU साईन किया। क्योंकि देश को आज़ाद हुई अभी कुछ ही वर्ष हुए थे। इतनी ज्यादा जागरूकता उस समय न तो सरकारों के अंदर थी और न ही इस प्रदेश में रहने वाले नागरिकों में थी कि इस डैम के बनने से हिमाचल प्रदेश के वासियों और विशेष करके बिलासपुर के निवासियों को किन-किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। उस दृष्टि से MOU साईन करते हुए अनेकों ऐसी विसंगतियां रह गई, जो उसमें शामिल होनी चाहिए थी और वह शामिल नहीं की गई। माननीय उपाध्यक्ष, जी ये जो भाखड़ा बांध बना, इसमें जो जलाश्य हैं, इसमें केवलमात्र सतलुज नदी का ही पानी नहीं हैं,

श्रीमती एन0एस0 द्वारा ... जारी

08-03-2018/1440/NS/HK/1

सिंचाई एवं स्वास्थ्य मंत्री ------जारी।

हम यह मान करके चलें कि सतलुज नदी पर बांध बना और इसमें केवल सतलुज नदी का ही पानी है, इसमें ब्यास नदी का पानी भी है। ब्यास, सतलुज लिंक नहर के रूप में पण्डोह के पास भी एक बांध बना है। वहां से लगभग 9 किलोमीटर की लम्बाई से ज्यादा की टनल बनाई गई है और बग्गी के पास उस पानी को गिराया गया है। वहां से नहर के माध्यम से सुन्दरनगर तक पानी आया और वहां पर भी एक reservoir बना तथा फिर सलापड़ के पास इस पानी को गिराया गया, वहां एक प्रोजैक्ट बनाया गया है। यह दो नदियों का संगम है। यह ठीक है कि जो भी विधायक होगा वह सबसे पहले प्राथमिकता अपने विधान सभा क्षेत्र को देगा। दूसरी प्राथमिकता अपने जिले को देगा। लेकिन इसके अलावा जो बाकी विधायक हैं जैसे ज़िला मण्डी के विधायक हैं, वे कल कह रहे थे कि हम भी इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। यह सदन सब के लिए है और चर्चा में कोई भी विधायक भाग ले सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, भाखड़ा बांध के बनने से हज़ारों की संख्या में जो परिवार हैं, वे बेघर हो गए हैं। वे बेघर ही नहीं हुए हैं बल्कि इसके साथ-साथ उनकी ज़मीनें भी चली गई हैं। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य होने के नाते यहां की ज़मीन सबसे अच्छी है। यहां पर सबसे अच्छी ज़मीन नदी के किनारे, खड्ड और नाले के किनारे है। हम जैसे-जैसे ऊपर चढ़ते चलेंगे वैसे-वैसे ज़मीनों में क्षमता, गुणवत्ता और फर्टिलिटी नहीं है जोकि नीचे वाली ज़मीनों में होती है। केवलमात्र एक ही प्रोजैक्ट नहीं हिमाचल प्रदेश इस देश के लिए अनेकों परियोजनायें दे रहा है। उदाहरण के लिए बिजली की परियोजनायें या हाईडल प्रोजैक्ट्स आदि। यहां पर विधायक सिंघा जी कह रहे थे कि सन 1980 में फोरैस्ट कन्जरवेशन एक्ट आया जिसके कारण जंगलों के कटान पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगी हुई है। आज हमारे प्रदेश में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि हम सड़क नहीं निकाल सकते हैं। अगर हमें सड़क निकालनी है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। पीने के पानी की लाइन नहीं बिछा सकते हैं, हम कोई रेन वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो उसको नहीं बना सकते हैं। कोई भी विकास की गतिविधि करनी हो या कोई भवन बनाना हो, उसे भी नहीं

बना सकते हैं। हम इस एक्ट के तहत बंध गये हैं। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो पूरे राष्ट्र, उत्तरी भारत के

08-03-2018/1440/NS/HK/2

पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली इत्यादि राज्यों के लिए बिजली देता है। हम पीने का पानी और सिंचाई के लिए पानी भी अन्य राज्यों को देते हैं। इसके बावजूद हम सूखे के सूखे रह गये हैं और हमारे देश के उत्तरी भारत के राज्य हरे-भरे हो गये हैं। हम इन सुविधाओं से वंचित हो गये हैं। अगर हम इन सारे विषयों के ऊपर चर्चा करें और इन चर्चाओं में यह सदन इस प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर में ही पूरे प्रदेश की चर्चा होगी। यहां से बाहर यह चर्चा नहीं हो सकती है। यहीं पर ही सारे फैसले लिए जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय ठाकुर राम लाल जी कह रहे थे कि जब बांध बना और जब इसमें पानी भरना शुरू हुआ तो लोग ऐसा सोचते थे कि बांध कहां बना है? बांध नंगल में बना है और जो बिलासपुर का क्षेत्र है, उनको क्या पता था कि बांध बनने के बाद इस प्रदेश और हमारे जिले की क्या परिस्थिति होगी, हमारे गांव की क्या हालत होगी? जब पानी भरना शुरू हुआ तो हमारे कई ऐसे धार्मिक स्थान और मंदिर इसमें डूब गये। मैं आपसे सहमत हूं कि अनेकों घर इसकी चपेट में आ गये। उन्होंने कहां सोचा था कि हमारे घर भी इसकी चपेट में आ जायेंगे। उस समय उनको कहा गया कि आप अपने घर खाली कर दो। तब लोगों ने सोचा कि हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन जब पानी भरना शुरू हुआ तब उनके घर, सम्पत्ति, आवश्यक सामान, कपड़े इत्यादि सब पानी में मर्ज़ हो गये यानि पानी में डूब गये और

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

08.03.2018/1445/RKS/YK/1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री... जारी

डूबने से उनका सारा कुछ लूट गया। जैसा मैंने पहले भी कहा कि उस वक्त हमारे लोगों/किसानों में इतनी अवेयरनैस नहीं थी। नई-नई आजादी मिली थी और लोगों को क्या

पता था कि भू-अधिग्रहण क्या चीज़ होती है। इसमें हमें क्या करना चाहिए। जितने पैसे हमें मिले हैं, क्या हमें उस पर मान जाना चाहिए? इसके लिए हम बैठकर कोई कमेटी बनाते। लेकिन जैसे पूर्व वक्तओं ने कहा और मैं उनसे सहमत भी हूं। कई जगह एक बीघे के 100 रुपये, कई जगह 60 रुपये और कई जगह इससे ज्यादा रुपये भी दिए गए होंगे। आज रेणुका डैम का भू-अधिग्रहण हो रहा है लेकिन अब लोगों में जागरूकता आ गई है। वहां पर लोग जमीनें नहीं दे रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। परन्तु उस वक्त उन लोगों को जो दिया गया, वे उसे लेते रहे। यदि उन्होंने अंडर प्रोटैस्ट कोई पेमैंट ली होती तो वे न्यायालय में जा सकते थे। लेकिन उन लोगों ने अंडर प्रोटैस्ट कोई पेमैंट नहीं ली और न ही वे न्यायालय में गए। इस बात का पता तब लगा जब बांध का पानी भर गया। इसके एग्रीमैंट की कॉपी मेरे पास नहीं हैं। परन्तु जो विधायक प्रभावित क्षेत्र से हैं, उन्होंने उस एग्रीमैंट को स्टडी किया होगा कि इस एग्रीमैंट में क्या क्लॉजिज हैं। उस वक्त जो प्लॉट्स आबंटन का काम हुआ और यह बात दोनों पक्षों की तरफ से आई है। कुछ लोगों को कहा गया है कि आप जंगलों में चले जाओ और वहां पर आपको जो ज़मीन दिखाई देती है, वहां पर अपना रैन-बसेरा बना लो। वहां पर आप जमीन कास्त कर लो। लोगों ने वहां पर अपने घर बना लिए और जो ज़मीन कास्त करने योग्य थी, उस ज़मीन को कास्त कर लिया। उस वक्त जो प्लॉट्स दिए गए और जैसा माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी कह रहे थे कि उस वक्त बड़े-बड़े परिवार होते थे। परन्तु अब छोटे-छोटे परिवार हैं। उस समय जितने भी भाई थे वे सभी इकट्ठा रहते थे। उस वक्त 5-5, 6-6 , 7-7 भाई-बहन हुआ करते थे। उस समय बड़े कुटुम्ब की प्रथा थी और उन सब को एक ही प्लॉट दिया गया। जिस प्लाट को सन् 1960 में दिया गया था; आज सन् 2018 में उस प्लॉट के 16 हिस्सेदार हो गए हैं। अगर प्लाट 1200 वर्ग मीटर का दिया गया है या जितना भी वर्ग मीटर दिया गया है, यदि वहां पर 16

हिस्सेदार हो गए हों तो वे सभी लोग तो बेघर हो गए। ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है। हम कहां कहते हैं कि हम आपसे सहमत नहीं है। हम आपसे सहमत हैं। कुछ चालाक लोगों ने 3-3, 4-4 प्लॉट्स ले लिए। कुछ लोग हरियाणा चले गए और उन्हें कहा गया कि हम आपको यहां पर प्लाट्स देंगे। आप यहां पर खेतीबाड़ी करो। अब उन लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। चाहे भाखड़ा बांध के विस्थापितों का उत्पीड़न हो रहा हो या पौंग डैम के विस्थापितों का उत्पीड़न हो रहा हो परन्तु यह एक गम्भीर समस्या है। यह गम्भीर समस्या केवल मात्र सरकार के लिए नहीं है। इसके लिए हमें आने वाले समय में एक सामूहिक निर्णय लेना पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, जहां बिलासपुर का प्रश्न आता है, बिलासपुर में कोई कम ज़मीन मर्ज़ नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि जो आंकड़े यहां पर दिए गए हैं, उन आंकड़ो से भी ज्यादा ज़मीन वहां पर मर्ज़ हुई होगी। कुछ जमीन ऐसी है जहां पानी भरता है। जहां पानी की भराई होती है और जो उसका हाईएस्ट फ्लड लैवल होता है उस हाईएस्ट फ्लड लैवल के कम-से-कम 10-15 मीटर चारों तरफ लोग नहीं जाते हैं।

श्री बी0एस0 द्वारा .....जारी

08.03.2018/1450/बी0एस0/वाईके-1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जारी.....

मैं ऐसा समझता हूं कि बहुत ज्यादा एरिया उसमें बन जाता है। ऐसी परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश के बीच में रही हैं। आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं उदाहरण के रूप में हमारे सानन प्रोजैक्ट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। 1925 में उसका एग्रिमेंट पंजाब सरकार के साथ हुआ था। आज 100 वर्ष होने वाले हैं। लेकिन 100 सालों में हिमाचल प्रदेश सरकार को एक टके का फायदा वहां से नहीं मिल रहा है, बिजली तक नहीं मिल रही है। जो हमारा भाखड़ा बांध बना इस प्रोजैक्ट से जो बिजली पैदा हुई, कितना फाल्टी एग्रिमैंट हमने किया। उससे

जो बिजली का हिस्सा हमें मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। आज 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 30 प्रतिशत का जो कहा जाता है, उसमें भी यह कहा गया है कि पहली 12 साल में इतना होगा, दूसरे 18 साल बाद में इतना होगा और 28 और 30 साल में इतना होगा। लेकिन उस वक्त हमारा हिस्सा ही उससे गायब हो गया। हम उस बिजली से भी वचिंत रह गए। हमारी जमीने चली गईं, हमारा सब कुछ चला गया और उसके लिए जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय शांता कुमार जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री बने उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा और लड़ाई लड़ने के बाद उन्होंने 7.13 प्रतिशत इसका हिस्सा हमें मिला और हिस्सा मिलने के बाद भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा कि हिमाचल प्रदेश का इतना हिस्सा बनता है। आज पंजाब वाले उस हिस्से को नहीं दे रहे हैं। दूसरे राज्य उस हिस्से को नहीं दे रहे हैं। आज हम भिखारी की तरह उनके आगे गिडगिड़ते हैं कि हमारा 4 हजार करोड़ रुपया बनता है, आप उसे दे दीजिए। वे कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। हम खुद इस बात को मानते हैं। शायद जिन्होंने उस वक्त एग्रिमेंट किया वे उसके लिए दोषी हैं। उनको अपना बिजली का हिस्सा रखना चाहिए था, उनको अपने रोजगार का हिस्सा रखना चाहिए था, उनको अपने मुरब्बों का हिस्सा रखना चाहिए था,उनको उस वक्त जो जमीनों की कीमत थी वह इस प्रकार नहीं रखनी चाहिए थी कि 60 रुपये बीघा में जमीने दे दो। यह सही है कि राष्ट्र निर्माण के लिए हिमाचल

08.03.2018/1450/बी0एस0/वाईके-2

हिमाचल प्रदेश हमेशा बलिदान करता आया है लेकिन राष्ट्र निर्माण के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश को जो-जो सुख-सुविधाएं मिलनी चाहिए थीं उन सुख-सुविधाओं से हिमाचल प्रदेश आज भी वंचित है ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। आज बिलासपुर के अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि उस तरफ से बिलासपुर की ओर आना हो तो पुलो का निर्माण नहीं हुआ। बाघछाल पुल की बात आती है, मुझे भी इस सदन में 30 वर्ष हो गए । हर बार

आता है कि इस बार बाघछाल पुल का निर्माण हो जाएगा फलां पुल बन जाएगा। एक पुल 1999 में बना है, उसके अलावा अभी तक बाघछाल पुल का निर्माण नहीं हुआ। उन पुलों के निर्माण के लिए पैसा नहीं है। आदरणीय अग्निहोत्री जी, जो 1960 मे एग्रीमेंट हुआ वह एग्रीमेंट ही फाल्टी एग्रीमेंट था । उसमें हमारे बिलासपुर के लोगों के हितों की रक्षा नहीं की गई। हम भी आपके साथ हैं, हमने कब कहा कि हम आपके साथ नहीं है। लेकिन मैं आपको वस्तुस्थिति से अवगत करवाना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, भाखड़ा बांध द्वारा प्रभावित विस्थापितों के बारे में विस्तृत रिर्पोट निम्नलिखित हैः

1. भाखड़ा बांध निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण का कार्य 1960 में हुआ था जिसमें 256 गांव प्रभावित हुए तथा 31191.26 एकड़ सरकारी भूमि तथा 10676.16 एकड़ निजी भूमि अधिकग्रहण की गई तथा लगभग 11277 किसान प्रभावित हुए।
2. प्रभावित परिवारों के मुआवजों के लिए सरकार ने एक भाखड़ा डेम विस्थापितों के लिए पुनर्वास एवं पुनर्निमाण (Grant of land) स्कीम 1971 बनाई। प्रभावित परिवारों को उक्त स्कीम के तहत मुआवजा दिया गया।
3. जिन प्रभावित परिवारों को उक्त नियम के तहत बिलासपुर शहर में प्लाट आंबटित किए गए, उन लोगों द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे किये गये थे और सरकार से अवैध कब्जे को नियमित करने हेतु बार-बार मांग कर रहे थे।

डी0टी0 द्वारा.....

08/03/2018/1455/AG-DT/1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ...जारी

4. उपायुक्त बिलासपुर द्वारा Bhakhra Dam oustees Right Protection Committee, Bilaspur ने सरकार से अवैध कब्जे को नियमति करने बारे एक विशेष

नीति बनाने हेतु मांग की थी व इसी संदर्भ में 9 CWPS माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हैं।

5. उच्च न्यायालय ने LPA No. 11/2005-प्रेम लाल भांमरा वनाम हि0प्र0 राज्य एण्ड अन्य में दिनांक 19.09.2010 को निम्नलिखित निर्णय लिएः-

(a) That respondents No. 1 and 2 (Government of Himachal Pradesh and Deputy Commissioner, Bilaspur) shall frame a uniform policy to deal with all the cases of encroachment in Bilaspur Township regarding its regularization or otherwise as they may deem just and proper.

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय उच्च न्यायालय के ओदश के मुताबिक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई। जो हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई वह मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश में बनाई गई और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश की। अगर आप इज़ाजत देंगे तो हम उस रिपोर्ट को सभा पटल पर भी ले कर देंगे। उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद जैसा माननीय राकेश सिंघा जी ने कहा,वर्ष 2000 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस वक्त इस एक्ट में अमैंडमैंट की गई कि जो एनक्रोचमैंट की धारा है, उसमें 163-ए शामिल किया जाए। जिस भूमि पर जिसका कब्जा है उसको वैसे ही रेग्यूलराइज कर दिया जाए। इसके लिए हजारों लोगों ने एप्लीकेशन्ज भी दी थी और इसके रुल्ज वर्ष 2002 के बाद ही बने। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इसको हाई कोर्ट में पुनम गुप्ता वनाम स्टेट द्वारा चैलैंज कर दिया गया। 163 (a) में माननीय उच्च न्यायालय का स्टे नहीं है परन्तु माननीय उच्च न्यायालय में इसको चेलैंज किया है।

08/03/2018/1455/AG-DT/2

अब माननीय उच्च न्यायालय में आदेश दिनांक 19.09.2010 की अनुपालना में भाखड़ा बांध से प्रभावित परिवारों द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को नियमित करने

हेतु मामला दिनांक 26.10.2013 को मंत्रिमंडल ने अपनी सहमती प्रदान की तथा जिसकी अधिसूचना दिनांक 28.10.2013 को जारी की गई।

भाखड़ा बांध विस्थापितों द्वारा बिलासपुर शहर में किए गए अवैध कब्जों को नियमित करने हेतू सरकार द्वारा बनाई गई विशेष नीति के अंतर्गत प्रापत आवेदन पत्रों पर नीति के नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

जहां तक भाखड़ा बांध विस्थापितों ने प्रदेश की अन्य भूमि पर अवैध कब्जों को नियमित करने बारे माननीय सदस्य द्वारा जो संकल्प लाया गया है वह भी नियमानुसार ही हो सकेगा चूंकि प्रदेश में सीमांकित अवैध कब्जों के संबंध में मामले CWP (PIL) No. 17 of 2014 Court on its own motion Versus State of H.P. पहले ही माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं, अतः उसके निर्णय उपरान्त ही विचार किया जा सकेगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, 163-ए भी हाई कोर्ट में अंडर चैलैंज है। अब एक ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि सारे-का-सारा मामला माननीय उच्च न्यायालय के पास है। आज भी एक केस लगा हुआ है।

08.03.2018/1500/SLS-AG-1

माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ...जारी

ऐसा नहीं है कि हम इसके ख़िलाफ़ हैं या हम इसको अडौप्ट नहीं करना चाहते। लेकिन जब सारा ही मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हैं; माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर बंदिश लगा रखी है और जैसा मैंने कहा कि इसके लिए ऑलरेडी पॉलिसी बनी हुई है जो कि आपके ही समय की बनी है और जब इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है तो हमें तो माननीय उच्च न्यायालय के फ़ैसले का इंतजार करना ही पड़ेगा। जब तक उनका फ़ैसला नहीं आता, उस वक्त तक हम इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए मेरा आदरणीय सदस्य श्री राम लाल ठाकुर जी से निवेदन

है कि आपने जो संकल्प दिया है, ऐसा नहीं है कि हम इस संकल्प के ख़िलाफ़ हैं, हम सब चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई करें, लेकिन जब माननीय उच्च न्यायालय में मामला लंबित है तो फिर हम इस पर कैसे निर्णय ले लें। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आपकी भावनाओं की हम कद्र करते हैं लेकिन इसमें हम भी बंधे हुए हैं। माननीय उच्च न्यायालय में मामला लंबित है। जब तक मामला लंबित है तब तक हम इस आपके संकल्प पर कोई भी निर्णय नहीं कर सकते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमने आपके संकल्प पर विस्तार से उत्तर दिया है, इसलिए आप अपने संकल्प को वापिस लेने की कृपा करें।

(माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए)

08.03.2018/1500/SLS-AG-2

अध्यक्ष : माननीय श्री राम लाल ठाकुर जी कुछ कहना चाहते हैं। आप अपनी बात रखें।

श्री राम लाल ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस पर बड़ी विस्तृत चर्चा की है। मैं यह कहना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में जितने प्रोजैक्ट बने, जितनी भी लोगों की दिक्कतें हैं उनको समराईज करके हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इस माननीय सदन में रख दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से भी और हिमाचल प्रदेश सरकार से भी एक निवेदन है कि एक तो साधारणतः जो प्रक्रिया कोर्ट में चली है, हम उसका इंतजार करेंगे। सबको मालूम है कि कोर्ट के आदेश क्या हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि अगर आपने बिलासपुर शहर को उजाड़ने का फ़ैसला करवाया है तब तो सरकार बिल्कुल मूकदर्शक बनकर रहे। हाईकोर्ट जो भी फ़ैसला करे, आपके हथौड़े भी चलेंगे, मशीनें भी चलेंगी, लेकिन वह सरकारी तंत्र से चलेंगी, हाई कोर्ट कोई मशीन लेकर नहीं जाएगा, हाई कोर्ट का कोई अधिकारी म्युनिसिपल कमेटी में नहीं जाएगा। यह सारी-की-सारी दिक्कत सरकार को झेलनी पड़ेगी। आपसे मेरा एक निवेदन यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद बिलासपुर में ही ऐसा हुआ। पहला प्रोजैक्ट बना और कहा कि this whole city is for oustees, कोई भी दूसरा आदमी शहर के अंदर मालिक नहीं बन सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 1990 में उसमें क्या हुआ कि जो एनक्रोचमैंट वहां लोगों ने कर रखी थी, सरकार ने निर्णय किया कि बिलासपुर शहर में अगर 20

स्कवेयर गज तक किसी की एनक्रोचमैंट हुई है, वह अप्लाई करे और कुछ पैसा देकर वह उसका मालिक बन जाएगा। अध्यक्ष महोदय, वह शहर जो आउस्टीज के लिए बना है, जिसमें कोई भी मालिक नहीं बन सकता था, वहां जिन लोगों ने एनक्रोचमैंट कर रखी थी, उनको मालिकाना अधिकार दे दिया गया। प्रश्न यह पैदा होता है कि हमारा सरकारी तंत्र, हमारे ब्यूरोक्रेट्स क्यों सोते रह गए कि जब बिलासपुर शहर आउस्टीज के लिए ही था, वहां कोई भी मालिक नहीं बन सकता था, तो ऐसा कैसे हुआ? माननीय शान्ता कुमार जी प्रदेश के मुख्य मंत्री बने और उस समय, माननीय अध्यक्ष महोदय, 27 लोगों को मालिक बना दिया गया। एक ऐसा भी समय आया कि लोगों ने गांवों से तबादले करवाकर बिलासपुर शहर में मालिकाना अधिकार ले लिया। बिलासपुर के जो आउस्टीज हैं,

जारी ...श्री गर्ग जी

08/03/2018/1505/RG/DC/1
श्री राम लाल ठाकुर------जारी

बिलासपुर के जो लोग हैं, मैं उनकी सारी व्यथा को इस माननीय सदन में इसलिए रखना चाह रहा हूं क्योंकि हमसे जो इलट्रीटमेंट हुआ है, चाहे कोई भी सरकार हो, लीपापोती करके हमारे ऊपर मरहम लगाया जाता है, लेकिन हमारी मूलभूत कठिनाइयों को सामने रखकर कोई भी सरकार आगे बढ़कर कुछ नहीं कर रही है। कुछ कदम उठाते हैं, लेकिन यह ऐसा मसला आ गया है जिस पर कुछ करना बहुत आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब नीति बनाने की बात आई, जब श्री महेन्द्र सिंह जी ने यह बताया कि यह नीति बनी है, उस नीति के मुताबिक भी because there were directions from Hon'ble High Court. कि बिलासपुर के विस्थापितों के लिए जिनको अतिक्रमण की परिभाषा में लिया गया है, हिमाचल प्रदेश सरकार कोई पॉलिसी लेकर आए। मैं कहना चाहूंगा कि जो पॉलिसी बनी, लेकिन उसमें उच्च न्यायालय ने शर्तें लगा रखी थीं। शर्तें ये लगा रखी थीं कि यदि मान लो किसी ने वन भूमि पर कब्जा किया हुआ है, तो वह 150 स्क्वेयर गज जगह भी नियमित नहीं होगी।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका विषय विस्तार से आ गया है।

श्री राम लाल ठाकुर : नहीं-नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही बता रहा हूं, पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिए, you may overrule it.

अध्यक्ष : देखिए, सलाहकार समिति ने जितना समय निर्धारित किया था, उससे लगभग अढ़ाई गुणा समय हो चुका है। माननीय मंत्री जी उत्तर दे चुके हैं।

श्री राम लाल ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, जो ब्यूरोक्रेट्स तैयार करके देते हैं, यह तो वही उत्तर हुआ। आज मुझे ये बताएं कि 28 तारीख के बाद बिलासपुर शहर में हमारा सरकारी तन्त्र उन विस्थापितों के मकानों को तोड़ेगा। वहां नोटिस लग चुके हैं और 48 घण्टे का भी नोटिस आ गया है। अब मुझे बताइए कि उस समय क्या यहां सारा सदन सोता रहेगा? वे लोग जो उजड़ रहे हैं चाहे वह उच्च न्यायालय ने आदेश कर रखे हैं, लेकिन क्रियान्वित करने वाली यह सरकार है। क्रियान्वित करने वाले हमारे अधिकारी हैं। आज मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस बिलासपुर जिले के लोगों ने या बिलासपुर के शहर के लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, आज तीन पीढ़ियों

08/03/2018/1505/RG/DC/2

के बाद अगर उनके मकानों को तोड़ने की बात आएगी, तो यहां हा-हाकार हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाएगी जिससे सरकार को निपटना मुश्किल हो जाएगा। वहां उच्च न्यायालय नहीं जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि मौजूदा परिस्थतियों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय में कोई दरख्वास्त दें, उच्च न्यायालय से निवेदन किया जाए कि वहां पर यह हाल है, कृपया इस फैसले के बारे में दुबारा से सोचा जाए। अगर सरकार कहेगी कि उच्च न्यायालय जो कहेगा, हम वह करेंगे, तो मैं कहूंगा कि वे यकीनन उजड़ेंगे। उनको कोई बचाने वाला नहीं है। ---(व्यवधान)----प्रश्न यह नहीं है कि हमने क्या किया? Don't say like this. अगर आपका घर उजड़ता, तो मैं आपको पूछता। लेकिन जिस गांव के लोगों ने---(व्यवधान)----Don't tell me this thing. No, I am saying, nothing doing. मैं जब अपनी बात कह रहा हूं, तो आप लोग भी अपनी बात खड़े होकर कहें। आपको उनके दर्द का नहीं मालूम। आपको भविष्य के बारे में मालूम नहीं

है। आपने केवल मात्र चर्चा के बीच में शामिल होना है। No, nothing doing. I am speaking because it is my Constitutional Right to speak . माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि यह जो परिस्थिति पैदा हो रही है अगर सरकार उसमें शामिल नहीं होगी, उच्च न्यायालय में कोई दरख्वास्त नहीं दी जाएगी, तो हमारा यह मुद्दा बिगड़ता जाएगा, लोग उजड़ेंगे। कृपया करके मैं हाथ जोड़कर सरकार से विनती करना चाहता हूं कि कृपा करके कोई ऐसा कदम उठाएं ताकि 28 तारीख को जो हा-हाकार का वातावरण बिलासपुर में होगा, उससे हमें बचा लीजिए। मेरा आपसे यही निवेदन है।

08/03/2018/1505/RG/DC/3

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, वैसे तो इस बारे में आप अपना उत्तर दे चुके हैं, लेकिन अब इस स्पष्टीकरण पर आप क्या कहना चाहते हैं, बोलें और माननीय सदस्य से संकल्प के बारे में बात करें।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं है कि हम इनकी भावनाओं को ठुकरा रहे हैं। एक तो ऐसा होता कि हम आपकी भावनाओं को ठुकरा रहे हैं। हम भी इनके साथ सहमत हैं, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय में यह मामला है। जैसा मैंने कहा कि 163(ए) जो हमने बनाया, वर्ष 2002 में जो नियम बने हैं, उसमें भी अब वे उच्च न्यायालय में चेलेन्ज्ड हैं। अब माननीय सदस्य से मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें कोई राजनीतिकरण करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा होता कि हम इस विषय का राजनीतिकरण कर रहे हैं, तो हम इसका राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं, मामला माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है और जब तक यह मामला माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है तब तक हम कोई फैसला कैसे ले सकते हैं? इतना जरूर है कि आप जो भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं और दिनांक 28 मार्च की जो आप बात कर रहे हैं,

एम.एस. द्वारा जारी

08/03/2018/1510/ms/ag/1

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जारी---

उसमें हमारे एडवोकेट जनरल है, हमारे एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं और हमारी ब्यूरोक्रेसी है। वे पूर्ण रूप से इसके बारे में सजग हैं कि किसी प्रकार से बिलासपुर में ऐसा कुछ न हो लेकिन अब मामला ही जब उच्च न्यायालय में है तो उसमें हम कैसे कोई फैसला इस सदन के अन्दर ले सकते हैं। इसलिए श्री राम लाल ठाकुर जी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप इस संकल्प को वापिस लें।

08/03/2018/1510/ms/ag/2

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, ऐसा है...,

अध्यक्षः माननीय सदस्य, एक मिनट बैठ जाइए। मुझे कुछ बोलने दो। मैं आपको बोलने के लिए समय दे रहा हूं। (.व्यवधान.)विषय माननीय सदस्य ने बहुत अच्छे से रखा है और विषय की गम्भीरता को सदन ने अच्छे से समझा है। सरकार इसका कोई हल निकाले, इस दिशा में मंत्री जी गम्भीर हैं। यदि फिर भी मुकेश अग्निहोत्री जी कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य राम लाल ठाकुर जी ने बहुत ही सामयिक संकल्प इस सदन में लाया है। इन्होंने जो आगे आने वाली स्थिति है उसके बारे में प्रदेश का जो सबसे बड़ा मंच है उस मंच पर यहां बात रखी है। मंत्री जी ने जो भी कहा है, इन्होंने वही बातें यहां रखी हैं जो हो चुका है और यह सबको मालूम है कि क्या हो चुका है। मंत्री जी के भाषण में कोई भी नयापन नहीं था। बेहतर होता यदि मुख्य मंत्री जी यहां होते क्योंकि यहां पर एक बहुत ही नाजुक मसले पर बात हो रही है और यह बात उनको मालूम भी थी। वे इसको देखते कि इसका क्या हल निकल सकता है। मंत्री जी ने यहां जो भी कहा उससे तो यही लगा कि सरकार बेबस है और कुछ नहीं कर सकती है। 28 तारीख के बाद

जो हालात पैदा होने हैं उसका अंदेशा आज ही इस सदन में आ गया है। जो संकल्प के बारे में आपके लोगों ने भावनाएं प्रकट कीं और जो हमारे सदस्यों ने प्रकट कीं, उस सबके बावजूद भी आप इस संकल्प को इसलिए एडॉप्ट नहीं करेंगे कि इसे राम लाल ठाकुर जी ने लाया है?

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः ऐसा नहीं है।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः बिल्कुल ऐसा ही है। आप इस संकल्प को इस सदन में एडॉप्ट नहीं कर रहे हैं जबकि राष्ट्र निर्माण में लोगों ने योगदान दिया। आप इस स्थिति में हैं और इस नाजुक घड़ी में सरकार को फैसला करना चाहिए। आप ऐसे मसले पर सारे सदन की भावनाएं जानने के बावजूद भी इस बात पर आ रहे हैं कि मत विभाजन कर लिया जाए और इस संकल्प को नकार दिया जाए। मुझे लगता है कि इससे गलत बात और कोई भी इस सदन में नहीं हो सकती है। आपको इस मसले पर कोई निर्णायक बात इस सदन में कहनी

08/03/2018/1510/ms/ag/3

चाहिए कि किस तरह से इस स्थिति को आप टालने जा रहे हैं। आप किस ढंग से लोगों से न्याय करने जा रहे हैं। यह जो मसला है इसको आप मत विभाजन करके समाप्त करने का विषय मत बनाइए बल्कि इसमें आप कोई ठोस निर्णय इस सदन में उपस्थित लोगों को सुनाएं।

अध्यक्षः आपने अपनी बात कह दी है।(माननीय सदस्य श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु और श्री राकेश सिंघा जी की ओर इशारा करते हुए) मेरे पास एंट्रीज हैं। आप सब लोग बोल चुके हैं। जब आप बोल चुके हैं तो इसमें बार-बार चर्चा नहीं होती है। बैठिए।(.व्यवधान.) नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। माननीय मंत्री जी आप यदि कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दे दें। (.व्यवधान.) फैक्ट्स आपने बोलते समय बोले हैं। मंत्री जी का जवाब आ चुका है। (.व्यवधान.) नियमों में प्रावधान नहीं है। माननीय मंत्री जी आप बोलिए।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, जो कांग्रेस के विधायक अग्निहोत्री जी ने कहा है कि हम इस मसले को (.व्यवधान.)

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

08.03.2018/1515/जेके/एचके/1

अध्यक्षः माननीय सदस्य इसमें नियम में प्रावधान नहीं है। माननीय सदस्य आपने बोल दिया है आप बैठ जाएं। ....(व्यवधान).....

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, जो मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा कि हम इस मसले को दबाने की कोशिश में नहीं है लेकिन अभी तो सरकार को बने हुए दो महीने हुए हैं। यह मसला कोई दो महीने में पैदा नहीं हुआ है। अभी हमारी सरकार आई और दो महीने में यह मसला पैदा हो गया? आप पांच साल सत्ता में रहे। आपने क्यों नहीं निर्णय लिया? आप निर्णय ले लेते तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती। आपने क्यों नहीं निर्णय लिया? मुकेश जी ,आप भी मंत्री थे। पूर्व मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। यदि विषय इतना गम्भीर था तो आपको चाहिए था कि आप निर्णय लेते। आप केवलमात्र अखबारों की सूर्खियां बनना चाहते हैं बाकी कुछ नहीं।

अध्यक्षः आप बैठिए। ....(व्यवधान).....

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः आप लोग पांच साल कहां रहें? आपने क्यों नहीं फैसला लिया? आपको पांच सालों के अन्दर निर्णय ले लेना चाहिए था। ....(व्यवधान)..... हमारी सरकार को दो महीने ही हुए हैं। हम लोगों से आप क्या चाहते हैं? अध्यक्ष जी, पांच साल तक ये सरकार में रहे और पांच साल तक ये फैसला नहीं ले पाए। अभी दो महीने सरकार को हुए हैं और हमारी सरकार से चाहते हैं। ये इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं, अखबारों की सुर्खियां बनना चाहते हैं। अग्निहोत्री जी अखबारों की सुर्खियों से यहां नहीं पहुंचते हैं। ....(व्यवधान)..... आप लोग पांच साल कहां रहे? आपको चाहिए था कि इस पर आप निर्णय लेते। आप क्या बात करते हैं? आप इसमें राजनीति करने जा रहे हैं। माननीय हाई कोर्ट में यह मसला है। ....(व्यवधान)..... हम इसमें कोई निर्णय नहीं ले

सकते है। वर्ष 1960 से 1970 के दशक में कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश के अन्दर थी। वर्ष 1960 से लेकर 1977 तक कांग्रेस की सरकार थी। वर्ष 1982 में कांग्रेस की सरकार थी। वर्ष

08.03.2018/1515/जेके/एचके/2

1993 से 1998 तक कांग्रेस की सरकार थी। वर्ष 2003 से 2008 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। वर्ष 2013 से 2017 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। आपने क्यों नहीं निर्णय लिया? आपको निर्णय लेना चाहिए था। आपकी उन लोगों के साथ कोई सहानुभूति नहीं है। आप लोग केवलमात्र राजनीतिक दृष्टि से फायदा उठाने के लिए कह रहे हैं। आप लोग 70 सालों में 55 साल तक राज करते रहे। आप इस मसले को लटकाते रहे। इस मसले को लटकाने में कांग्रेस पार्टी का विशेष योगदान है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य आप क्या अपना संकल्प वापिस लेने के लिए तैयार है। ?

....(व्यवधान).....

(श्री अनिरूद्ध सिंह जी को छोड़ कर कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यों तथा माकपा के श्री राकेश सिंघा ने सदन से बहिर्गमन किया।)

....(व्यवधान).....

तो प्रश्न यह है कि यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि "भाखड़ा बांध विस्थापित परिवारों ने जहां-जहां प्रदेश की भूमि पर कब्जे किए हैं उन्हें यथावत् नियमित करने हेतु नीति बनाई जाए"।

संकल्प अस्वीकार।

08.03.2018/1515/जेके/एचके/3

अध्यक्षः अब दूसरा संकल्प प्रस्तुत होगा। माननीय सदस्य, श्री अनिरूद्ध सिंह जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----

08.03.2018/1520/SS-HK/1

श्री अनिरूद्ध सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में बन्दरों द्वारा किसानों/बागवानों की फसलों को पहुंचाये गए नुकसान बारे कोई ठोस नीति बनाई जाए।

अध्यक्षः श्री अनिरूद्ध सिंह जी द्वारा संकल्प प्रस्तुत हुआ।

(विपक्ष के माननीय सदस्य सदन में पुनः वापिस आए।)

--(व्यवधान)-- अच्छा अब काफी हो गया। अब पहला विषय खत्म हो गया है और दूसरा शुरू है। यह संकल्प श्री अनिरूद्ध सिंह जी ने प्रस्तुत किया। इस संकल्प के लिए कार्य सलाहकार समिति ने 90 मिनट का समय निर्धारित किया है। --(व्यवधान)--ठाकुर साहब, प्लीज। इस संकल्प में बोलने वाले 12 सदस्यों की सूची हमारे पास आई है। जो मूवर आदरणीय अनिरूद्ध सिंह जी हैं इनको और 15 मिनट का समय दिया जाता है। बाकी सदस्यों को 10-10 मिनट का समय दिया जायेगा। माननीय अनिरूद्ध जी।

श्री अनिरूद्ध सिंहः अध्यक्ष महोदय, आज जो संकल्प मैंने प्रस्तुत किया है यह कोई नया संकल्प या नई चर्चा सदन में नहीं है और मैं यह नहीं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी ऐसी कांस्टीचूऐंसी होगी जो इस मुद्दे से अछूती हो। जब मैं पहली बार जिला परिषद् मेम्बर के रूप में इलैक्ट्रोल पॉलिटिक्स में आया था तो सदन में यह बात उठती रही। बंदरों, जंगली जानवरों द्वारा नुकसान होता रहा है। अब आपको भी इस बात का पता है कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि किसानों ने अपनी फसल उगाना बंद कर दिया है। इस बारे में सभी ने आवाज़ उठाई है चाहे कोई एन0जी0ओ0 हो, संस्था हो, आम आदमी हो या

कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। कई पार्टीज़ तो इसी के नाम पर वोट मांगती हैं। बंदरों, सुअरों पर वोट मांगती हैं और मैं समझता हूं कि 1998 के बाद कोई भी सरकार रही हो, चाहे बी0जे0पी0 सरकार थी या कांग्रेस पार्टी की गवर्नमैंट थी, सभी ने उस समय के हिसाब से पर्याप्त स्टैप्स उठाए हैं। कुछ कामयाब भी हुए हैं। एक्सपैरीमेंटस में कुछ फेल्योर भी हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 15 मिनट का समय दिया है मैं उसी में अपनी बात पूरी करूंगा परन्तु हमारे को और स्टैप्स लेने की ज़रूरत है क्योंकि बंदर एक इंटैलीजैंट जानवर है, मानव भी बंदर प्रजाति

08.03.2018/1520/SS-HK/2

से ही आगे मानव बना है। आजकल आपको पता है कि वे इंसान का दिमाग पढ़ लेते हैं कि किसान क्या चाह रहा है। आम आदमी चल रहा है, वह क्या चाह रहा है। पहले मां-बाप बोलते थे कि बेटा बाहर मत जा, शेर आ जायेगा। अब समय यह आ गया है कि मां-बाप बोलते हैं कि बेटा बाहर मत जा, बंदर खा जायेगा। आपको पता है कि न केवल फसलें बर्बाद हुईं बल्कि पिछले दो-तीन साल में बहुत ज्यादा घटनाएं काटने की हुई हैं और शिमला शहर में भी पिछले साल मिडल बाज़ार में एक लेडी बंदरों की वजह से गिरी थी और उसकी डैथ हुई थी। सदन में उसका मामला उठा था। --(व्यवधान)-- इस प्रकार कई लोग मर चुके हैं। पिछले कल एक पार्षद् को बंदरों ने नोचा है।

जारी श्रीमती के0एस0

08.03.2018/1525/केएस/वाईके/1

श्री अनिरुद्ध सिंह जारी---

इसी तरह से कल पवन काजल जी, माननीय विधायक को कल मैट्रोपोल में बंदर पड़ गए और ये बाल-बाल बचे हैं। मैं भी इनके साथ था। वह तो शुक्र है स्पीकर साहब का इन्होंने जो झोला दिया था, उसको दिखाकर हमने बंदरों को डराया। सरकार ने जो इस सम्बन्ध में

कदम उठाए हैं, अभी उन्हें वर्मिन घोषित किया गया था जिस बारे में पिछले वर्ष सैंटर से परमिशन आई थी परन्तु लोगों ने आस्था के कारण बंदरों को नहीं मारा । लोग उन्हें हनुमान का वंशज मानते हैं लेकिन हनुमान जी के वंशज तो लंगूर हैं और पहले भी हमने यह बात यहां पर उठाई थी। इलैक्ट्रिक फैंसिंग की गई परन्तु बंदर उसको क्रॉस ओवर कर जाते हैं। नसबन्दी की गई, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं परन्तु मैं समझता हूं कि बंदरों की नसबन्दी सबसे बड़ी असफलता रही ।ऐसा नहीं है कि वन विभाग ने काम नहीं किया परन्तु असफल रहे और मैं मानता हूं कि जब हम कोई काम करेंगें तभी सफल और असफल होंगें लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि फोरैस्ट डिपार्टमैंट द्वारा प्रोफैशनल लोगों की टीम बनाई जाए और उनको बंदरों को और सूअरों को मारने का ठेका दिया जाए। नसबन्दी में खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है और उसका इतना ज्यादा प्रभाव नहीं है इसलिए यह एक कारगर कदम हो सकता है। पूरे प्रदेश के अंदर आज किसान हर जगह से पिस रहा है। कहीं मौसम की मार झेल रहा है तो कहीं पानी की मार झेल रहा है। कहीं आवारा पशुओं की मार झेल रहा है तो कहीं सूअरों की मार झेल रहा है। सड़कें बन रही है, इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है तो वह किसानों की जमीन कम्पलसरी एक्विज़िशन हो रही है। किसान उससे भी मर रहा है। डवैल्पमैंट हो रही है, सरकारी प्रोजैक्ट आ रहे हैं तो वे भी किसानों की जमीन के अंदर उनसे कम्पलसरी एक्विज़िशन से बन रहे हैं। कुछ सब्जी मण्डी में उनको आढ़ती मारते हैं। कहीं उनको खाद भी समय से नहीं मिलती, लोन के इंट्रस्ट में भी वे लोग मारे जा रहे हैं।

08.03.2018/1525/केएस/वाईके/2

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी जो जमीन के अधिग्रहण की बात आई, मैं सरकार से अनुरोध करुंगा कि जो कम्पलसरी एक्विजिशन है, चाहे वह हाईवेज़ के लिए है या सरकारी प्रोजैक्ट के लिए है उनको कम से कम चार गुना मुआवज़ा मिलना चाहिए। अभी पीछे हमारे फोर लेन या सुपर हाईवेज़ जो मण्डी को, कुल्लू को या प्रदेश की अन्य जगहों पर जा रहे हैं, उनको केवल टू टाइम मुआवज़ा मिल रहा है लेकिन किसानों को चार गुना मुआवज़ा जो कि सैंटर से ऑलरेडी पास है, वह मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में अपने ही क्षेत्र की बात लाना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में एक आई.जी.एम.सी. फेज-॥ चमयाणा क्षेत्र में, भट्टाकुफ़र में बन रहा है। सारी सड़कें वहां हैवी मशीन से खराब होती जा रही हैं। उस पर रोक लगनी चाहिए एक ऑल्टरनेट रोड़ बनना चाहिए। मैहली-गुसान रोड़ है जो पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत बना है। किसान वहां से चलते हैं अपनी सब्जियां ले जाते हैं। उसकी मैटलिंग के ऑर्डर हुए थे परन्तु ठेकेदार ने डिपार्टमैंट को लिख कर दे दिया कि मैं यह मैटलिंग नहीं कर सकता क्योंकि इस पर हैवी मशीनरी जा रही है। इसके लिए ऑल्टरनेट रोड़ बनाया जाए। बंदरों की वजह से फसलों का जो नुकसान होता है, उसके लिए एक कम्पनसेशन की नीति सरकार बनाएं । उसकी वजह से मौतें भी हो रही है या लोग घायल हो रहे हैं मेरे पास अभी आंकड़े नहीं है परन्तु लाखों रुपये सरकार कम्पनसेशन के रूप में सिर्फ जानवरों के काटने पर देती है। बंदरों के लिए कितने पैसे सरकार बर्बाद कर रही है। तो एक ऐसी नीति की जरूरत है और मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं इसके लिए

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

8.3.2018/1530/av/yk/1

श्री अनिरूद्ध सिंह क्रमागत

हमें किसानों व बागवानों के लिए मिल-जुलकर काम करना चाहिए क्योंकि बंदर बहुत उत्पात मचाते हैं और नुकसान भी ज्यादा करते हैं। बंदर सेब के पेड़ से सेब नहीं तोड़ते बल्कि टहनियों को तोड़ते हैं, बंदरों की इस प्रकार की प्रवृति होती है। इसलिए मैं समझता हूं कि लोगों तथा किसानों/बागवानों को उचित मुआवज़ा मिलना चाहिए। साथ ही, वर्तमान सरकार एक अच्छी नीति बनाये और यह नीति मिल-जुलकर बनाई जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार को इसमें विपक्ष का पूरा सहयोग मिलेगा क्योंकि यह समस्या हम सभी से सम्बंधित है और पूरे प्रदेश की जनता इस समस्या को फेस कर रही है। इसी के

साथ में अपनी बात खत्म करता हूं। (---व्यवधान---) इसके लिए कानून बना है कि लोग बंदरों को ब्रैड या अन्य खाने की चीजें न दें।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य का धन्यवाद क्योंकि इन्होंने निश्चित समय के अन्दर अपनी बात कही है।

अब श्री इन्द्र सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

8.3.2018/1530/av/yk/2

श्री इन्द्र सिंह (सरकाघाट) : अध्यक्ष महोदय, नियम-101 के तहत जो संकल्प माननीय सदस्य श्री अनिरूद्ध सिंह जी ने इस मान्य सदन में प्रस्तुत किया है मैं उस पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव सामयिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह समस्या प्रदेश की लगभग 75 प्रतिशत जनता को सीधे तौर से प्रभावित कर रही है। प्रदेश की 3243 पंचायतों में से लगभग 2300 पंचायतें इस समस्या से बुरी तरह से जूझ रही है। किसानों व बागवानों को पहले ही कुदरत का कहर झेलना पड़ता है। आसमान की तरफ देखना पड़ता है कि कब वर्षा होगी या बर्फ गिरेगी। दूसरे जानवरों की मार से चाहे जंगली जानवर हैं, आवारा पशु है या बंदर हैं; उनसे हो रहे नुकसान को भी झेलना पड़ता है। चूंकि यह प्रस्ताव केवल बंदरों तक ही सीमित है इसलिए मैं भी अपनी बात बंदरों तक ही सीमित रखूंगा। अच्छा होता अगर यह प्रस्ताव सारे तत्वों को मिलाकर किया होता तो एक समग्र प्रस्ताव इस मान्य सदन में पेश होता।

वर्ष 2016 में पिछली सरकार के कार्यकाल में वन विभाग ने प्रदेश में बंदरों की संख्या को लेकर एक सर्वेक्षण किया था। उस सर्वेक्षण के मुताबिक उस समय प्रदेश में 2,07,614

बंदर थे जिसमें से लगभग 1,25,266 बंदरों की नसबंदी कर दी गई थी। यह जो संख्या दी गई है यह डिबेटेबल है क्योंकि किसान संघ के अनुसार प्रदेश में बंदरों की संख्या 5-6 लाख के बीच में है। यह हैरानी की बात है कि यदि 2,07,614 बंदरों में से आधे से ज्यादा की नसबंदी हो चुकी है जैसे कि पिछली सरकार क्लेम करती रही है तो फिर बंदरों की संख्या इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? उनकी बढ़ोतरी अगर होती तो थोड़े कम रेट से होती। जमीनी हकीकत से जो यह आंकड़े मेल नहीं खाते इसके दो कारण हो सकते हैं। इसमें या तो किए गए सर्वेक्षण के अनुसार संख्या गलत है या फिर नसबंदी का दिया गया डेटा गलत है या दोनों ही गलत हो सकते है। इसलिए

8.3.2018/1530/av/yk/3

पिछली सरकार द्वारा बंदरों के बारे में किए गए दावे कि हमने यह किया, वह किया या इतना पैसा खर्च किया; मेरे ख्याल में जमीनी हकीकत से बिल्कुल परे की बात है। पिछली सरकार ने बंदरों की संख्या कंट्रोल करने के लिए कुछ कदम उठाये थे और मैं समझता हूं कि उनका मान्य सदन में जिक्र करना बहुत जरुरी है। यहां पर नसबंदी करने की बात बड़े जोर-शोर से होती रही। उसके लिए ट्रैंक्युलाइजर गन्स खरीदी गईं और बंदरों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए पिंजरे खरीदे गये जिस पर लगभग 3.5 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

श्री टी0सी0 द्वारा जारी

8.3.2018/1535/TCV/AG-1

श्री इन्द्र सिंह (सरकाघाट)..... जारी

इसके अलावा एक बंदर को पकड़ने के लिए 500 रुपये का इनसैंटिव भी दिया गया। इस प्रकार से लगभग एक लाख 25 हजार बंदरों की नसबंदी हुई और इतने ही बंदर पिछली सरकार ने पकड़े। अगर 500/-रूपये के हिसाब से खर्चा लगाया जाये तो ये खर्चा तकरीबन 6 करोड़ 25 लाख बनता है। जब इतना ज्यादा खर्चा पिछली सरकार ने किया तो फिर

बंदरों की संख्या पर कंट्रोल क्यों नहीं हुआ? यह एक सोचने का विषय है। मैं माननीय मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि इस विषय पर विचार किया जाये। आपने (विपक्ष) लगभग 7 करोड़ रुपये खर्च करके मंकी कैचर की जेबें भरी है, लेकिन किसानों के हाथ में कुछ नहीं लगा। किसानों की सारी-की-सारी फसल तो बंदरों ने नष्ट कर दी। इतना पैसा खर्च करने से न तो लोगों के ऊपर हमले रूके और न ही लोगों की फसल नष्ट होने से बची। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस विषय में जाने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने बंदरों को वर्मिन भी घोषित किया और शायद कुछ किसानों को बंदर मारने के लिए राईफलें भी बांटी होगी, लेकिन नतीज़ा उसका भी कुछ नहीं निकला। इस माननीय सदन में यह भी बात की गई कि बंदरों को रखने के लिए सैंटर बनाये जाएंगे। हर सैंटर में एक हजार आवारा बंदर और कुछ नसबंदी किए हुए बंदर रखे जाएंगे। आपने यह भी घोषणा की थी कि 'रैस्क्यू सैंटर फॉर लाईफ केयर' शिमला के पास खोला जाएगा। मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपको वास्तविकता बता रहा हूं, लेकिन वह घोषणाओं तक ही सीमित रहा और ऐसा उसमें कुछ नहीं हुआ। इसलिए बंदरों की समस्या जस-की-तस बनी हुई है। मनरेगा के तहत कुछ 'राखा' रखने की बात हुई थी कि रखवाले रखे जाएंगे, लेकिन वह भी बात नहीं बनी। फसलों को बचाने के लिए पिछली सरकार ने 80:20 में सोलर फैंसिंग का प्रावधान किया। मेरे ख्याल में that became most ineffective method क्योंकि किसानों ने उसको अडॉप्ट ही नहीं किया, शायद वे उस टेक्नोलोजी पर कंज्यूम करने लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि आपने इसका प्रोपरली प्रचार-विचार नहीं किया। इसकी वज़ह से आपकी (विपक्ष) यह स्कीम भी सारी-की-सारी फेल हो गई और हर साल किसानों को बंदरों की वज़ह से तकरीबन 500 करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसलिए आपका यह जो प्रस्ताव है यह

8.3.2018/1535/TCV/AG-2

बहुत सामयिक प्रस्ताव है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। इस समस्या के पीछे बंदरों का दोष नहीं है। यह समस्या हमारी पैदा की हुई है। हमने जंगल काट कर कम कर दिए। उनके आश्रय में इंक्रोचमैंट किया और उन्होंने हमारे ऊपर इंक्रोचमैंट करना शुरू कर दिया। अगर आप चीड़ के जंगल नहीं लगाते, वन विभाग ने सारी जमीन पर चीड़ के पेड़

लगा दिए। अब चीड़ के जंगल में बंदरों के लिए क्या मिलेगा? उनको न तो पत्ते मिलेंगे, न फ्रूट खाने के लिए मिलेगा। वह अवश्य ही गांव/शहर की तरफ आएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम प्रकृति को मानवीय हस्तक्षेप से अपनी इच्छानुसार बदलना चाहते हैं। That is a root cause of all these problems. इसलिए आप इंक्रोचमैंट करिए, वह हमें इंक्रोचमैंट करेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी मैं कुछ सुझाव इस सदन में रखना चाहता हूं। हमारी पशुओं की समस्या तो 10-15 सालों में अपने-आप खत्म हो जाएगी। लेकिन बंदरों की समस्या हमेशा हमें तंग करती रहेगी। इसके लिए मैं कुछ शार्ट टर्म और कुछ लाँग टर्म सुझाव देना चाहूंगा। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मनरेगा के माध्यम से राखा रखने का कोई प्रोविज़न हम यदि एक्सप्लोर कर सकें तो हमें करना चाहिए।

श्रीमती एन0एस0 ...द्वारा जारी।

08-03-2018/1540/NS/AG/1

श्री इन्द्र सिंह (सरकाघाट) ------जारी।

जहां हमारी आबादी की कन्सैन्ट्रेशन है, वहां पर बन्दरों के लिए खाना न डालें। अगर बन्दरों को खाना न देते तो शायद बन्दर रिटीज़ थियेटर के पास नहीं आते जहां पर काउंसलर को बंदरों ने काट लिया है। इसके लिए भी पब्लिक में जागरूकता होनी चाहिए। मैंने सुना है कि जहां पर लंगूर होते हैं वहां पर बंदर नहीं होते हैं। अगर लंगूर लाये जायें तो हो सकता है कि बंदर भाग जायें। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी देखा है कि अगर किसी बंदर को मार करके पेड़ से टांग दें तो उस एरिया में बंदर नहीं आते हैं। यह शार्ट टर्म मेज़र हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, लोंग टर्म मेज़र में हमें नसबंदी के ऊपर जोर देना चाहिए। मेरे हिसाब से नसबंदी एकमात्र इफैक्टिव मेज़र है। नसबंदी असलीयत में होनी चाहिए और हमें नर बंदरों के ऊपर ज्यादा ज़ोर देना चाहिए। इसकी निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स तैयार की जाए, जो देखे कि सच में ही ऐसा कार्य हुआ है या नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा पिछली सरकार में हुआ है। उस वक्त हमें बताया गया था कि दो लाख के करीब बन्दर हैं और उनमें से 1.25 लाख के करीब स्ट्रलाईज़ हो गये हैं। फिर बन्दरों की संख्या बढ़

कैसे रही है? मेरे हिसाब से उनकी प्रोपर तरीके से नसबंदी नहीं की गई थी। वे कागज़ी घोड़े ही दौड़ाते रहे हैं। इसलिए इस विषय में आप कोई टास्क फोर्स बनायें।

अध्यक्ष महोदय, हमें केंद्र से बंदरों के एक्सपोर्ट का ईश्यू भी उठाना चाहिए। कलिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं जानता हूं कि इसमें धार्मिक भावनायें आती हैं लेकिन फिर भी अगर कलिंग की व्यवस्था करें तो इससे भी इनकी संख्या कम हो सकती है। पहले मिलेजुले जंगल होते थे, उसमें हर प्रकार के पेड़ होते थे, फलदार पेड़ भी होते थे और बंदरों का वहीं गुज़ारा हो जाता था। आजकल जंगलों में चीड़ के पेड़ लगा देते हैं, बंदर उसकी न तो पत्ते खा सकते हैं और न ही उसमें कोई फल लगता है। बंदर फिर शहर की तरफ ही आयेंगे और कहां जायेंगे? माननीय वन मंत्री जी सुबह मेरे ही प्रश्न का जवाब दे रहे थे कि हम पौधारोपण करेंगे। मैं समझता हूं कि अगर हम फलदार पेड़ जंगलों में लगायें तो बन्दर लोंग टर्म मेज़र में वहां अपने आप confine रहेंगे। इसलिए इस विषय में भी विचार किया जाना चाहिए। जंगलों में चीड़ के पौधे न लगायें, यह हर तरह से नुकसानदायक सिद्ध हो रहे हैं। (घण्टी) *I will take one minute, Sir*. अध्यक्ष महोदय,

08-03-2018/1540/NS/AG/2

यह भी देखना चाहिए कि अन्य राज्यों और विदेशों में इस समस्या का कैसे निवारण किया गया है? इस दिशा में भी थोड़े अध्ययन की आवश्यकता है। यह समस्या बहुत ही गम्भीर समस्या है। माननीय सदस्य अनिरूद्ध जी ने ठीक कहा है कि किसानों ने खेती करना छोड़ दिया है। अगर कृषि प्रधान देश में किसान खेती करना छोड़ देगा तब वह कहां जायेगा? Where will you consume them? मेरे हिसाब से कृषि फायदे का व्यवसाय नहीं है। लेकिन हमारी 70 प्रतिशत जनता कृषि का काम करती है। उनको कृषि से रोज़गार मिला हुआ है। इस समस्या का हल नहीं होगा तो किसान कृषि छोड़ने के लिए मज़बूर हो जायेगा और प्रदेश में शांति का वातावरण नहीं रहेगा। यह एक बहुत ही गम्भीर समस्या है। यह पक्ष और विपक्ष दोनों की समस्या है। मैं समझता हूं इसमें दोषारोपण करने की कोई बात नहीं है। लेकिन हम जो भी काम करें वह इफैक्टिव हो। इस समस्या का हमें मिलजुल करके समाधान करना चाहिए ताकि इस समस्या से निज़ात मिल सके। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद

08-03-2018/1540/NS/AG/3

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी अनिरूद्ध सिंह जी ने बंदरों से संबंधित जो संकल्प लाया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। बंदरों की समस्या एक समस्या न हो करके एक बीमारी का रूप धारण कर चुकी है।

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

08.03.2018/1545/RKS/DC/1

श्री सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खु... जारी

पिछले 10-12 साल से इस सदन में इस बात पर चर्चा होती रही कि बंदरों की संख्या में इज़ाफा हो रहा है। इसके लिए कई प्रकार के उपाय भी सुझाए गए। एक उपाय नसबंदी से संबंधित था और यह हमारी सरकार ने वर्ष 2003 में शुरू किया। लेकिन बंदरों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती गई। भारत सरकार ने वर्मिन की नोटिफिकेशन की और इसके लिए एक वर्ष की एक्सटैंशन भी मिली हुई है। परन्तु यहां पर आस्था का प्रश्न आता है। किसान, बागवान यह सोचता है कि ये भगवान राम के प्रतीक हैं। इनको मारने के लिए वह अपनी बन्दूक तक नहीं उठाता है। हिमाचल के लोग बंदरों को मारने की तरफ कम ध्यान देते हैं। बंदरों को मारने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। बंदरों को मारने के लिए यदि आप बाहर से लोगों को बुलाएं ओर उनसे बात करें तो कुछ समस्या का समाधान हो सकता है। मैं आपको नसबंदी की बात सुनाना चाहूंगा। ठाकुर सिंह भरमौरी जी उस समय वन मंत्री थे। बंदरों का एक झुण्ड होता है और उस झुण्ड में 10-15 बंदर एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। मैने भरमौरी जी से छोटा शिमला में अनुरोध किया और आदरणीय भारद्वाज जी भी वहीं पर स्ट्रॉबेरी हिल में रहते हैं। मैंने देखा कि 10-15 बंदरों का झुण्ड सुबह 7.00 बजे उठता है और शाम को उसी रूट से वापिस आता है। हमने इसके लिए भरमौरी साहब से

अनुरोध किया था परन्तु इसमें सरकार का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इनकी नसबंदी करवा दूंगा। मैंने कहा यह अच्छी बात है। 15 दिन के बाद उनका फोन आता है कि हमने बंदरों की नसबंदी करवा दी है। परन्तु 8 महीनों के बाद जब मैं वहां देखता हूं तो जो 10-12 बंदर थे, उनकी संख्या 16 हो गई थीं। उनके साथ 4 बच्चे और चल पड़े। मैं यह इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जो हम नसबंदी की बात करते हैं, जो आंकड़े हम दर्शाते हैं, सही मायने में वे आंकड़े सही नहीं होते हैं। वर्ष 2003 में हमारी सरकार थी और वर्ष 2007 से वर्ष 2012 तक धूमल जी की सरकार थी। 15 वर्षों से हम इस समस्या से, जो समस्या नहीं बीमारी बन चुकी है और किसान ने अपनी फसल उगाना बंद कर दी है। बागवानों को अगर सेब की रक्षा करनी है या किसी चीज़ की रक्षा करनी है तो दिन में भी चौकीदार चाहिए और रात को भी

08.03.2018/1545/RKS/DC/2

चौकीदार चाहिए। इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, इस संदर्भ में गम्भीर होने की बात है। आस्था के प्रश्न के आगे हम सब झुक जाते हैं। आज किसान किसी भी जगह फसल उगाने जाता है तो बंदर वहां आ जाते हैं और छोटे-से-छोटे कनक या मक्की के बीज को भी खा जाते हैं। घरों की यह हालत है कि जो हमारे घर हैं उनमें आजकल तो पक्की छतें डलना शुरू हो गई हैं परन्तु पहले स्लेट की छतें हुआ करती थीं। गांव में अब भी कई जगह ऐसी ही छते हैं। बंदर स्लेटों को हटाकर, घर में घुस जाते हैं और रोटी की टोकरी से रोटी को उठाकर भाग जाते हैं। आज यह समस्या बढ़ती जा रही है। आज बंदरों की संख्या में अधिक-से-अधिक इज़ाफा हो रहा है। आंकड़े यह बताते हैं कि इस समस्या से निपटने के लिए 6-7 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। कई नसबंदी केंद्र खोले गए लेकिन कहीं पर भी सफलता नहीं मिली। इसके लिए कोई ऐसी नीति तैयार की जाए जिससे कोई सफलता हमारे हाथ लगे। आज किसान खेतीबाड़ी छोड़ चुका है। आप जितनी चाहे सिंचाई की योजनाएं लाएं, फल उत्पादक के पास जितनी मर्जी सिंचाई की योजनाएं पहुंच जाएं, कृषि

विभाग जितना मर्जी पैसा खर्च कर दें लेकिन बंदर जब खेत में जाता है तो पूरी फसल को उजाड़ देता है। एक फसल है जिससे बंदर दूर भागता है। वह फसल हल्दी की फसल है। हल्दी की फसल से बंदर दूर भागता है। अदरक की फसल को बंदर निकालता है,उसे तोड़ता है परन्तु खाता नहीं है। उसे वह वेस्ट कर देता है। लेकिन हर जगह हल्दी नहीं हो सकती। जहां बागवान लोग हैं, उनकी फसल को बचाने के लिए क्या किया जाए? सरकार ने अभी तक ऐसी कोई नीति नहीं बनाई है कि जिस फल उत्पादक या किसान की फसल को बंदर से नुकसान होता है उसके लिए कुछ राहत दी जाए।

श्री बी0एस0 द्वारा .....जारी

08.03.2018/1550/बी0एस0/वाईके-1

अगर उनके लिए कुछ राहत भी दी जाए तो भी किसान और बागवानों की समस्या का हल हो सकता है। यही नहीं राहत के अलावा हम लोगों को एक और बात पर चिंतन करने की जरूरत है। कब से यह टॉपिक चल रहा है। लेकिन टॉपिक चलने के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। वन मंत्री जी युवा हैं, उम्मीद भी है और आशाएं भी बहुत हैं। जब प्रश्न का उत्तर दे रहे थे तो बड़ा विस्तृत उत्तर दे रहे थे । मेरा मानना है कि आप इसमे कुछ ऐसा उत्तर देंगे जिससे हमारे किसानों और बागवानों को ज्यादा लाभ हो। एक बात और मैं माननीय वन मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। मंत्री जी आप एक बीट चुन लीजिए। क्योंकि बन्दरों की भी अपनी पॉकेटस होती हैं। इन पॉकेटस में वे रहते हैं। दिन भर बाहर रहते हैं और शाम को वापिस चले आते हैं। अगर आप इन्हें मारने का ठेका देते हैं तो रेट बहुत कम है। इन्हें मारने का जो रेट सरकार ने रखा है वह मात्र 500 रुपये है। आपको यह जानकर भी खुशी होगी कि भारत सरकार ने एक वर्ष के लिए वर्मन डीक्लेयर कर दिया है। अगर इस समय का आप फायदा उठाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। राम मंदिर के

नाम पर तो आप आंदोलन करते हैं। आप राम जी के परम भक्त हैं बन्दरों को हनुमान जी की श्रेणी में लाते हैं। क्या उनके लिए मारने का कोई फैसला लेंगे? अगर ऐसा है तो वह फैसला हिमाचल प्रदेश की जनता के हित का फैसला होगा।

अध्यक्षः माननीय सदस्य कृपया एक मिनट, मेरे को केवल इतना ध्यान में लाना है कि श्री राम जी की सेना ये बन्दर नहीं थे वो वानर हैं और वानर शब्द का अर्थ है वनों में रहने वाले नर और जो वन बंधु वनों में रहने वाले वनवासी थे। उनको संग्रहित कर उन्होने लंका पर चढ़ाई की थी। इसलिए इसको धार्मिक भावना से न जोड़े ऐसी रिसर्च चल रही है। मैने आपको बीच में टोका, माननीय सदस्य अपनी बात कृपया पूरी करें।

08.03.2018/1550/बी0एस0/वाईके-2

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः माननीय अध्यक्ष जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कह दी। अब आस्था का प्रश्न ही नहीं रहा। क्योंकि परिभाषा अध्यक्ष महोदय ने कर दी है। अब आज जल्दी से जल्दी बाहर से लोग बुलाइए और इन्हें मारने के लिए सेना तैयार करिए । मेरा यह मानना है कि आप एक बीट को सेलेक्ट कीजिए कि इस स्थान पर हमने बन्दरों को मारने है, मारने के बाद आपको उसका रिजल्ट सामने आएगा। जो नसबन्दी की बात है, यह आंकड़े हर बार आते हैं और हर बार चले जाते हैं। हम सच्चाई से बहुत दूर रह जाते हैं। इसमें एक और चीज देखने वाली है कि नसबंदी क्या हम बन्दर की कर रहे हैं या उसके जो और सहयोगी हैं उसकी भी करने का विचार रखते हैं? इसलिए यह ध्यान देने की आवश्यकता है। हम एक चीज को पकड़ कर बैठ जाते हैं तो हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाता। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आस्था के प्रश्न को माननीय अध्यक्ष महोदय ने परिभाषित कर दिया है और बाकी परिभाषा जो मारने वाली है वह जब आप संकल्प पर वक्तव्य देंगे उसमें प्रकट कर देंगे। धन्यवाद जय हिन्द।

08.03.2018/1550/बी0एस0/वाईके-3

श्री नरेन्द्र ठाकुरः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे चर्चा पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। यह जो बन्दरों की समस्या है, ऐसा लग रहा है कि इस वक्त इस प्रदेश में यह बहुत अलार्मिग स्थिति बन चुकी है। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा लगभग 70 प्रतिशत से ज्यादा लोग हमारे एग्रिकल्चर पर निर्भर करते हैं।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

08/03/2018/1555/DT/HK/1

श्री नरेंद्र ठाकुर द्वारा------जारी

पीछे बंदरों के बारे में दो ऑफिशियल सेंसीज हुए है। एक 20.02.2004 में और दूसरा 20.02.2012 में हुआ है। सर, No doubt इन दोनों सेंसीज में बंदरों की जनसंख्या थोड़ी कम बताई है । जो 2004 में हुआ था उसमें तीन लाख सत्तर हजार बंदर बताऐ थे और जो 2012 में हुआ है उसमें लगभग दो लाख बीस हजार बताये थे । लेकिन पांच साल के अरसे में मुझे लगता है कि इनकी जनसंख्या कम नहीं हुई है, बल्कि बढ़ी हुई है। ऑफिशियल आंकड़ों की वजह से जो थोड़ी बहुत कम हुई थी वो due to sterilization. Sterilization से थोड़ी बहुत संख्या में फर्क आया है। लेकिन इनकी वजह से आज प्रदेश में हमारे ऐग्रीकल्चर को नुकसान हो रहा है वो आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं। जहां तक ऐग्रीकल्चर का प्रश्न है, फसलों का जो वार्षिक नुकसान है, 2.200 अरब के लगभग annually agriculture को इन बंदरों की वजह से नुकसान हो रहा है और horticulture को लगभग 150 करोड़ per year बंदरों की वजह से नुकसान हो रहा है। Now, you can Sir easily imagine वैसे भी हिमाचल प्रदेश एक ऐसी स्टेट है इसमें भी कई natural calamity से हमारे किसानों को झूझना पड़ता है । लेकिन आजकल जो सबसे ज्यादा नुकसान natural calamity की वजह से हो रहा है वो basically जो बंदर है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उनकी वजह से यह नुकसान हो रहा है। दिन प्रति दिन जो आंकड़े हम पेश करते हैं कि इतने हैक्टेयर खेती हो रही है अगर प्रैक्टिल तौर पर देखा जाये तो वह टोटली खत्म है। हॉर्टीकल्चर तो नाम की ही है। सब्जी आप पैदा नहीं कर सकते हैं, मेज़ क्रॉप्स आप पैदा

नहीं कर सकते हैं। फसल पैदा करते-करते जैसे सुक्खु जी ने कहा कि किसान बिजता बाद में है और पीछे से बीज उखाड़ना शुरू कर देते हैं । तो इसको we can't take lightly. Sir, अब ये situation बन चुकी है कि इसका खात्मा कहीं न कहीं करना पड़ेगा। जहां तक आंकड़ों की बात है, तो कुछ डिकेड्स पहले ऐग्रीकलचर से लगभग 50% रेवेन्यू जनरेट हिमाचल प्रदेश को होता था । लेकिन आज ये परिस्थिति आ गई है कि वो 10% से भी कम रह चुका है। चौंकाने वाले आंकड़े अगर इसी ढंग से चले रहे तो जो थोड़ा marginal बचा हुआ है आने वाले समय में वो भी खत्म हो जायेगा । खेती को तो इनका नुकसान है ही परन्तु यह हमारी जान को भी खतरा बने हुए हैं। अब पिछला जो 3 साल का सैंसिज है लगभग 674 लोगों के ऊपर इनका अटैक हुआ है। लगभग 25 लाख रुपये हमें इंजर्ड लोगों को देने पड़े है। इनसे हमारी जान और फसल को लॉस है। हमारे हॉर्टिकल्चर बागीचों को लॉस है। ऐसा हमारे किसान कब

08/03/2018/1555/DT/HK/2

तक सहन करते रहेंगे। हमीरपुर की सैंसिज में इनकी पॉपुलेशन कम शो की है। लेकिन हमीरपुर में एक नसबंदी सैंटर खोल दिया है। जो बंदर पकड़ कर लाते हैं उन्हें ऐसी जगह छोड़ दिया जाता है जहां हमारी उपजाऊ भूमि है। बिल्कुल जमीन के बीच में ही वह सेंटर खोल दिया है। बंदरों को वहीं छोड़ देते हैं। हैरानी की बात यह है कि हमीरपुर जिला ऐसा है जिला है जहां कुछ ऐसी पोकैट्स हैं वहां पर बंदर होते थे और बाकी पूरे जिले में कहीं बंदर नहीं होते थे। सुबह जब हम पूजा करने जाते हैं तो सबसे पहले दरवाज़ा खोलते ही इनके दर्शन हो जाते हैं। कोई घर ऐसा नहीं बचा हुआ है जहां बंदर सुबह आकर दस्तक नहीं देते हों। सर, आप किसी पंचायत में चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ

श्री एस0एल0एस0 द्वारा.... जारी

08.03.2018/1600/SLS-HK-1

श्री नरेन्द्र ठाकुर ...जारी

वहां खेती नाम की अब कोई चीज़ नहीं बची हुई है। एक तो कई बार नेचुरल कैलेमिटिज की वजह से किसान दुःखी होता है; कई बार वर्षा ज्यादा हो जाती है तब भी फ़सल पैदा नहीं होती है, कई बार कम होती है तो वैसी स्थिति फेस करनी पड़ती है और कई बार होती ही नहीं है जैसा कि इस बार हो रहा है। इसलिए हमारा 70 प्रतिशत किसान इस तरह से परेशान है। जैसे अब आदरणीय मोदी जी की स्कीम है कि हमने इस बार किसानों की आमदनी दुगुनी करनी है, हमारे किसानों की आमदन अपने आप दुगुनी हो जाएगी अगर हम इन बंदरों पर नियंत्रण कर लें। अध्यक्ष महोदय, हाऊस से और माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आपको इसमें बहुत ज़ोर-शोर के साथ कदम उठाने होंगे। मैं अपने कुछ सुझाव इस बारे में देना चाहूंगा। मैंने पिछली बार भी कहा था कि आप जो मरज़ी कर लीजिए, इनको स्टरलाईज कीजिए या पकड़िए लेकिन ये खत्म होने वाले नहीं हैं।। think, culling is the only alternative. या तो इसके लिए लार्ज स्केल पर प्रोफ़ैशनल शूटर्ज़ बुलाए जाएं या जो हमारा सोलर फैंसिंग सिस्टम चला है, इसको बड़े जंगलों में लार्ज स्केल पर लगाकर इनको पकड़ कर उस जंगल में बंद कर दें और ये जंगल क्रौस न कर आ पाएं। यह हो सकता है। अगर हम सोलर फैंसिंग का प्रौपर यूज करें तो इसका लाभ हो सकता है। इनको पकड़ कर, जंगल के बीच में छोड़कर चारों ओर से सोलर फैंसिंग कर दी जाए तो मुझे लगता है कि इनको कंट्रोल किया जा सकता है। मेरा एक और सुझाव है। अध्यक्ष महोदय, यह ऊना की बात है जहां पीछे चाइनीज कंपनी वालों ने एन.एच. का ठेका लिया हुआ था। जितने दिन वह रहे उतने दिन ऊना में कोई भी स्ट्रे डौग नज़र नहीं आया; वह सब खा गए। इसलिए सुझाव है कि जैसे आसाम राईफल्ज है या निग्रो लोगों की कोई कंपनी हो, उन्हें इस प्रदेश में लाया जाए और उनको 1-2 साल का ठेका दिया जाए तो भी इनको कम करने या खत्म करने में उनकी मदद ली हो सकती है। एक सुझाव और है। अध्यक्ष महोदय, जैसे हमारे कर्नल साहब ने कहा, कि इनको पकड़ने और इधर-उधर से ढूंढ़ने पर ही 500 करोड़ रुपये

08.03.2018/1600/SLS-HK-2

का ख़र्च हो चुका है। अगर ऐसी किसी कंपनी को हम खाने के ऊपर भी बुला लें तो भी इतना सारा ख़र्च बच जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

08.03.2018/1600/SLS-HK-3

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी संकल्प पर चर्चा में भाग लेंगे।

श्री जगत सिंह नेगी : माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रस्ताव श्री अनिरूद्ध जी ने लाया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। पिछले 6 सालों से लगातार हर सत्र में इस मुद्दे पर इस माननीय सदन में बहुत विस्तृत चर्चा हुई है। पूर्व सरकार के समय इस दिशा में और इस समस्या को निपटाने के लिए एक बड़ी बात हुई थी। इन बंदरों से निजात पाने के लिए इनको वर्मिन डिक्लेयर किया गया था। परंतु इन्हें केवल एक साल के लिए वर्मिन डिक्लेयर किया गया था। उस दौरान हम बंदरों की कलिंग कर सकते थे, उनको मार सकते थे परंतु यह अवसर हमने गंवा दिया। उस समय वन विभाग ने यह कह कर अपना पल्ला झाड़ दिया कि किसान इसको मार सकते हैं। अब आप बताएं कि हिमाचल प्रदेश के क्या सभी किसानों के पास बंदूकें हैं? क्या हमारे सभी किसानों के पास बंदूक का लाईसैंस है? जब इस तरह की परिस्थिति नहीं है तो यह सरकार की जिम्मेवारी है कि किस तरह से इन बंदरों की कलिंग की जाए। इसके लिए भी बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिए हैं। मैं भी इसमें स्वयं को शामिल करता हूं। मेरा यह सुझाव है कि हर पंचायत लेवल पर बंदरों को मारने के लिए या इनकी कलिंग करने के लिए हमें कुछ सोचना चाहिए। इसमें हमें पंचायत के लोगों को भी शामिल करना चाहिए और सबसे बढ़िया यह रहेगा कि हमारे जो होमगाड्र्ज के जवान हैं जो पूरी तरह से ट्रेंड हैं, उनको बंदूकें देकर हर पंचायत में 10-

10, 11-11 होमगाड्र्ज के जवानों को पंचायत के साथ शामिल किया जाए। फोरैस्ट डिपार्टमैंट का बी. ओ. या गार्ड या जो भी अधिकारी है, उसको भी इस टीम में शामिल किया जाए और उस पूरी पंचायत में देखा जाए कि हमने कितने प्रतिशत बंदरों की कलिंग करनी है, उनको मारना है। इसके ऊपर विचार करना चाहिए। ऐसा करने से एक तो होमगाड्र्ज के जवानों को भी रोज़गार के अवसर प्रदान होंगे और जो एक बहुत बड़ा उद्योग बंदरों को मारने या इनके स्टरलाईजेशन या अन्य तरीकों से इनको पकड़ने के लिए ख़र्च का है, जिसमें कि व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है, उससे भी हम बच सकते हैं। यही एक तरीका है।

जारी ...श्री गर्ग जी

08/03/2018/1605/RG/YK/1
श्री जगत सिंह नेगी------जारी

अभी एक साल के लिए इनको केन्द्र सरकार ने वर्मिन घोषित किया है, लेकिन उसका भी कुछ समय निकल चुका है और अगर आप इस थोड़े से समय में काम नहीं करेंगे, तो दुबारा इनको वर्मिन घोषित करने में कई-कई साल लग जाएंगे और बन्दरों से हमें निजात नहीं मिल सकेगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इसके ऊपर आप गंभीरता से विचार करें ताकि यह दुबारा से एक ऐसे ही संकल्प न रह जाए जैसे पिछले छः सालों में हो गया है। वन विभाग को इसमें आगे आना है, होमगाड्र्स को और पंचायतों को साथ में लेना है। जैसे सात लाख बंदर कह रहे हैं, तो कम-से-कम चार लाख बंदरों को हमें कलिंग करने की जरूरत है। नसबंदी से इनकी संख्या कम नहीं हो सकती, इनको पकड़ने से इनकी संख्या कम नहीं हो सकती। इसका केवल एक ही तरीका है। दुनिया में किसी भी देश में जहां यदि तोते या बंदर ज्यादा हो गए थे, तो सभी देशों ने और विकसित देशों ने भी इसके लिए कलिंग का सहारा लिया है। हमें भी यही करने की जरूरत है।

माननीय अध्यक्ष जी, अभी आपने वानर के बारे में परिभाषित किया था। तो मैं समझता हूं कि अब तो मंदिरों में भी भगवान हनुमान का मुख और पूंछ में कुछ संशोधन

करना पड़ेगा। क्योंकि यह बंदर हमारी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। यदि इसको देखा जाए, तो रामायण में भी जब जरूरत पड़ी, तो भगवान राम ने भी बालि का वध किया है। तो इससे आस्था पर किसी किस्म की कोई ठेस नहीं पहुंचने वाली है। हमें इस ओर जाना चाहिए। ---(व्यवधान)----

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ आवारा पशुओं से जो एक समस्या पैदा हुई है जिसमें आप गाय को गौ-माता कहते हैं, परन्तु हमारी गौ-माता गलियों में, खेतों में और हर जगह उत्पात मचा रही है। अब गौ-शाला बनाने की बात हो रही है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी पंचायतों को आदेश कर दिया कि सभी गौ-शाला बनाएंगे। बजट है नहीं, गौ-शाला बनाने के लिए अरबों रुपये चाहिए। फिर उसमें चारा चाहिए, उस चारे को संभालने वाला चाहिए। कहीं पशु के बजाय चारे का रखवाला ही उस चारा को न खा जाए। इसलिए इस पशुधन के ऊपर भी हमें गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। इसमें भी पंचायत स्तर पर जो हमारे पशु हैं। इनकी जनगणना की जानी चाहिए। जब इनका जन्म होता है, तो उसी समय आज की तारीख में जो तकनीक उपलब्ध है, उसके अनुसार इनको

08/03/2018/1605/RG/YK/2

चिप किया जाए। उसमें नंबर लगेगा, मालिका का नाम लगेगा। अगर दूध न देने पर मालिक उसको छोड़ देता है या बैल बाजार में या गांव में छोड़ देता है, तो जैसे अल्ट्रासॉउन्ड की मशीन होती है, उसकी तरह हम चिप में उसको डिटैक्ट कर सकते हैं। जो पशुओं को आवारा छोड़ते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कोई कानून बनाकर हम उनको इसमें सजा देने का प्रावधान भी कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमने जिला किन्नौर में चिपिंग का काम कुछ पंचायतों में शुरू किया। चिप की कीमत लगभग 120/-रुपये पड़ती है जिसमें हमने 50% सब्सीडी देकर और 50% किसानों से लेकर पशु को चिपिंग किया है जिसके अच्छे नतीजे सामने आए हैं। इस किस्म का काम करके हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। इसलिए मेरा यही सुझाव है कि अभी बहुत कम समय आपके पास है और केन्द्र सरकार इनको बार-बार वर्मिन घोषित करने वाली नहीं है। इसलिए जो चन्द महीने बचे हैं,

इसमें आपने जो भी करना है या जो भी सुझाव आपको बेहतर लगता है, करें। परन्तु नसबंदी या बंदरों को पकड़ने की या बंदरों को पकड़कर दूसरे स्थानों पर भेजने की जो स्कीम चली हुई है, इसको बिल्कुल बन्द करना है। इसमें करोड़ों रुपये खर्च हुए हैं। 50-50, एक-एक करोड़ रुपये के ठेकेदार खड़े हैं, यदि आप उनका पता पूछेंगे, तो पता चलेगा कि कोई यू.पी. और कोई बिहार से आया हुआ है। पता नहीं उसने बंदर पकड़ा भी है या नहीं, या देखा भी नहीं है, परन्तु उसके नाम पर 50-50 लाख रुपये के बिल मिल चुके हैं। तो बंदरों के नाम पर बहुत भ्रष्टाचार हुआ है और किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है। लेकन मुझे उम्मीद है कि अभी आने वाले समय में जब मॉनसून सत्र में दुबारा यहां आएंगे, तो माननीय मंत्री जी, उस समय आप हमें बता पाएंगे कि आपने कितने बंदरों का इस हिमाचल की धरती से स्वर्गवास कर दिया है। धन्यवाद।

08/03/2018/1605/RG/YK/3

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री सुख राम जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सुख राम : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री अनिरूद्ध सिंह जी ने जो बंदरों द्वारा किसानों-बागवानों की फसलों के नुकसान बारे में कोई ठोस नीति निर्धारित करे, संकल्प यहां लाए हैं, मैं उस पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

एम.एस. द्वारा जारी

08/03/2018/1610/ms/ag/1

श्री सुख राम जारी-------

मेरे से पूर्व बहुत से माननीय सदस्यों ने इस पर अपने सुझाव दिए हैं। यह समस्या हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए बहुत गम्भीर है। वैसे भी आज किसान बहुत सी

प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है। जब सही बरसात न होने के कारण सब जगह सूखा पड़ जाता है तब किसान पर मार पड़ती है और अगर ज्यादा वर्षा के कारण बाढ़ आ जाए तब भी किसान पर मार पड़ती है। यह जो बंदरों की समस्या है यह प्रदेश में दिन-प्रतिदिन गम्भीर होती जा रही है इसलिए आज कोई भी किसान खेती नहीं करना चाहता है क्योंकि जंगली जानवरों की वजह से उसका खेती करने में इंट्रस्ट कम हो गया है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं ताकि उन सुझावों पर विचार किया जाए और यह जो बंदरों की वजह से पूरे प्रदेश में समस्या उत्पन्न हो गई है उस समस्या का समाधान हो पाए।

अध्यक्ष जी, हमारी सेंट्रल जू ऑथोरिटी के मापदण्डों के अनुसार बंदरों को रखने के लिए स्थान नहीं बनते हैं इसलिए वहां पर हम बंदरों को नहीं रख सकते हैं। सेंट्रल जू ऑथोरिटी (CZA)के अनुसार एक जोड़े को रखने के लिए पांच स्क्वेयर मीटर जगह चाहिए। इसलिए जिस तरह से हम हर पंचायत में गौसदन बनाने की बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि हर विधान सभा क्षेत्र में एक बंदर सदन बनाया जाए और वहां बंदरों को रखने की जगह बनाई जाए। जो खुले जंगल हैं वहां कम-से-कम 5-5, 7-7 और 10-10 किलोमीटर के अंदर बहुत से ऐसे स्थान हैं, कई ऐसी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं जिनके अंदर घर नहीं है। आप हमारे यहां बहराल से कोलर तक शुरू कीजिए वहां 16 किलोमीटर के जंगल में कोई घर नहीं है। वहां मेरे विधान सभा क्षेत्र में अगर आप कम-से-कम 10 किलोमीटर की जगह का चयन करेंगे और वहां पर आप सोलर फैंसिंग करेंगे तो वहां बंदरों को रखा जा सकता है। सेंट्रल जू ऑथोरिटी के मापदण्डों के अनुसार ऐसे स्थान पर डॉक्टर होना चाहिए और वहां पर उस तरह का स्टाफ होना चाहिए जो उनको चारा इत्यादि दे सके। 10-15 स्थानों पर उनको चारा खिलाने की जगह होनी चाहिए ताकि

08/03/2018/1610/ms/ag/2

बंदर जब सवेरे उठे तो उस जगह पर चारा खाने के लिए जाएं। आप देखते होंगे कि जहां पर नेशनल हाइवेज हैं वहां पर सवेरे ही बंदर इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि सवेरे यात्री आएंगे तो कोई उनको ब्रैड फैंककर जाएगा और कोई अन्य वस्तु उनको

खाने को देगा। सैंकड़ों की संख्या में बंदर वहां इकट्ठे होते हैं। इसलिए अगर आप इस तरह की व्यवस्था हर विधान सभा क्षेत्र के अंदर करके वहां पर 10-10 या 15-15 जोन बनाएंगे और उनको ताजी खाने की सामग्री वहां पहुंचाएंगे तो मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वहां पर बंदर स्थायी तौर पर रह सकते हैं।

जहां तक नसबन्दी की बात है तो ये जो नसबन्दी हो रही है इससे परिणाम निकलेगा लेकिन उसमें समय लगेगा। एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं। हमारे जो जंगल हैं उनमें चीड़ के पेड़ बहुत उग गए हैं। हमारे क्षेत्र में जहां सफेदे का पेड़ लगता है वह कम-से-कम 10 फुट के क्षेत्र में कोई दूसरा पेड़ पैदा नहीं होने देता है। वह पेड़ अपने आसपास की जगह को शुष्क कर देता है। उस पेड़ पर कोई फल नहीं लगता है और उससे बंदरों को भी कोई चारा नहीं मिलता है। इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से मंत्री महोदय जी को यह कहना चाहता हूं कि जो नेचुरल पौध रोपण है,

जारी श्री जे0के0 द्वारा------

08.03.2018/1615/जेके/एजी/1

श्री सुख रामः-------**जारी**--------

जो प्रकृति के अनुसार होता है और हम हर साल पौधारोपण करते हैं, दो हजार पौधे एक वन महोत्सव में लगा देते हैं। वन खुली सम्पदा है। कई बार बरसात नहीं होती और उनमें कोई पानी तो दे नहीं सकता इसलिए आधे पेड़ तो ऐसे ही मर जाते हैं। मान लो बरसात न हो और सूखा पड़ जाए उससे सारा पौधारोपण खराब हो जाता है। इसलिए जिस-जिस तरह का मौसम प्रदेश में है अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वन अधिकारियों को भी कहना चाहता हूं कि जैसे हमारा क्षेत्र है वहां पर आम के बहुत पेड़ होते हैं, जामुन के बहुत पेड़ हैं, लीची है, आड़ू है, नाशपाति है, जमोआ है तथा और भी कई पेड़ वहां पर होते हैं। उनमें जब फल पकते है और जब वे नीचे गिरते हैं, अगर एक बीट में केवल एक कम्पार्टमैंट में उस समय के गिरे हुए फलों को फोरैस्ट गार्ड इकट्ठा करके, एक-एक बीट में 10-10

कम्पार्टमैंट होते हैं, एक कम्पार्टमैंट में उनको उठाकर अगर आप आधा किलोमीटर के एरिया में बीच-बीच में फैंक देंगे तो जब नैचुरल बरसात होगी तो वहां पर नैचुरल पौधे पैदा होंगे। उनका तना भी मज़बूत होता है। उनको गर्मी को सहन करने की ताकत भी ज्यादा होती हैं इसलिए उनका सरवाईवल रेट जो हम पौधारोपण करते हैं उससे कहीं ज्यादा होता है। उसमें खर्च भी कम आएगा। इसलिए एक ठोस नीति बनाई जाए। कम से कम एक जगह फलदार पौधे लगाने का एक्सपेरिमैंट करके तो देखिए और सफेदा और चीड़ के पौधे का कम पौधा-रोपण प्रदेश में करें। मैं आने वाले समय के लिए ये दो सजैशन्ज़ देना चाहता हूं कि कम से कम खुले एरिया में इनकी सोलर फैंसिग करके इस तरह की योजना बना करके और जो सेन्ट्रल ज़ोन अथॉरिटी के मापदण्ड हैं उनके अनुसार यदि आप इसको स्थापित करेंगे तो मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि गांव में बन्दर आने की संख्या कम हो जाएगी। फलदार पेड़ लगाएंगे, उनको वहां पर चारा मिलेगा आज नहीं तो 5 साल के बाद मिलेगा, 10 साल के बाद मिलेगा। यह जो आज समस्या प्रदेश में पैदा हुई है उससे हमें निदान मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस चर्चा में बोलने का समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। जय हिन्द।

08.03.2018/1615/जेके/एजी/2

अध्यक्षः मैं सदन से यह कहना चाहता हूं कि हमारे पास 9 नाम अभी माननीय सदस्यों के बोलने के लिए शेष हैं। यदि हम 10 मिनट लगाएं तो 90 मिनट और कम से कम आधा घंटा माननीय मंत्री जी के उत्तर के लिए भी लगेगा। हमारे पास दो तरीके हैं । एक तो यह है कि दो सदस्य एक पक्ष से, एक विपक्ष से बोलें और माननीय मंत्री जी उत्तर दें अन्यथा हम इस चर्चा को लगातार जारी रखें। जितने सदस्य 5.00 बजे तक बोलेंगे वे अपनी बात रखें और फिर अगले प्राइवेट मेम्बर डे पर यह कैरी होगा। अगले प्राइवेट मेम्बर डे पर जो शेष माननीय सदस्य बचे हैं, वे अपनी बात कहेंगे और माननीय मंत्री जी इसका उत्तर देंगे। अगर सबने बोलना है तो ठीक है। कंटिन्यू करते हैं और यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और अगला जो हमारा प्राइवेट मेम्बर डे है उसमें पहले नम्बर पर इसको लगाया जाएगा।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प की मूल भावना है वह काफी हद तक आ चुकी है। मेरा आपसे आग्रह है कि मंत्री जी को आप कम से कम आधे घंटे का समय दे दें और उससे पहले 10 मिनट तक जो दो सदस्य बोलना चाहते हैं आप उनसे बुलवा लें लेकिन मंत्री जी का ज़वाब यदि आज ही आ जाए तो अच्छा रहेगा।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी--------

08.03.2018/1620/SS-AG/1

अध्यक्षः ऐसा है कि मैं नाम पढ़ देता हूं जो मेरे पास लिस्ट है। उपलब्ध समयानुसार ऐसे पूरा नहीं होगा, कोई भी बोलने के लिए खड़ा होगा तो उसको पांच मिनट तो चाहिए। सर्वश्री सुरेश कश्यप, राजेन्द्र राणा,बिक्रम सिंह जरयाल, राकेश सिंघा, राजेन्द्र गर्ग, मोहन लाल ब्राक्टा, होशयार सिंह, लखविन्द्र सिंह राणा और श्री राकेश पठानिया जी, मेरे पास इतने सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो मेम्बर अभी तक हाउस में बोला ही नहीं है, जिनकी मेडन स्पीच भी नहीं हुई है उनको आप बुलवा लें।

अध्यक्षः मुझे लग रहा है कि सब बोलना चाह रहे हैं। चलने दो। प्राइवेट मेम्बर डे में एक्सटेंड करने का प्रावधान नहीं है। इसको अगले प्राइवेट मेम्बर डे तक ले जाते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है और उसका उत्तर आयेगा। और भी जो विषय आयेगा उसको भी टेक अप कर लेंगे। अब मैं चर्चा में श्री सुरेश कुमार कश्यप जी को आमंत्रित करता हूं।

श्री सुरेश कुमार कश्यपः अध्यक्ष महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प माननीय सदस्य, श्री अनिरूद्ध सिंह जी लेकर आए हैं। मैं भी उस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने अपनी चिन्ता व्यक्त की है, बहुत ही सामयिक विषय है। हिमाचल प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी से जुड़े हैं। बागवानी से जुड़े हैं और आज जो बंदरों की समस्या है वैसे तो यह समस्या जंगली जानवरों की है चाहे उसमें बंदर हैं, चाहे सुअर की समस्या है, गीदड़ हैं, सेल (Sail) हैं और अन्य जितने भी जंगली जानवर लगातार फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, आज स्थिति यह है कि

इस समस्या ने एक विकराल रूप धारण कर लिया है। आज स्थिति यह है कि किसानों ने खेतीबाड़ी करना छोड़ दिया है। खेतीबाड़ी छोड़कर शहरों का रुख करने के लिए विवश हो गए हैं क्योंकि जिस प्रकार बिजाई से लेकर फसल तैयार होने तक ये जंगली जानवर किसानों की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं निश्चित रूप से एक गम्भीर समस्या है। हम देखते हैं कि जब बीज डालते हैं तब से नुकसान शुरू हो जाता है। बीज को ही बंदर निकाल कर खाना शुरू कर देते हैं। जब बीज उग जाता है तो उसके बाद खरगोश, सेल, नीलगाय, सुअर या दूसरे जंगली जानवर खेती को तबाह करते हैं। जैसे ही फसल तैयार होने लगती है तो जहां दिन में बंदरों का आतंक होता है वहीं रात के समय में सुअर और दूसरे जानवर हमारी

08.03.2018/1620/SS-AG/2

फसल को तबाह कर देते हैं और आज स्थिति यह है कि हमारे किसान भाई खेती छोड़ चुके हैं तथा काम की तलाश में शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन यह स्थिति क्यों पैदा हुई? एक सोच का विषय है। पहले भी बंदर होते थे, फिर भी लोग खेती करते थे। लेकिन आज हम लोगों ने ही इस स्थिति को और गम्भीर बना दिया है क्योंकि पहले जंगल में फलदार पौधे होते थे जैसे जामुन, जंगली बेर, शहतूत, अंजीर इत्यादि बहुत सारे ऐसे फलदार पौधे होते थे कि बंदरों को अपना भोजन मिल जाता था। लेकिन आज स्थिति यह हो गई है कि हमने जंगल काट दिए हैं और बंदर विवश होकर हमारे रसोई घर का रुख कर रहे हैं। आज जैसे बहुत सारे माननीय सदस्यों ने कहा कि बंदर फ्रिज तक को खोल देते हैं, ऐसी स्थिति तभी उत्पन्न हुई जब हमने उनकी रोटी/खाना छीन लिया। अगर हमने जंगलों को तबाह नहीं किया होता तो शायद ऐसी स्थिति हमारे समक्ष नहीं होती। यही नहीं है, बंदरों ने आज लोगों को भी काटना शुरू कर दिया है।

जारी श्रीमती के0एस0

08.03.2018/1625/केएस/डीसी/1

श्री सुरेश कुमार कश्यप जारी---

बहुत सारे माननीय सदस्यों ने आंकड़े प्रस्तुत किए। आज बच्चों को, माताओं-बहनों को बंदर काट रहे हैं। बंदर से डरकर छलांग लगाने की बहुत सी घटनाएं हमारे प्रदेश में लगातार पिछले दिनों हुई है। इससे पहले जो सरकारें आई, सभी ने जैसा कि माननीय सदस्य यहां पर कह रहे थे, बहुत सारे प्रयास किए। बहुत सारा पैसा नसबन्दी के ऊपर खर्च किया गया लेकिन यदि हम स्थिति देखें तो संख्या में कमी न आ कर लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है। बहुत सारे प्रयास हुए, नसबन्दी केन्द्र खोले गए, इनको वर्मिन भी घोषित किया गया लेकिन अगर हम देखें पिछले जो वर्मिन घोषित होने के बाद का समय है, बंदरों की संख्या में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। चाहे धार्मिक आस्था की बात हो या अन्य कारण रहे हों लेकिन किसी भी प्रकार से उनकी संख्या में कमी नहीं आई है। कुल मिलाकर इस समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि गम्भीरता के साथ एक लाँग टर्म नीति बनाई जाए ताकि हमें इस समस्या से निजात मिल सके। जैसा माननीय सदस्य श्री सुख राम चौधरी जी अभी कह रहे थे कि हमें कोई ऐसी जगह चिन्हित करनी चाहिए जहां पर इन बंदरों की सेंक्चुअरी बनाई जाए जहां पर सोलर फैंसिंग लगाई जाए और उसके अंदर उनको रखा जाए ।वहां पर फलदार पौधे लगाए जाएं ताकि उनको भोजन मिल सके। इसके अलावा जहां तक कलिंग की बात है उस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आज स्थिति क्या है कि हम लोग बंदरों को नहीं मारते। दूसरे,लाइसैंस की प्रक्रिया भी बहुत कठिन है उसका सरलीकरण किया जाए। किसान लोग खेती के लिए जब बन्दूक का लाइसैंस लेना चाहते हैं तो बहुत लम्बे समय तक उनको लाइसैंस नहीं मिलते। लोग चक्कर काटते रहते हैं। उनकी एप्लीकेशन आती है उसमें हर बार कोई न कोई कमी निकाली जाती है इसको सरल किया जाना चाहिए। दूसरी ओर मनरेगा के तहत राखा रखने की बात आदरणीय इन्द्र सिंह जी भी कर रहे थे तो उस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि पहले भी ऐसा होता था कि गांव में ज्यादातर लोग खेती करते थे और हर परिवार से कोई न कोई व्यक्ति इन बन्दरों को भगाने के लिए अपने खेतों से दूर

08.03.2018/1625/केएस/डीसी/2

करने के लिए जाता था। बन्दरों को जंगल की ओर खदेड़ा जाता था। लेकिन आज तो परिवार भी सीमित हो गए और लोगों ने खेती करना भी कम कर दिया है तो निश्चित रूप से आज बन्दरों की और ज्यादा समस्या बढ़ गई है। तो अगर मनरेगा के तहत राखे रखने का प्रावधान किया जाए और इसके लिए एक एरिया चिन्हित करके पहले ऐसा प्रयोग के रूप में किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जैसा मैने पहले भी कहा मैं माननीय वन मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी पौधोरोपण का कार्य हम करें

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

8.3.2018/1630/av/yk/1

श्री सुरेश कुमार कश्यप क्रमागत

इस ओर ध्यान दिया जाए कि फलदार पौधे अधिक-से-अधिक लगाये जाएं ताकि अगले कुछ वर्षों में, क्योंकि एकदम से तो अगर अभी पौधे लगायेंगे तो 10-15 वर्षों में वह तैयार होंगे और तब जाकर हमें कहीं से निजात मिल पायेगी। मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि इस समस्या की ओर ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से हमें इस समस्या से निजात मिल सकती है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री अनिरूद्ध जी ने जो संकल्प लाया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है। आपने मुझे इस पर बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

8.3.2018/1630/av/yk/2

श्री राजेन्द्र राणाः अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में बंदरों द्वारा किसानों/बागवानों की फसलों को हो रहे नुकसान को लेकर के आज हमारे सम्माननीय सदस्य श्री अनिरूद्ध सिंह जी द्वारा जो संकल्प लाया गया है इस पर मेरे से पूर्व भी कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की है और अपने-अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। मैं समझता हूं कि सरकारों की जिम्मेवारी बनती है कि जनहित में फैसले लें और हमारे प्रदेश की जनता को क्या-क्या समस्या आ रही है उन पर सरकार गौर फरमाये। मैं देख रहा हूं कि इस सदन में बड़े लम्बे समय से बंदरों के कारण हो रही समस्या पर चर्चा हो रही है परंतु समस्या का हल नहीं हो रहा है। यहां पर जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं सभी ने चुनाव लड़ा है। चुनाव लड़ने के लिए हम-आप जब अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में गये हैं तो हमारे मतदाताओं ने यह कहा है कि आप विधान सभा में जायेंगे तो इस समस्या को जरूर उठाइए, इसका हल निकालिए। सरकार किसानों व बागवानों को खेती-बाड़ी के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। परंतु जिस खेती-बाड़ी को बढ़ावा देने के लिए सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है उस फसल को कैसे बचाया जाए इसके बारे में ठोस कदम उठाने की जरुरत है। प्रदेश की जनता आज बंदरों से तंग है, आवारा पशुओं से तंग है। अभी यहां बैठे मेरे साथी कह रहे थे कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में चमगादड़ आ गये हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे जानवर फसलों को उजाड़ रहे हैं। पूर्व में भी राजा वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार के समय में एक खेत संरक्षण योजना शुरू की गई थी जिसके तहत सरकार 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है। वह योजना कहीं-न-कहीं सफल भी रही तथा कई जगह वह सफल नहीं हो पाई। आज हम लोगों को इस समस्या के बारे में एकमत होकर सोचने की जरुरत है। यह समस्या केवल मेरे सुजानपुर क्षेत्र से सम्बंधित नहीं है। यह समस्या पूरे हिमाचल प्रदेश की है और यह सोचने की जरुरत है कि इसको हल कैसे किया जा सकता है। मुझे लगता है कि आज सबसे बड़ा खतरा इनसानियत को हो गया है। जब इनसानियत

के लिए खतरा पैदा हो जाता है तो इनसान को उससे लड़ना पड़ता है। बंदर आज किसानों/बागवानों का

8.3.2018/1630/av/yk/3

नुकसान तो पहुंचा ही रहे हैं परंतु इनसान के ऊपर भी हमला कर रहे हैं। यह बड़ा चिन्ता का विषय है। प्रदेश की अधिकतर जनसंख्या गांव में रहती है और खेती-बाड़ी पर निर्भर करती है तथा खेती-बाड़ी ही हमारा सबसे बड़ा पेशा है। आप कितने लोगों को नौकरियां दे पायेंगे? अगर हम लोग खेती करना छोड़ देंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पायेंगे। मुझे लगता है कि सरकार इस बारे में कोई ठोस कदम उठाए। पीछे भी एक सुझाव आया था कि जो फैंसिंग की जाती है उसमें भी लोग कांटेदार तार चाहते हैं। उसको भी इसमें शामिल किया जाए ताकि विधायक अपने-अपने चुनाव क्षेत्र में एम0एल0ए0 लैड से पैसा दे सकें। यहां पर हमीरपुर जिला के बारे में भी चर्चा आ रही थी। हमीरपुर जिला में बंदर होते थे लेकिन बंदर खड्डों और नालों में होते थे।

टी0सी0 द्वार जारी

8.3.2018/1635/TCV/HK-1

श्री राजेन्द्र राणा..... जारी

शहर और मैदानी इलाकों में बंदर नहीं हुआ करते थे। अब तो हमीरपुर शहर में भी बंदर आ गये हैं और मैदानी इलाकों में जहां बहुत अच्छी फसलें होती थी, वहां भी बंदर पहुंच गये हैं। इससे पूर्व सरकार ने हमीरपुर शहर से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक नसबंदी केन्द्र खोल दिया था। बंदरों को पकड़ने के लिए ठेके दे दिए गये। बंदरों को वहां पर लाया जाता और जब छोड़ने की बात आती, जो शर्त उसमें तय है कि जहां से बंदरों को पकड़ कर लाएंगे, उनको वहीं छोड़ना होगा। लेकिन ठेकेदार उन बंदरों को ऐसे जगह छोड़ देते है, जहां पर कोई नहीं देख रहा है और आज हमीरपुर में बंदर-ही-बंदर हो गये हैं। आज लोगों

ने खेती-बाड़ी छोड़ दी है। पहले लोग खेती-बाड़ी गांव में भी करते थे और गांव के बाहर जो लम्बर होते थे, वहां भी खेती-बाड़ी करते थे। आज अधिकतर किसान फसल उगाना छोड़ चुका है। यह एक बहुत ही गम्भीर विषय है। सरकार को इसे गम्भीरता से लेना होगा और जो सुझाव हमारे साथियों ने दिए हैं, उन पर सरकार गौर फरमाये। आज यदि ये जानवर हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं तो हमें अपने को बचाने के लिए कोई-न-कोई नीति बनानी पड़ेगी। जैसा कि हमारे साथियों ने कहा कि इन बंदरों को मारने के लिए बाहर से किसी को हायर किया जाये। आपने तो बहुत अच्छी बात की, शास्त्रों का हवाला दिया और कहा कि ये बंदर वे बंदर नहीं है। इसलिए हमें अपने आप और खेती को बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा। आज यह स्टडी करनी की जरूरत है कि जो बंदर पहले हुआ करते थे, वे दूर-दराज़ जंगलों में रहा करते थे, लेकिन आज बंदर धीरे-धीरे शहर की ओर बढ़ रहे हैं और लोगों के घरों में घुस रहे हैं। हमें यह भी स्टडी करना चाहिए कि इसका क्या कारण है? जंगलों में बंदरों को खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। लोग बंदरों को सड़कों के किनारे खाने के लिए चने और ब्रैड डाल रहे हैं। जहां बंदरों को खाने के लिए मिलेगा, वे वहां पहुंचेंगे। इसलिए सरकार ने नियम भी बनाये हैं कि बंदरों को खाने के लिए कुछ न डाला जाये, फिर भी लोग डालते हैं। इसलिए सरकार को ठोस नीति तैयार करनी पड़ेगी।

8.3.2018/1635/TCV/HK-2

इसके अलावा आवारा पशुओं का भी हमारे प्रदेश में बड़ा आतंक है। लोग पशुओं को पालते हैं और जब तब वे काम में लाने लायक होते हैं, तब तक उनको घरों में रखते है और बाद में छोड़ देते हैं। वे पशु गांव में घुसते हैं और लोगों की फसलों को उजाड़ देते हैं। इसलिए इन सारी चीजों को सरकार गम्भीरता से लें और इस पर ठोस नीति बनाकर कोई निर्णय लें।

इसके अतिरिक्त हमारे क्षेत्र में सुअर भी बहुत हो गये हैं। अभी मेरे साथी चर्चा कर रहे थे कि बंदूकों के लाइसैंस बनाने में लोगों को बड़ी कठिनाई आ रही है। सरकार इसमें लोगों की

मद्द करें। यदि लोगों के पास बंदूकें नहीं होगी तो वे सुअर को मारेंगे कैसे? लोग पहले सूअरों को खाते थे, लेकिन अब तो इनको खाना भी बंद कर दिया है। इसलिए इनकी संख्या बढ़ रही है।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो कि हमारे माननीय सदस्य श्री अनिरूद्ध सिंह जी ने यहां उठाया है। मैं इस संकल्प के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा था और मैं इसका समर्थन भी करता हूं। यह समस्या सबकी साझी है इसलिए आप सभी माननीय सदस्य भी इसका समर्थन करें। धन्यवाद।

8.3.2018/1635/TCV/HK-3

श्री बिक्रम सिंह जरयालः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही बड़ी चुनौती है, चाहे कोई भी सरकार हो। हम सभी जिम्मेवार लोग यहां विधान सभा में पहुंचे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा पूरा हिमाचल प्रदेश इस बड़ी समस्या से बाहर निकले और जनता को राहत मिले।

श्रीमती एन0एस0.. द्वारा जारी।

08-03-2018/1640/NS/HK/1

श्री बिक्रम सिंह जरयाल -------जारी।

किसान व बागवान अपनी आय में वृद्धि कर सकें। पिछले विधान सभा सत्रों में जब इसके ऊपर चर्चा होती थी, तब हमें आंकड़ें जरूर बताये जाते थे कि हिमाचल प्रदेश में कुल इतने बंदर हैं और इतने बंदरों की नसबंदी कर दी गई है तथा इतने बंदरों को पकड़/मार दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, आज फिर वही समस्या हमारे सामने आई है। मैं समझता हूं कि जो आंकड़ें यहां दिये जाते थे या जो प्रस्ताव लाया जाता था, वह उसे पूरा करने के लिए या जो माननीय सदस्य यहां बैठे होते थे उनको तसल्ली देने के लिए ही आंकड़ें बताये जाते थे।

पिछली सरकार ने मेरे ज़िला चम्बा में कुल्हाड़ी से वनों का सफाया कर दिया है। जब वन कट गये तो निश्चित तौर पर बंदर हमारे घरों की तरफ ही आयेंगे और हमारे ऊपर अटैक करेंगे। हमें पहले बताया जाता था कि कुल दो लाख बंदर हैं और इनमें से एक या डेढ़ लाख बंदरों की नसबंदी कर दी गई है। इतने बंदरों को पकड़ने के लिए इतने पैसे दिये जाते हैं। यहां पर सुनाया जाता था कि लगभग 32 लाख या 28 लाख रुपये की राशि दी गई है, इसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट पर ठेकेदार ऊना से था और उसके नाम पर बिल बनते थे लेकिन असलीयत में कहीं पर भी बंदर पकड़े/मारे नहीं जाते थे और न ही उनकी नसबंदी की जाती थी। अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा ही मानना है, तभी आज बंदरों की तादाद बढ़ रही है। अगर नसबंदी ठीक से की गई होती, बंदरों को मारा/पकड़ा गया होता तो आज इनकी संख्या ज्यादा नहीं होती बल्कि कम होती। यह बहुत ही गम्भीर विषय है। पिछली सरकार ने लगभग पांच सौ करोड़ से ज्यादा की राशि इस मुहिम पर खर्च की है। मुझे नहीं लगता है कि इसका लाभ किसानों और बागवानों को मिला होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने एक ठोस फैसला लिया और यह घोषित किया कि बंदर एक हिंसक ज़ानवर है और इसे मारने की अनुमति दी है। इस निर्णय के आने के बाद प्रदेश की सरकार ने गन लाइसैंस बंद कर दिये। अध्यक्ष महोदय, गन लाइसैंस को रिन्यू करवाने में जहां लगभग 100 या 200 रुपये की फीस लगती थी इन्होंने वह राशि 1700 रुपये से बढ़ा करके 2400 रुपये कर दी है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम बंदरों को खेती उज़ाड़ने के लिए नहीं बुलाते हैं। हम उन्हें डंडे से नहीं मार सकते हैं। अध्यक्ष जी, मेरे

08-03-2018/1640/NS/HK/2

विधान सभा क्षेत्र में हिंसक ज़ानवर बंदर ही नहीं बल्कि रीछ, भालू, बाघ भी हिंसक ज़ानवर हैं। ये हमारे माल-मवेशियों पर हमला करते हैं। आदमियों पर हमला करते हैं और रात को फसल उज़ाड़ देते हैं। मेरे हिसाब से इन हिंसक ज़ानवरों को मारने के लिए डंडा एक कारगर हथियार नहीं है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि जो व्यक्ति अपनी प्रोटैक्शन, खेती व बागवानी और अपने माल-मवेशियों की रक्षा के लिए

लाइसैंस मांगता है, उसे गन लाइसैंस दिया जाना चाहिए। । मेरे विधान सभा क्षेत्र में बंदर ही नहीं लंगूर, सैल, गीदड़, सूअर, रीछ इत्यादि कई ज़ानवर हैं, ये सभी हिंसक हैं। मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने अख़बार में मोदी जी के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा था । पहले ऐसा होता था कि अगर हम अपनी ज़मीन पर किसी जंगली ज़ानवर को मारते थे तो उस पर कोई जुर्माना नहीं होता था। अगर उसको गोली मारी जाती है और भाग करके वह कहीं बाहर जा करके मरता था तो वन विभाग बहुत जुर्माना करता था। मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यह भी राहत दी है कि आप जंगली जानवरों को मार सकते हैं और वह कहीं भी जा करके मरे,

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

08.03.2018/1645/RKS/YK/1

श्री बिक्रम सिंह जरयाल....जारी

किसी को जुर्माना नहीं किया जाएगा इसलिए भी मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूं। 'फसल बीमा योजना' का जो बहुत बड़ा तोहफा आदरणीय मोदी जी ने किसानों, बागवानों को दिया उसके लिए भी मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। यहां पर 'प्रधानमंत्री बाड़ बंदी योजना' की बात चली थी। मैं आपका ध्यान अपने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां पर पिछले 5 वर्षों में एक भी किसान को यह सुविधा नहीं मिल पाई। इसके लिए काफी लोगों ने आवेदन किए थे, जिसमें मैं भी सम्मिलित था। मैं भी एक किसान हूं और मेरे पास बाग-बागीचे भी हैं। मैं स्वयं खेती करता हूं और खुद ट्रैक्टर चलाता हूं। इस स्कीम में बहुत उलझनें थीं। इस समय यह स्कीम 80:20 की है परन्तु उस समय यह 60:40 की थी। लोग यह कहते थे कि यह सुविधा क्या लेनी है क्योंकि इस सुविधा को लेने के लिए उन्हें 20-40 चक्कर काटना पड़ते थे। इसको भी थोड़ा सरल किया जाए। हिमाचल प्रदेश में 80% किसान-बागवान हैं। आवारा पशुओं का भी यहां पर एक बहुत बड़ा आतंक

है। उसके जिम्मेवार हम सब यहां पर बैठे हुए हैं। गाय और बैल को हम लोग ही बाहर छोड़ते हैं। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे मनुष्य का पंचायत में पंजीकरण होता है, वैसे ही पशुओं का पंजीकरण पंचायत में होना चाहिए। यदि किसी पशु को बेचना भी हो तो उसका भी हिसाब-किताब पंचायत में हो। किसी बछड़े या बछड़ी का जन्म हो तो उसका भी पंजीकरण पंचायत में हो। अगर कोई नियम के बाहर जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि शुद्ध दूध सभी पीना चाहते हैं परन्तु कोई भी गाय पालना नहीं चाहता है।

आज महिला दिवस है। वैस तो इस पर कोई विषय नहीं है परन्तु मैं महिला दिवस पर एक शब्द बोलना चाहता हूं। यहां पर कोई महिला सदस्या उपस्थित नहीं हैं। शायद वे आज महिला दिवस मना रही हों। मोदी जी कहते हैं- अच्छी बहू सभी को

08.03.2018/1645/RKS/YK/2

चाहिए परन्तु बेटी पैदा करके कोई राजी नहीं। सभी माननीय सदस्य जो यहां पर बैठे हैं वे इन चीजों को अपने-अपने चुनाव क्षेत्र में बताएं।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त जो बिना वजह के प्रोसैस हैं, जैसे लाइसैंस के लिए बहुत लम्बा प्रोसैस है या प्रधान मंत्री बाड़ बंदी के लिए जो प्रोसैस है उसको कम किया जाए। इसके लिए भी मैं माननीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सैंकडों अनावश्यक कानूनों को रद्द करके हमें काफी राहत दी। (...व्यवधान....) माननीय सदस्य, श्री पवन कुमार काजल जी जब आप अपना सर्टिफिकेट देते हैं कि मैं एम.एल.ए. हूं तो आप अपना सर्टिफिकेट माननीय मुख्य मंत्री से अटैस्टीड नहीं करवाते हैं, आप अपना सर्टिफिकेट स्वयं अटैस्ट करते हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया, विषय और आसन को सम्बोधित करते हुए बोलें।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः अध्यक्ष जी, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं। जैसे राजस्थान में हर पंचायत पर दो-दो बंदूकधारी रखे हुए हैं; वैसे ही शूटर यदि हम अपनी-अपनी पंचायतों में रखें और उनको बंदूक का लाइसैंस दिया जाए तो हमें काफी फायदा हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में हम भी ऐसा कोई नियम बनाएं। ...व्यवधान... अगर कोई लाइसैंस बनेगा तो उसके लिए कारतूस भी मिल जाएंगे(विपक्ष की ओर)।

यहां पर गौ-सदन की बात चली थी। गौ-सदन के लिए भारत सरकार ने पैसा दिया है। जब से हमारी सरकार बनी, मैंने अपने विधान सभा चुनाव क्षेत्र में 4 गौ-सदन खोल दिए हैं। उन गौ-सदनों में गाय का पालन-पोषण हो रहा है। (...व्यवधान...) वहां पर चारा इत्यादि सब कुछ है परन्तु इसके लिए करने की क्षमता होनी चाहिए।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, 10 मिनट होने वाले हैं, आप अपनी बात कहें।

श्री बी0एस0 द्वारा .....जारी

08.03.2018/1650/बी0एस0/वाईके-1

श्री बिक्रम सिंह जरयाल जारी.....

अब एक बात और आती है कि पहले गायो को छोड़ा जात था अब लोगों ने बैलों को भी छोड़ना शुरू कर दिया है। बैल पहले खेती के लिए जोतने के काम आते थे अब उन्हे जोतना बंद कर दिया है तो बैला को भी आवारा छोड़ने शुरू कर दिए हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इसके लिए कोई ठोस नीति बनाई जाए। ज्यादा नहीं बोलूंगा। आरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का समर्थन तो नहीं करता परंतु निवेदन जरूर करूंगा कि सभी की आशाएं हैं इसलिए इस पर कोई ठोस नीति बनाई जाए ताकि किसानों और बागवानों को इसका लाभ मिल सके। अध्यक्ष महोदय आने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

08.03.2018/1650/बी0एस0/वाईके-2

श्री राकेश सिंघाः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव आदरणीय सदस्य श्री अनिरूद्ध सिंह जी द्वारा पेश किया गया है इस पर चंद बाते कहना चाहता हूं। पहली बात हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है यहां पर सारी भूमि को देखते हुए सिर्फ 11 प्रतिशत भूमि है जिस पर खेती होती है और इसीलिए कम भूमि होने के कारण ये जो आज की तारीख में जो गम्भीर आर्थिक संकट और उस आर्थिक संकट में कृषि संकट सबसे गहरा है। कृषि संकट के चलते यह जो बन्दरों का आतंक और बन्दरों का आक्रमण जो खेत पर हो रहा है, इसका कोई न कोई रास्ता इस सदन को निकालना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसका कारण क्या है? इसका कारण है जो हमने अपने देश में 1972 के अंदर एक कानून बनाया जिसे हम Wild Life(Protection) Act 1972 कहते हैं। इस समस्या का जन्म यहां से हुआ। अन्यथा क्या था जो हमारी प्रकृति है वह इस प्रकार की है जो एक बैलेंस मैंनटेन करती है। लेकिन इस कानून के तहत जो जानवर प्रेमी हैं वह ज्यादा हो गए और जो इंसान के प्रेमी है उनपर ग्रहण लग गया यह कारण यहां से शुरू हुआ। यही नहीं 1978 में जब पहले श्री मोरारजी देसाई जी की सरकार बनी तो मेरी सीनियर उस सरकार में माननीय मेनका गांधी जी मंत्री थीं। मेनका गांधी जी ने एक ऐसा कानून इक्तियार किया जो बन्दरों का एक्सपोर्ट हुआ करता था उस पर प्रतिबंध लग गया। पहले हमारे देश से जो बन्दरों का एक्सपोर्ट होता था वह Military and Space Research के लिए किया जाता था। इस सदन को मैं जानकारी दे रहा हूं जिससे आप सभी को आश्चर्य होगा इस बात को सुनकर कि एक बन्दर की कीमत जो हमारे देश से अम्रीका भेजा जाता था उसका दाम 7 लाख रुपया था। आज भी इस रिसर्च के लिए Human and Biodiversity Research के लिए बन्दर की नस्ल बहुत काम आ रही क्योंकि आपकी सरकार दिल्ली में है और मैं समझता हूं आदरणीय जय राम

ठाकुर जी जो हमारे माननीय मुख्य मंत्री है, इनका आदरणीय मोदी साहब से बहुत अच्छा रिस्ता है और बन्दरो का हल हमारे माननीय मुख्यमंत्री निश्चित रूप से करेंगे। यह काम केन्द्र सरकार को करना है । अगर केन्द्र सरकार इस अनुमति को देगी तो मैं समझता हूं यह हिमाचल प्रदेश जो कृषि संकट से गुजर रहा है वह भी दूर हो जाएगा। शायद अब उस

08.03.2018/1650/बी0एस0/वाईके-3

बन्दर की कीमत 7 लाख से बढ़कर 10 लाख हो गई होगी। मैं कहूंगा हिमाचल के हर किसान के हाथ में लड्डू ही लड्डू होंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री को इसमें पहल करनी है। दूसरा मेरा मानना यह है कि साइंस यह कहती है कि इनका एक ही इलाज है या तो यह एक्पोर्ट हो जाए, दूसरा है साइंटिफिक कलिंग इसकी की जा सकती है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह मात्र बातें है कि नसबंदी करें। आप जानते है नसबंदी से इन में एक हमले की प्रवृति पैदा होती है। यह जो अटैक कर रहे हैं यह इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने उसकी नसबंदी की है। इसलिए वह अटैक कर रहे हैं। तीसरा सुझाव मैं सरकार के सामने और रख रहा हूं। अगर वह मान्य होगा वह भी मदद करेगा।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

08032018/1655/AG-DT/1

श्री राकेश सिंघा द्वारा जारी.....

हमारे यहां बन्दरों का जो प्रकोप है, इसका हल करने के लिए एक सल्यूशन है। इससे पहले भी चर्चा हुई है, हमारे हिमाचल प्रदेश की सरकार ने वर्ष 2000 के अन्दर जो कानून बनाया था और उस कानून के तहत 163-A लाया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह आज स्थगित नहीं हुआ है। उसकी कॉपी मैं आपके चेंबर में कल पेश करूंगा। फस्ट आर्डर हाई कोर्ट का

इन्टैरिम ऑर्डर आया था और वह आर्डर क्या था? जस्टिस कमलेश ने आर्डर दिया था और उसमें कहा गया था " Regularization process on the encroached Government land may continue but the patta may not be issued till the final order." और वह इन्टैरिम ऑर्डर आज भी एग्जिस्ट करता है। मैं आपको उसकी कॉपी दूगां । उसमें अन्तिम इन्टैरिम ऑडर जस्टिस पांटा जी का आया था, जिसमें कहा गया था कि सदन ने जो रूल्ज बनाए हैं, उनको पेश किया जाए। यह तो बाद में जस्टिस रिद्धी जो उस समय पैटिशनर के वकील थे और फिर इन्टैरिम ऑडर पास करने शुरू किए। इसका अंतिम आर्डर नहीं आया है । इसलिए आज भी जो पैरा ऑर्डर है वही रहेगा। जिन्होंने आज एनक्रोच किया है, मेहरबानी करके सरकार निर्णय ले और उनके वृक्ष न काटे जाएं। वही बन्दरों के काम आ जाएंगे। जब फाईनल आर्डर आएगा तब उसका निर्णय किया जा सकता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा? जब तब फाईनल आर्डर नहीं आता है, मैं समझता हूं उन वृक्षों को काटना गलत है। उन वृक्षों को वन विभाग अपने क्षेत्राधिकार में ले ले और उनका अगर बन्दरों ने फायदा उठाना है तो बन्दर उठा ले। वे हमारे खेतों में तो नहीं आएंगे। मैं इतने सुझाव देकर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। मैने जो सुझाव दिए हैं, मैं समझता हूं कि हमारे हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री निश्चित रूप से इन मुद्दों को उठाते हुए, मोदी साहब से बात करके इसका हल निकालेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया।

अध्यक्षः मेरे पास इस समय माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र गर्ग, माननीय सदस्य श्री मोहन लाल ब्राक्टा, माननीय सदस्य श्री होशयार सिंह जी, माननीय श्री लखविन्द्र सिंह राणा जी और माननीय श्री राकेश पठानिया जी बोलने के लिए ये सदस्य शेष बचे हैं। ये सभी लोग 5 अप्रैल को प्राईवेट मेम्बर डे में इसी क्रम में अपनी बात कहेंगे, तत्पश्चात माननीय मंत्री जी उसका उत्तर देंगे।

08032018/1655/AG-DT/2

अब इस माननीय सदन की बैठक शुक्रवार, 09 मार्च, 2018 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला 17004 **सुन्दर सिंह वर्मा**
दिनांक 08.03.2018 **सचिव।**